

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

**TEXT CUT WITHIN
THE BOOK ONLY**



काकासाहेब कालेलकर

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_178701

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H84
K14J Accession No. P.G. H36
Author कालेलकर, काका .
Title जीवन विहार . अनु . शीपा .

This book should be returned on or before the date
last marked below.

जीवन - विहार

जीवन - विहार

(साहित्य-विषयक निबंध)

लेखक

श्री. काकासाहेब कालेखकर

अनुवादक

श्रीपाद जोषी



वोरा अेन्ड कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड

३, राउंड चार्लिंग, काळवादेवी रोड, बंबई २

प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९४७

मूल्य : रु. २)

विनय

साहित्य का महत्व बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ साहित्यकारों की संख्या भी बढ़ती है। लोकशासन के दिनों में शिक्षा का सार्वत्रिक होना अनिवार्य है। पढ़ने वालों की संख्या बढ़ते ही अखबारों की आमदनी बढ़ती है, अतः महत्व बढ़ता है। अच्छे लेखक अखबारों के संपादक व उनके तनखा भी ठीक ठीक पाते हैं। पढ़ने का शौक बढ़ने के साथ उपन्यास और लघुकथा की मांग बढ़ती है। अच्छे से अच्छे लेखक, विचारक और तत्त्वचिंतक अपने सर्वोच्च विचार और समाजहित की सूचनाओं उपन्यासों में प्रथित कर के लोगों के सामने धरते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और समाज-धुरीण भी उपन्यासों के द्वारा समाज को अपने सिद्धांतों की दीक्षा देने की कोशिश करते हैं। साहित्य की शक्तिका आविष्कार और परिचय यद्वा तक बढ़ा है कि राजकाज-धुंधर मंत्री और युद्ध-कुशल सेनानी भी साहित्य की मदद के लिये लालायित रहते हैं। और धन की लालसा से विलास की चीजें पैदा करनेवाले कारखानदार भी अपनी अिस्तेहारों के लिये साहित्य की मदद खरीद लेते हैं। सचमुच आज का युग साहित्य-युग है।

अैसे दिनों में कभी कभी साहित्य के आदर्श का चिंतन-मनन करना अनुपयुक्त नहीं होगा।

साहित्य मेरा क्षेत्र नहीं है। हालांकि मैंने साहित्य का सेवन भी किया है और साहित्य की कुछ सेवा भी की है। लोका-शिक्षा और लोक-सेवा को ही मैंने अपना स्वधर्म माना है। लेकिन भुसकी मदद में मैंने साहित्य को बार बार बुलाया है। साहित्य-सेवियों की गोष्ठी में अनेक दफे जा बैठा हूँ। उन से विचार-विनिमय किया

है। फलस्वरूप साहित्य के आदर्श के बारे में और कार्य के बारे में जो भी कुछ सूझा मैंने समय समय पर शब्द बद्ध कर रखा। उसका यह अनुवाद है। साहित्य के बारे में मैंने गुजराती में जो कुछ लिखा, उसका संग्रह “जीवन भारती” के नाम से प्रकाशित हुआ है। गुजराती मेरी जन्म भाषा तो नहीं है, लेकिन राष्ट्र-सेवाके २०-२५ बरस गुजरात में ही व्यतीत करने के कारण उसी भाषा में लिखना मेरे लिये स्वाभाविक था। उस “जीवन भारती” में से थोड़े से लेख अकट्टा कर के श्री श्रीपाद जोशीने जेल में बंटे बंटे उसका मराठी अनुवाद किया। मेरे गुजराती लेखों का, मेरी ही जन्म भाषामें दूसरा कोभी अनुवाद करें और महाराष्ट्री वाचकों को मेरे विचार अनुवाद के रूप में पढ़ने को मिले यह अक अजीब सी घटना मालूम होती है। मराठी अनुवाद का अच्छा सत्कार होने के कारण श्रीपाद जोशीने गुजराती पर से यह हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी न मेरी जन्म-भाषा है, न श्रीपाद जोशी की। लेकिन हिंदी शैली मराठी और गुजराती के बहुत ही नज़दीक होने के कारण अिन दो भाषा के ग्रंथों को हिंदी में लाना बिल्कुल आसान है।

अिस सुगमता के साथ अक खतरा भी अुठाना पडता है। अनुवादक को जब मराठी गुजराती और हिंदी-तीनों के ग्रंथ पढने का अभ्यास होता है तब वह तीनों के मुहावरों की देखते देखते खीचडी कर डालते हैं। और हिंदुस्तान का अनुभव है कि खीचडी का आहार बहुतों को प्रिय है। खास करके हिंदी वालों ने तो शुरू से ही खीचडी के सेवन का अभ्यास रखा है।

शुरू शुरू में बांगला साहित्य का अनुवाद हिंदी में होने लगा। और हिंदी की शैली बांगला साहित्य शैलीसे पूर्ण रूपेण प्रभावित हुयी। ‘विरक्त होना’, ‘स्पर्धा करना’ जैसे बंगाली मुहाविरों; रूठ होना,

बिटाभी करना, के अर्थमें हिंदी में चलने लगे। अर्द्ध म रूह शब्द छीलींग है अिस लिये हिंदी में आत्मा को भी, संस्कृत परंपरा छोडकर छीलींग बनना पडा।

अब हिंदी ने कभी मराठी की और कभी गुजराती की खीचडी खाना भी शुरू किया है। संभव है कि साहित्य चर्चाके अिस संग्रह में पाठकों को मराठी और गुजराती दोनों के मुद्दावरों का हिंदी के साथ मिलान हुआ मिलेगा। हमारी सब प्रान्तीय भाषाओंका यही हाल होने वाला है। अिसलिये यहाँ की खीचडी-शैली के लिये क्षमा प्रार्थना करने को जी नहीं चाहता। क्षमा तो तब मांगी जाती है जब आर्यंदा वैया ही गुन्हा न करने का संकल्प हो।

मुझे अिस बात की क्षमा जरूर मांगनी चाहिये कि यहाँ पर मैंने मेरे चंद पुराने लेखों का ही संग्रह शायी होने दिया है। नया कुछ लिखने बैठुं तो कहने लायक बहुत बातें हैं किन्तु अुसके लिये समय नहीं है। और जो कुछ भी लिखा गया है, मेरे ख्यालसे, वह आज भी अुतना ही जरूरी है जितना वह लिखते समय अिष्ट माना गया था।

मूल के साथ अनुवाद का मुकाबला मैं नहीं कर सका हूँ। आशा करता हूँ कि पाठकों को अिस संग्रह में कुछ रुचिकर और हितकर मसाला मिल जायेगा।

काका

निबंध-सूची

	पृष्ठ
१ मेरे साहित्यिक संस्कार	९
२ पुराने खेतकी नशी जुताभी	१०
३ साहित्य-सेवा	१४
४ साहित्योपासना	३६
५ ब्राह्मी साहित्यकार	४१
६ गांधीयुगका विशेष	४५
७ पत्रकारकी दीक्षा	५०
८ साहित्यका अद्गम	६५
९ कवि और सन्त	७१
१० लोक-कथाकी शैली	७५
११ सार्वभौम कहानी	८२
१२ लोकगीत (ग्रामगीत)	८८
१३ हमारा लोक-साहित्य (जन साहित्य)... ..	९१
१४ लोक-साहित्य की मीमांसा	९५
१५ जीवन-विकासी संगठन	९९
१६ रस-समीक्षा : कुछ विचार	११२
१७ प्रेरक साहित्य	१३०
१८ मधु-मन्त्रियोंसे	१३०
१९ छठी गुजराती साहित्य-सभा	१३१
२० पढोसियोंका साहित्य-संसार	१३५

: : : मेरे साहित्यिक संस्कार

पुराने ज़मानेमें वेदान्तकी जितनी चर्चा और मीमांसा चलती थी उससे आजकी साहित्य-चर्चा कुछ कम नहीं है। आज साहित्यका तंत्र बहुत सूक्ष्म और अटपटा हुआ है। इस तंत्रके अनुसार लिखना कौसी आसान बात नहीं है। इस तंत्रकी तानाशाहीसे अबकर बेचारा भवभूति बोल उठा था:—

सर्वथा व्यवहर्तव्यम् कुतो ह्यवचनीयता ।

यथा स्त्रीणां तथा वाचाम् साधुत्वे दुर्जनो जनः ॥

लेकिन आद्य साहित्यकारके सामने कौनसा तंत्र था ? हर देश तथा समाजका आद्य साहित्यकार अनजाने ही साहित्यिक हुआ होगा, क्योंकि साहित्य बिलकुल प्राकृतिक प्रवृत्ति है। अवलोकन, निरीक्षण, विचार, कल्पना या भावना जब अत्कट हो जाती है तब मनुष्यसे लिखा-बोला जाता है; और अत्कटताका यह स्वभाव ही है कि उसकी भाषामें कुछ असाधारणपन, कुछ आकर्षण, कुछ चमत्कृति आ ही जाती है। अत्कटतामें स्वाभाविक सौन्दर्य प्रकट हुआ बिना रहता ही नहीं। यह शोभा पहले तो आप ही आप फूट निकलती है, लेकिन बादमें वह शोभा ही सारा ध्यान खींच लेती है और सराहनाका विषय बन जाती है। उसमेंसे धीरे धीरे साहित्यका तंत्र बँध जाता है।

पहले तो लोकसाहित्यकी ही सृष्टि होती है। उसमें धीरे धीरे प्रयत्नपूर्वक शोभा लानेसे शिष्ट साहित्य तैयार होने लगता है। लोकसाहित्यमें दो लक्षण हमेशा दिखायी देते हैं; साहित्यशास्त्र और धर्मशास्त्रके कृत्रिम और निश्चित बन्धनोंमें वह नहीं बँधता। सामान्य लोकसमाजकी स्वतंत्र प्रवृत्ति और स्वयंभू प्रेरणाके वशमें जब तक

साहित्य रहता है तभी तक वह लोकसाहित्य होता है, सदाचार और सदभिरुचिकी जितनी रक्षा सहजरूपसे उसमें की जाती हो अतनेसे ही वह सन्तोष मानता है। प्रयत्नपूर्वक मर्यादाओं बाँधकर आग्रहके साथ उनका पालन करने जायँ तो लोकसाहित्यका लौकिक-पन मिट जाता है।

लोकसाहित्यकी बड़ी फ़सल आनेके बाद मनुष्यको उसमें छलनी लगानेकी अच्छा होती है। और उसीमेंसे शिष्ट समाजका साहित्य बढ़ता है।

लोकसाहित्यकी स्वाभाविकता और ताज़गी मुझमें हो या न हो, शिष्ट-साहित्यका असर मुझपर पड़ा हो या न हो, मैं तो अपनेको स्वाभाविक लेखकोंकी श्रेणीमें ही गिनता हूँ। अनुभव और चिन्तनसे जो कुछ और जैसा कुछ सूझे वही उस उस वक्त लिख डालना मैंने पसन्द किया है। प्रयत्नपूर्वक साहित्यसेवा तो मेरे हाथों हुआ ही नहीं। शिष्ट समाजमें विचरता हुआ भी मैं शिष्ट समाजका नहीं हो सका। जैसा कुछ अनगढ़ था वैसा का वैसा ही रह गया हूँ। मुझे इसका दुख नहीं है क्योंकि उस रास्तेसे ही मैं अपने अपने-पनकी-फिर वह अपनापन चाहे जितना स्वल्प क्यों न हो-रक्षा कर सका हूँ। अनगढ़ मनुष्यको सामाजिक व्यवहारमें कदम कदम पर कड़वे अनुभवोंका सामना करना ही पड़ता है। जैसे अनुभव मेरे लिये दो नतीजे लाये। एक तो यह कि मैं समाजसे अुकताकर कुदरतकी गोदमें जा पड़ा; और दूसरा यह कि मैं अन्तर्मुख हो गया। पहले पहले ये दोनों वृत्तियाँ साहित्यसृजन करने न देती थीं। इसलिये यानी संयमके अदेश्यसे नहीं बल्कि आत्म-अविश्वास, लज्जा और मुग्धभावके कारण मैं साहित्यसे दूर ही रहा। विद्याध्ययनके दिनोंमें जो कुछ पढ़ना पड़ा और जो कुछ थोड़ा सा अपने असाधारण आकर्षणके कारण

नज़रमें जँच गया अतना ही मैंने पढ़ा। अपनी साहित्य-शक्तिको बढ़ानेका जो कीमती मौका था उससे मैंने कोअी फ़ायदा नहीं अुठाय़ा।

मुझमें अगर कुल भी साहित्यशक्ति पैदा हुआ हो तो वह अपने अनुभव और विचार व्यक्त करनेकी अुत्कटतामेंसे ही हुआ है। और वह स्वाभाविक रूपसे संभाषणमें ही परिणत हुआ। काश, अुस वक्त मुझे वासरी (डायरी) लिखनेकी आदत होती ! अपने अेक शिक्षकको मैंने अैसी वासरी लिखते देखा है। अुनकी वासरी पढ़नेकी हमें अिजाज़त थी, लेकिन अुसका आस्वाद लेने जितनी शक्ति हममें न थी; क्योंकि वे अपनी वासरी अंग्रेज़ीमें लिखते थे। अुसे अगर वे मराठीमें लिखते तो मेरे जैसे अनेक मुग्ध बालकोंको असाधारण लभ पहुँचा होता।

अिन्ना तो सही है कि चिठी-पत्र और वासरी ही सामान्य जन-समाजका साहित्य है। मेरे ख़यालसे वही अुच्च क़ोटिका साहित्य है। दूसरोंसे कहने जैसा जितना कुल हो अतना ही हम खत-पत्रोंमें लिखते हैं और अपने जीवनमें जो कुल दर्ज करने जैसा हो, यानी ख़ासियत रखता हो, वही वासरी के पृष्ठोंमें आ जाता है। अैसी बढ़िया छलनीसे छनीं हुआ कृतियाँ साहित्यका दर्जा हासिल करें तो अुसमें क्या आश्चर्य ? साहित्यकार भले कहें कि नाटकान्तं कवित्वम्, अुनकी बात का विरोध मैं नहीं करता। सभी प्रकारकी विविधता और आकर्षकता नाटकोंमें स्वाभाविक रूपसे अिकटा होती है। फिर भी मैं कहूँगा कि पत्रमूलं एवं वासरीमूलं च साहित्यम्। दोनोंमें वास्तविकताका बढ़ेसे बढ़ा आधार रहता है। आजकलके कृत्रिम युगमें पत्र और वासरी दोनों बनावटी ढंगसे भी लिखे जा सकते हैं। अुसका विचार यहाँ किसलिये करूँ ? दुनियाकी कौनसी चीज़ विकृत नहीं होती ? संभाषण और मनन जिस तरह अुत्कट व्यापार हैं अुसी तरह पत्र और वासरी दोनोंका लेखन अुत्कट व्यापार है।

हमारे बचपनमें साहित्य कंठ करनेका रिवाज बहुत था। स्कूलमें तथा घरमें लड़कोंसे बहुत कुछ कंठ कराया जाता था। लेकिन हमारी प्राथमिक शालाओंमें अुच्च अभिरुचिसे चयन कर देनेवाला कोआी न था। घरमें तो बालबोध और सकाम भक्तिसे चुना हुआ साहित्य याद करनेका रिवाज था। शामको मन्दिरोंमें पुराणिकोंका पुराण सुनने बैठें और रातको हरिदासोंके संगीताभिश्चित हरिकीर्तनका मजा छटने जाँय तभी साहित्यरसिकताका अखूट आस्वाद मिलता था। अुसमें भी अर्थालंकारकी अपेक्षा शब्दालंकार और श्लेषपर ही हमारे ये साहित्याचार्य कुर्बान होते थे।

घरमें सत्रसे बड़े भाओी संस्कृतके रसिया थे। बचपनमें अुन्हें पढ़ाने के लिये अेक शास्त्रीजी रखे गये थे। भाओीसाहब कभी कभी संस्कृतके अच्छे अच्छे फिकरे पढ़कर सुनाते थे, घूमते-टहलते वक्त कंठ किये हुआे श्लोक गुनगुनाने की अुन्हें आदत थी। अर्थ भले ही समझमें न आये, लेकिन संस्कृत वाणी की ध्वनि के प्रति आदर और प्रेम तो मेरे मनमें बचपनमें ही अिस तरह जागृत हुआ था। आज भी मुझे अैसे दो फिकरे याद हैं जिनका अर्थ मैं समझ सका था। अेक है सावित्री-आख्यानका और दूसरा है शांकरभाष्य के अेक आसान अंश का।

अेक तरफ़ माताजीके मुँहसे सुने हुआे पौराणिक लोकगीत, दूसरी तरफ़ संस्कृत सुभाषित और बीचमें समायी हुआी पुराणिकोंकी गरी-यह मेरा बचपनका साहित्यिक पाथेय था। दिलचस्पी आने लगी पांडवप्रताप, शिवलीलामृत, सन्तलीलामृत, भक्तिविजय हरि-विजय आदि मराठी काव्यग्रंथ पढ़नेमें और 'नवनीत' नामके मराठी काव्यसंग्रहमें आये हुआे मराठी कवियोंके गीत गाने में। अिस पुराने मराठी साहित्यके कारण मेरा शब्दसंग्रह बढ़ा और संस्कृत सीखनेकी पूर्व तैयारी हो गयी।

‘संस्कृत शैली या लोकशैली?’ का झगड़ा आजकल प्रत्येक प्रान्तमें चल रहा है। हमने यह झगड़ा यूरपसे मोल लिया है। लोक-भाषा, लोकसाहित्य और अणुके देशज शब्दोंकी मुझे कद्र है। यह मैं भी मानता हूँ कि अणुके अुद्धारके बिना लोकजागृति और लोकशिक्षा संभव नहीं है। फिर भी जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृतकी धुरा फेंक दो और सिर्फ लोकभाषासे ही प्रेरणा लो, अणुसे मैं सहमत नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा चाहे जितनी मुश्किल हो, अुसका व्याकरण चाहे जितना अटपटा हो, फिर भी वह हमारी भाषा है, हमारी बनायी हुआ भाषा है। अुसमें हमारी जनताका स्वभाव और अुसका मानसिक गठन प्रतिबिंबित हुआ है। अुसके पोषण के द्वारा ही हम संस्कृतिपुष्ट होनेवाले हैं। अंग्रेजोंके लिये जिस तरह ग्रीक या लैटिन परायी भाषाओं हैं अुस तरह संस्कृत हमारे लिये परायी नहीं है। हम अगर संस्कृतसे पोषण लेना छोड़ दें तो हम सभी तरह से क्षीण हो जायेंगे। हमारी सांस्कृतिक अेकता और सांस्कृतिक समृद्धिमें संस्कृतका हिस्सा सबसे बड़ा है। विशाल संस्कृत साहित्यका मंथन करके अुसमें से चौदह नहीं बल्कि चौदह हज़ार रत्न अपनी देशी भाषाओं में हमें लाने चाहिये, और अिस विरासतकी सुगंध हमारे तमाम लेखोंमें महकनी चाहिये।

साहित्यकी अुत्तम तैयारी साहित्य-विवेचनसे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ साहित्यके गहरे अध्ययनसे हो सकती है। साहित्य-विवेचन अुचित मात्रामें और बहुत देरसे आना चाहिये, वरना अभिप्राय और अभिरुचि असमय ही परिपक्व होते हैं।

और साहित्यका सर्जन तो विवेचनमेंसे हरगिज़ नहीं होना चाहिये। साहित्यके लिये जबर्दस्त सिसृक्षा और दूसरोंके साथ गहरा विचार विनिमय करने की आतुरता प्रधान प्रेरणा हो सकती है। माताका अपने बालकों के प्रति प्रेम, पतिपत्नीका अेक दूसरे के प्रति अनुराग

और गुरुशिष्यों के बीच का भक्तिवात्सल्य ये भावनाओं जितनी अुत्कट होती हैं अुतनी ही साहित्य सिसृक्षाकी वृत्ति भी अुत्कट और अदम्य है। यह सिसृक्षा अगर शुभ परिणामी न हो तो अुसे पागलपनकी ही अुपमा दी जा सकती है। साहित्य आज जितना सस्ता हुआ है और अे समझेबूझे जितना खराब किया गया है अुतना अगर वह खराब न किया गया होता तो साहित्यने भारीसे भारी परिणाम दिखा दिये होते। शुभंकर साहित्य आत्माकी अमृत्कला है, क्योंकि वह चैतन्यकी प्रेरणा है।

साहित्यकी सिसृक्षा और अुसका केवल आस्वाद लेनेकी रसिकता यह दो चीजें बिलकुल अलग अलग हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल रसिकतामेंसे सिसृक्षा पैदा होगी ही। सिसृक्षा स्वतंत्र प्रेरणा है। साहित्यकी सिसृक्षामें तन्नाम सिसृक्षाओंके लक्षण दिखायी देने हैं। जिस तरह बाल-विवाह खराब है अुसी तरह छोटी अुम्रमें जल्दी जल्दीमें किया हुआ साहित्यसर्जन खराब है। दोनों में बड़ी अुम्र तक ब्रह्मचर्य यानी वीर्यरक्षा आवश्यक है। दोनों में तुलना करनी ही हो, तारतम्य निश्चित करना हो, तो 'वीर्यपातकी अपेक्षा वाक्पात अधिक अुग्र होता है।' अिस पुराने वचनको नये अर्थमें साहित्य पर भी चरितार्थ किया जा सकता है। यह कहना मुश्किल है कि साहित्य जैसी मंगल वस्तुमें मर्यादा किस तरह रखी जाय। फिर भी अितना तो समझ ही लेना चाहिये कि अतिसेवन खराबी पैदा किये बिना नहीं रहता। अतिसेवनसे शायद संस्कारिताकी चमक आ सकती है लेकिन तेज तो कभी नहीं आ सकता।

कुछ साहित्यवीरोंको हम अखंड सर्जन करते देखते हैं। यह अखंड साहित्यसृष्टिका अधिकार जीवनवीरों तथा जिन्दा मिशनरियों का ही है।



अध्ययनकालमें मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्यके अुकृष्ट ग्रंथोंका असर मुझपर पड़ा। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य और गांधी-साहित्य तो उसके बाद आये। अिन दोनों राष्ट्र-पुरुषोंकी विभूतियाँ भिन्न भिन्न हैं। दोनों की साधनाओं अलग अलग हैं। लेकिन दोनोंके साहित्यका गहरा अध्ययन करने पर यह बात साफ़ हुअे बिना नहीं रहती कि दोनोंका दर्शन करीब करीब अेक-सा ही है। आधुनिकोंमें भांडारकर, रानडे, स्वामी विवेकानन्द, भागिनी निवेदिता, लाला हरदयाल, आनन्दकुमार स्वामी, बाबू बिपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजी-अितनोंका प्रभाव मुझपर अधिक से अधिक पड़ा है अैसा मैं मानता हूँ। आश्चर्य यह है कि मैं लोकमान्य तिलकजीका भक्त होते हुअे भी और अुनके आन्दोलनमें शरीक होने पर भी अुनके साहित्यका मुझपर बहुत ही कम असर पड़ा। अुसमें कुछ न कुछ अैसा है जिससे मैं अुनका साहित्य हज़म न कर सका। अंग्रेजी साहित्यके बारेमें यहाँ कुछ भी लिखनेकी अिच्छा नहीं है। मैं अितना ही कह सकता हूँ कि अंग्रेजी साहित्यके प्रति मेरे मनमें गहरा आदर है, हालाँकि अुस साहित्यका सेवन तो मैं बहुत कम कर सका हूँ।

कवि हों या गद्यलेखक, अुन्हें जीवनका गहरा अध्ययन या दर्शन होना चाहिये और आजकल तो साहित्यकारके लिये मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान, भौतिकविज्ञान और धर्मशास्त्रका विस्तृत अध्ययन करना ज़रूरी है। इस आदर्श तक जो पहुँचे हैं अुन्हींका साहित्य समाजपर गहरा असर कर सकता है। विवेकानन्द, निवेदिता, रवीन्द्रनाथ और गांधीजी मुझपर जो इतना प्रभाव डाल सके अुसका यही कारण है। अुनके साहित्यने मुझे जीवन में प्रेरणा दी, हृदयको सांत्वना दी, और अुज्वल भविष्यकी झलक दिखलायी।

अतिहासकारोंका भी मुझपर गहरा असर होना चाहिये था। लेकिन जैसा अतिहास मैं चाहता हूँ वैसा अतिहास मैंने नहीं देखा है। मेरी रायमें जो त्रिकालज्ञ हो वही यथातथ्य अतिहास लिख सकता है।



मेरे विचारसे हमारे देशके लिये रामायण ओर महाभारत अत्यंत पौष्टिक खुराक हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ रामायणसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ महाभारतसे भी काम नहीं चलेगा। यह दोनों संक्षेपमें भी नहीं पढ़े जा सकते, वह पूरे के पूरे ही पढ़े जाने चाहिये। साथही साथ उपनिषद, योगसूत्र और मनुस्मृति पढ़ी जायँ तो हमारी बहुत कुछ तैयारी हो जायगी। उसमें भी गीता पढ़नेके बाद ही उपनिषदोंका अध्ययन होना चाहिये। अमेरिकन लोगोंके लिये जो स्थान कोलंबसका है वही स्थान हमारी संस्कृतिमें उपनिषद के आत्मवीरोंका है। हमारे साहित्य में उपनिषद की कंडिकाओं और पालीभाषाके बौद्ध संभाषणोंको सभी तरहसे हमारा मूलधन कहा जा सकता है। उनुके अन्दर ही हमें अपनी संस्कृति की गंगोत्री मिल जाती है। उनमेंसे प्राप्त होनेवाले जीवनदर्शनको अद्यतन करनेके लिये उसमें भौतिकविज्ञान, संपत्तिशास्त्र, और समाजविज्ञान इन तीनों को जोड़ देना चाहिये।

साहित्यका विचार करते समय मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत साहित्य के साथ अरबका फ़ारसी साहित्य, प्राचीन यूरपका ग्रीक साहित्य और पूर्वकी तरफ हमारे लिये लगभग अज्ञात जैसा चीनी साहित्य—अिन सभी साहित्योंका गहरा अध्ययन होना चाहिये। प्राचीन संस्कृतिके अध्ययन के बिना अिस बातका पता न चलेगा कि आधुनिक कालकी ताकतें कितनी हैं, कैसी हैं और उनका वीर्य कहाँ-तक पहुँच सकता है। हमारे यहाँ जितना अध्ययन अंग्रेजी साहित्यका

हुआ करता है अतनाही अध्ययन जर्मन साहित्यका भी होना जरूरी है। लेकिन उस बारेमें हम अभी तक लापरवाह हैं। यूनिवर्सिटियाँ अपने पाठ्यक्रम द्वारा जितना कुछ खिलार्येंगी अतना ही खा लेनेकी हमारी शिशुवृत्ति अभी नहीं गयी है। और जितना खाया जाता है अतने का लाभ अपनी भाषाको देनेका फ़र्ज भी बहुत कम विद्वान अदा करते हैं।

इस संबंधी एक छोटीसी घटना मुझे बहुत महत्वकी लगी है। बम्बयी सरकार ने एक बार बम्बयी यूनिवर्सिटीसे पूछा था, कि 'संस्कृत के अध्ययनके लिये अगर हम कालेज खोलें तो क्या आप उस कालेजके विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटीकी अपधियाँ देनेको तैयार हैं?' उस वक्त यूनिवर्सिटीमें जो चर्चा इस बारेमें हुई उसमें हमारे प्रिन्सिपाल परां-जपेजीने अपनी यह राय जाहिर की कि 'यदि संस्कृतके साथ कुछ नहीं तो प्रीवियस (फ़र्ट अथर आर्टस) जितना अंग्रेजीका ज्ञान होगा तभी हम अुपाधि देनेका विचार करेंगे ' और उसमें भी अुन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'संस्कृत सीख लेने के बाद अगर विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने जाय तो वह नहीं चलेगा। अंग्रेजी विद्याके संस्कार हो जानेके बाद अगर कोअी संस्कृत सीख ले तो हमें अेतराज नहीं है।' अुनका विचार अुलटा था मगर आग्रह सकारण था। हमने अपने यहाँ शिक्षा के गर्भादानमें ही अंग्रेजी के संस्कार कराके अपनी विद्याको निःसत्व और हीनश्रद्ध बना दिया है। विद्यासंस्कारका प्रारंभ अगर स्वकीय भाषा और स्वकीय संस्कृति से ही न किया जाय तो हमारे लिये किसी भी प्रकार की अुम्मीद नहीं है। अैसा तो कुछ नहीं है कि जो अपना अपना धर्म छोडते हैं वेही सिर्फ परधर्ममें जाते हैं। स्वधर्म और स्वभाषा के संस्कारों से अगर बाल्य काल वंचित रहे तो उसके जैसी हानि दूसरी कोअी भी नहीं है।

हमारे गठन में पहले स्वभाषा तथा उसका साहित्य और उसके साथ ही तथा उसके द्वारा ही संस्कृत के संस्कार भी मिलने चाहिये । उसके बाद राष्ट्रभाषा—जिसके द्वारा संस्कृत व पर्शियन दोनों का पूरा खमर हमें मिलना चाहिये । अतनी तैयारी के बाद दूसरी चाहे जो भाषा और उसका साहित्य ले लिया जाय तो वह पोषक ही होगा ।

जहाँ भारतवर्षकी साधना सर्वसमन्वयकारी है हमारी यूनि-वर्सिटियोंने लगभग ऐसा प्रबन्ध कर रखा है कि जो संस्कृत पढ़ें वह फ़ारसी पढ़ ही न सकें और जो फ़ारसी पढ़ें अन्हें संस्कृतसे त्रिमुख ही रहना पड़े । केवल हिन्दुस्तानीके द्वारा ही हम गंगायमुना जैसी अिस सुरअसुरकी संस्कृतिका मेल करा सकते हैं । जिन्हें साहित्यके संस्कारोंको सर्वांगसुन्दर बनाना है अन्हें संस्कृत और फ़ारसी दोनों साहित्योंके अुकृष्ट ग्रंथोंके अनुवाद हिन्दुस्तानीमें कराने चाहिये और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि वह दोनों लिपियोंमें अुपलब्ध हों । अिन दोनोंका जब अेकसाथ सेवन होगा तब हमारे साहित्यसर्जनमें अेक नया ही तेज आ जायगा ।

२

पाठक देखेंगे कि 'जीवन भारती'में आया हुआ यह संप्रह फुटकर है । अैसे कालमें यह सब लिखा गया है जब कि मेरे शिक्षाविषयक प्रयोग चल रहे थे और साहित्य द्वारा शिक्षा देनेकी श्रद्धा कम हो गयी थी । अिसमेंसे कुछ तो मनोविनोदके लिये ही लिखा हुआ है, कुछ आग्रहके वश होकर लिखा है और कुछ खास खास अवसरोंपर लिखा है । अिसलिये अिसमें अैसा फुटकर चिन्तन बुना हुआ है जो अनायास आ सके । पिछले बीस बरससे साहित्यिक प्रवृत्तिके प्रति मैं अुदासीन

ही रहा हूँ। शिक्षाके काम से प्राप्त की हुधी फुरसतके वक्त यह सब लिखा गया है। अिसे स्कूलसे भाग जाने वाले विद्यार्थियोंके घुमक्कडपन जैसा स्वच्छन्द विहार समझा जा सकता है।

पुस्तकपरीक्षण या समालोचनाके विषयमें मेरे कुछ निश्चित विचार हुअे हैं। पुस्तकपरीक्षण ज्यादातर साहित्यकी दृष्टिमें होना है जो कि मुझे अुचिन नहीं लगता। कलात्मक दृष्टि महत्वकी ज़रूर है, मगर वह साहित्यका सर्वस्व नहीं है। जीवन-दृष्टिसे ही साहित्यका परीक्षण होना चाहिये। धर्मशास्त्रकी दृष्टि, सामाजिक शिष्टाचारकी दृष्टि और कलाके तंत्रकी दृष्टि-तीनों अेकांगी हैं। मैं मानता हूँ कि अिन तीनोंको मिश्रकर जीवनकी दृष्टिसे साहित्यका परीक्षण करने का नया ढंग पैदा करना चाहिये। मुझे अिस बातका दुख है कि अपने विचारके अनुसार मैं यह काम न कर सका। अब भी अगर बीमार पड़कर मैं पंगू हो जाऊँ तो संस्कृत, पाली, मागधी, ग्रीक, फारसी, चीनी और जर्मन साहित्य खूब गहराअी में पैठकर पढ़नेकी अिच्छा है। और वैसा करनेके बाद जीवनदृष्टि अेकाग्र करके अगर मैं साहित्यपरीक्षण लिख सका तो अपने स्वप्नजगत् की परीक्षण-पद्धतिकी झूठक देख और दिखा सकूंगा।

कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक साहित्यकारोंमें प्राचीनोंसे अूँचा कोअी भी नहीं है। मैं अुनसे सहमत नहीं हूँ। सत्ययुग सिर्फ़ भूत-कालमें ही था अिस तरहके विश्वासका पोषण लोग करते हैं अिसी लिये अैसी विपरीत मनोदशा दिग्वाअी देती है। आधुनिकोंमेंसे भी कुछ लोग भव्य साहित्यका निर्माण कर सके हैं, और साहित्यसेवक जैसे जैसे रसास्वाद परायण न होकर जीवनपरायण होते जायेंगे वैसे वैसे साहित्यमें अनन्त जीवनानुभव और अनिरुद्ध जीवनाविहार पाये जायेंगे।

हमारा जमाना पतित होनेपर भी अुसीमें से अद्भूत निर्मिति का सूचन होने लगा है। हिन्दकी आत्मा जागृत हुअी है। अभी तो वह

भले-बुरे सभी संस्कार ले लेती है, लेकिन यथासमय उसे उसमेंसे प्राह्याप्राह्य विवेक करना आ जायगा। हमारा समाज जैसे जैसे प्रयोगवीर होता जायगा वैसे वैसे उसे शुभ दृष्टि मिलती जायेगी और उसमेंसे उसे भारतवर्षका मिशन मिल जायगा। ऐसे प्रयोगवीरोंको ही स्वतंत्रता काम आती है। प्रयोगवीरोंमें ही निश्चयात्मक और तेजस्वी साहित्य प्रस्फुरित होता है। प्रयोगवीरों को ही भूतकाल का बोझ हलका लगता है और भविष्यकाल भयानक लगनेके बदले आकर्षक और अज्ज्वल मादम होता है। प्रयोगवीर ही मौलिक साहित्यका निर्माण कर सकते हैं और उसके द्वारा सर्वोदय साध सकते हैं।

वर्धा :

२८।१०।३७



: : : पुराने खेतकी नयी जुतायी

एक बूढ़े आदमीने अपने अन्त-समय पर अपने लड़कोंसे कहा कि उनको खेतमें कुछ गहराभीपर धन गड़ा हुआ है। लड़कोंने सारा खेत खोद डाला मगर वह धन न मिला। लेकिन उस साल फसल अितनी अच्छी आयी कि उसके सामने गड़ा हुआ माल मिलता तो भी वह नगण्य मादम होता। गहरी जुतायीका फल मिल गया।

सामान्य लोग विचारक्षेत्रमें जबतक अपूर-अपूरसे ही हल चलाते हैं तबतक सामाजिक जीवन प्राकृत और क्षीण रहता है। अपूरक्षीण रहता है। जब जब 'धीर' लोगोंने अुक्त बूढ़े के लड़कोंकी तरह खूब गहराभीतक खोदा है तबतब विचार की अपूर्व फसल आयी

है। श्रीकृष्णजीने अकवार ऐसा किया था। असीसे भारतीय विचार-सागरमें अितना ज्वार आया। बुद्ध भगवानने ऐसा कोयी भी प्रमाण मान लेने से अिन्कार किया जो आत्मप्रतीतिसे भिन्न हो, जिसके परिणामस्वरूप आर्य संस्कृतिकी ज्ञानाग्निपर जमी डुयी राख अुड़ गयी और आर्य विचार-राशि जगमगा अुठी। फ्रान्सके डिडेरो और दूसरे विश्वकोष-लेखकोंने विचारक्षेत्रको खोदखादकर यह देख लिया कि मनुष्य-समाज कौनकौनसे तत्त्वोंपर आधारित है। और तब यूरोपमें क्रान्ति होकर आम वर्ग स्वतंत्र हो गया। मार्टिन ल्यूथरने अपने समयकी धर्म 'व्यवस्था'को आगमें झोंक दिया जिससे समाजधर्मकी गंदगी साफ़ होकर स्वाभाविकता प्रतिष्ठित हो गयी। अिस तरह जब जब मनुष्य अंधपरंपराको फेंक दे कर छोटे मोटे हरेक पदार्थसे 'कोऽसि ?। तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम्-?' ऐसा सवाल पूछनेकी हिम्मत करता है तब धर्म-संस्करण होता है, जनतामें नया बल आ जाता है, विद्वानोंको नयी दृष्टि प्राप्त होती है और अिस दृष्टिका असर चौदह विद्या और चौसठ कलाओंपर पड़ता है।

आज हिन्दुस्तानमें अिसी तरहकी तत्त्वजिज्ञासा, धर्मजागृति और कर्म-विचिकित्सा सुलग अुठी है। प्रत्येक वस्तुका रहस्य हम खोजते हैं, जीवनका परम रहस्य नये सिरेसे जान लेते हैं और अुसे आचरणमें लाना चाहते हैं; नयी समाजव्यवस्था और नयी आचारविधियों द्वारा हम अुसे समाजमें दाखिल करना चाहते हैं और यह नया प्राण लेकर हम विचारकी दुनियापर शुद्ध व सात्त्विक दिग्विजय प्राप्त करना चाहते हैं।

आज कृष्ण और शंकराचार्य, बुद्ध और महावीर, चैतन्य और नानक, मेसाया और महादी, सभी नये नये अवतार लेनेवाले हैं, नये स्वरूप धारण करनेवाले हैं, शायद वह अेकरूप भी होंगे,

शायद अेक ही व्यक्ति अनेक रूप धारण करेगा; क्यों कि हम विचार-सागरको आन्दोलित करनेकी हिम्मत और कोशिश कर रहे हैं ।



सौन्दर्यका मर्म

साहित्य की भाषा मानो अेक वर्तन है । साहित्यका मूल्य अिस बातसे निर्धारित होता है कि हम अुस बर्तनमें किस किस्मकां माल भरना चाहते हैं ।

कुछ लोग समझते हैं कि साहित्यकी सारी कल्पना अुसके रूप और सौन्दर्यपर रची हुआ है । कोअी भी विचार या कल्पना अगर आकर्षक रूपमें रखी हुआ हो, अुममेंसे चमत्कृति पैदा होती हो तो वह साहित्य है । भारी से भारी मूल्यवान विचार या अनुभव और आसमानतक अुड़नेवाली कल्पना अगर रोचक रूपमें न रखी गयी हो तो अुसे हम साहित्य न कहेंगे । अुसे दर्शन कहो, धर्मशास्त्र कहो या सन्तवाणी कहो । अुसे आप साहित्य नहीं कह सकते ।

अिसके विपरीत अगर कोअी विचार बिलकुल मामूली हो, कल्पना छिछली हो, आदर्श हलका और समाजविनाशक हो, लेकिन अगर वह मनोरंजन करता हो और अुसका स्वरूप चित्ताकर्षक हो तो वह अुच्च कोटिका साहित्य कहा जायगा । मनोविनोद, चित्ताकर्षण और रूपलावण्य ही साहित्यका प्राण है ।

अिसमें कोअी शक नहीं कि कोअी भी वाग्व्यापार अगर चित्ताकर्षक रूपमें पेश न किया गया होता तो हम अुसे सरस साहित्यके तौरपर नहीं पहचानते, लेकिन अगर अुस साहित्यमें आया हुआ

विचार हीन हो, अनुभव छिल्ला हो, और कल्पना सड़ी हुई हो तो सिर्फ रूपपरसे ही हम उसे उत्तम साहित्य नहीं कहते ।

अब जरा रूपका स्वरूप जाँच लें । कोभी भी युवक अथवा युवति शरीर और मनसे नीरोग हो, व्यायाम, संयम तथा प्रसन्नतासे उसने अपने यौवनकी अच्छी रक्षा की हो तो उसमें आप ही आप अमुक मात्रामें सौन्दर्य आही जाता है । यह सौन्दर्य साबुनसे, तरह तरहके खुशबूदार तेलोंका अिस्तेमाल करनेसे या नये ढंगके अनेक रंग और दवाइयाँ लगानेसे नहीं आ सकना । आरोग्य और यौवन स्वयं ही सुन्दर होता है । सुन्दरता और आकर्षकता उसकी सहज सुवास होती है । लेकिन अिसके विपरीत अगर शरीर बीमार हो, मन विकृत हो, स्वभाव स्वार्थी, चिड़चिड़ा या अहंप्रेमी हो और यह सब छिपानेके लिये कपड़ोंकी सजावट, शिष्टाचारकी तमीज़ और हालचालके नाज़ व नखरों द्वारा सौन्दर्य लाया गया हो तो कुछ भूखे लोग उस चमक-दमकसे भले ही आकर्षित हो जाँयँ, लेकिन जानकार, स्वच्छ अभिरुचि रखनेवाले लोग यह सारा प्रयास देखकर दुखी ही होंगे, उनके मनमें ग्लानि ही पैदा होगी ।

साहित्यका भी ऐसा ही है । साहित्य जीवनका प्रतीक है । जीवन अगर नीरोग, प्रसन्न, सेवापरायण, प्रेमपूर्ण और पराक्रमी होगा तो उसके सभी व्यापार आकर्षक और प्रभावशाली होंगे । जिस विचारमें आर्थता है, अुदात्तता है, सर्व मंगलकारी कल्याण की भावना है उसका शब्दशरीर आप ही आप भाव-गंभीर, ललित-कोमल और प्रसादपूर्ण होगा । अुच्च साहित्य सुन्दर होता ही है, लेकिन सजधज करनेसे कोभी साहित्य अुच्च या शिष्ट नहीं होता ।

अिसलिये केवल साहित्यकी अुपासना करने के बजाय अगर हम आर्य और प्रसन्न जीवनकी अुपासना करें तो साहित्यकी सुन्दरता

स्वयं ही फूट निकलेगी। वृत्तिकी आर्यता ही शिष्टाचार या तमीज़ की आत्मा है। निरा शिष्टाचार हास्यास्पद होता है या दिलको अुकता देता है। खोखली सौन्दर्योपासना अिससे अन्य कोअी असर पैदा नहीं कर सकती।

जिस साहित्यमें प्रगतिशील जीवनकी प्रेरणा अथवा प्रतिध्वनि हो वह साहित्य प्रगतिशील है। अैसे साहित्यमें और सब कुछ हो या न हो, अनुकरण तो हरगिज़ नहीं होना चाहिये। दूसरा कुछ हो या न हो, अुदेश्यका अभाव तो कभी नहीं होना चाहिये।

जून १९३७



साहित्यसेवा

मैं साहित्यसेवी नहीं हूँ; साहित्योपासक भी नहीं हूँ। हाँ साहित्यप्रेमी जरूर हूँ। मैंने साहित्यका आस्वाद लिया है। अुसका असर मुझपर हुआ है। मैंने देखा है कि अुत्कृष्ट साहित्य बुद्धिको प्रगल्भ बनाता है, भावोंको सूक्ष्म बनाता है, अनुभवको धुनकर विशद करता है, धर्मबुद्धिको जागृत करता है, हृदयकी वेदनाको व्यक्त और तेजस्वी बनाता है, सहानुभूतिकी वृद्धि करता है और आनन्दको स्थायी बनाता है। अिस वजहसे साहित्यके प्रति मेरे मनमें आदर है। लेकिन मैंने अपनी निष्ठा साहित्यको समर्पित नहीं की है। साहित्यको मैं अपना अिष्ट देवता नहीं मानता। साहित्यको मैं साधनके तौरपर ही स्वीकार करता हूँ, और वह साधनके तौरपर ही रहे अैसा—अगर आप मुझे माफ़ करें तो कहूँ कि—मैं चाहता भी हूँ। गोस्वामी तुलसीदासजीके मनमें हनुमानजीके प्रति आदर था लेकिन अुनकी निष्ठा तो श्रीरामचन्द्रजीके प्रति ही थी।

अिसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारी अुगासना जीवनकी ही हो । साहित्य तो जीवनरूपी प्रभुकी सेवा करनेवाले अनन्यनिष्ठ भक्तके स्थानपर ही शोभा देता है । वह जब अपनी ही अुगासना शुरू करता है तब वह अपना धर्म भूल जाता है । मनुष्य अगर अपने ही सुखका विचार करे, अपनी ही सङ्कलित्तोंकी खोजके पीछे अपनी बुद्धि खर्च कर डाले और अपने ही आनंदमें स्वयं रममाण-मशगूल हो जाय तो जिस तरह अुसका जीवनविकास अटक जाता है और अुसमें विकृति पैदा होती है, अुसी तरह साहित्यके बारेमें भी होता है । जब 'केवल साहित्यके लिये साहित्य' का निर्माण होता है, यानी लोग जब साहित्यकी केवल साहित्यके तौरपर ही अुपासना करते हैं तब शुरूमें तो यह सब खूबमूरत दिखायी देता है, विशेष आकर्षक लगता है, जब तक अुसकी पूर्व-पुण्यायी खःम न हो तब तक अैसा भी महसूस होता है कि अुसका बहुत विकास हो रहा है, लेकिन अंदरसे वह निःसत्त्व होता जाता है । साहित्यको अुसका पोषण साहित्यमेंसे नहीं बल्कि जीवनमेंसे, मनुष्यके पुरुषार्थमेंसे भिडना चाहिये । साहित्यमेंसे ही पोषण प्राप्त करनेवाला साहित्य कृत्रिम है, वह हमें आगे नहीं ले जा सकता ।

अिस तरहके कुछ कुछ संकुचित या तंग विचार मैं रखना हूँ । अिसलिये 'केवल साहित्य' के अुपासकोंसे मैं डरता हूँ । अुनका देवता अलग है, मेरा देवता अलग । लेकिन साहित्योपासक बहुत अुदार होते हैं । हालाँकि मैं साहित्योपासक नहीं हूँ, फिर भी वह अिस बात को स्वीकार करते हैं कि 'अविधिपूर्वकम्' ही क्यों न हो, लेकिन मैं साहित्यका यजन करता हूँ, और मैं 'श्रद्धयान्वित' हूँ । अतः साहित्यके विषयमें अपने कुछ विचार आप लोगोंके सामने पेश करनेकी धृष्टता मैं कर रहा हूँ । आप सबकी अुदारतापर मुझे विश्वास है ।

मनुष्यके विचार, उसकी कल्पनाओं, भावनाओं, भावुकताओं अथवा भावुकताप्रधान अनुभव दूसरोंके सामने परिणामकारक तरीकेसे व्यक्त करनेकी शक्ति जिस वस्तुमें है वह साहित्य है—यह मेरी अपनी साहित्यकी परिभाषा है। मुझे मालूम है कि तार्किक लोग अेक क्षणमें उसको छिन्नभिन्न कर सकते हैं, लेकिन अपूर्ण मनुष्यकी बनायी हुई परिभाषाओं अगर अपूर्ण हों तो उसमें आश्चर्य क्या ? जिसमें भावोंपर अनायास प्रभाव डालनेकी शक्ति है वह साहित्य है। सांसारिकता यानी छूतपन साहित्यका प्रधान गुण है।

यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। भावनाओं मनुष्य-जीवनका लगभग सर्वस्व होनेकी वजहसे उनपर जिस वस्तुका प्रभाव पड़ता है उस वस्तुकी तरफसे लापरवाह रहनेसे काम नहीं चलता। हवा, पानी, खुराक वगैरा शुद्ध रखनेका आग्रह जिस तरह हम रखते हैं या हमें रखना चाहिये उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा आग्रह हमें साहित्यकी शुद्धिके सम्बन्धमें रखना चाहिये। शील की तरह साहित्यकी रक्षा जहाँ की जाती है वहाँ जीवन पवित्र, प्रसन्न और पुरुषार्थी होगा ही। अुच्चारणशुद्धि, हिज्जोंकी शुद्धि, व्याकरणकी शुद्धि आदि प्राथमिक बातोंसे लेकर साहित्यके प्रत्येक अंगप्रत्यंगमें शुद्धिका आग्रह होना चाहिये। लेकिन उसमें कृत्रिमता न आये, बाह्याडंबर न आये, दंभ न आये, कर्मकांड न आये।

निर्व्याज मुग्धता शुद्धिका अेक पहलू है और संस्कारिता दूसरा पहलू। दोनों तरहसे शुद्धिकी रक्षा की जाती है। लेकिन अगर हम शिथिलताके ही हामी बन जायँ और हर तरहकी विकृतिको भी नजरअंदाज करनेको तैयार हो जायँ, अगर सामाजिक जीवनमें सदाचारका और साहित्यमें शुद्धिका थोड़ा भी आग्रह रखनेका जो कोई प्रयत्न करेगा उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करके उसे चुप

करनेकी कोशिश करें तो उससे समाजका पारावार नुकसान होनेवाला है। सामाजिक जीवनमें हो या साहित्यमें, शुद्धि रखनेकी जिम्मेदारी विशिष्ट श्रेष्ठ वर्गकी ही होती है। पुलिस या अदालतोंके जरिये सामाजिक सदाचारका सर्वोच्च आदर्श नहीं टिक सकता। साहित्यकी भी यही हालत है। समाजके स्वाभाविक अगुआ जब शिथिल हो जाते हैं, भीरु हो जाते हैं अथवा अदासीन हो जाते हैं तब समाजको बचानेवाली कोअी भी शक्ति नहीं रहती।

साहित्यकी प्रवृत्ति हमेशा समाजसेवाके लिये ही होती हो सो बात नहीं। मानसिक आनंद, सन्तोष, झुंझलाहट या व्यथा को प्रकट करनेकी, शब्दबद्ध करनेकी जो सहजप्रवृत्ति मनुष्यमें है उसमेंसे साहित्यका अद्गम होता है। संगीतकी तरह साहित्यका आनन्द भी मनुष्य अकेले अकेले ले सकता है; फिर भी तमाम वाग्व्यापार सामाजिक जीवनके लिये ही हैं। साहित्यकी प्रवृत्ति प्रधानतया अपने भावप्रधान मनन अथवा अद्गारोंको दूसरेमें संक्रान्त करनेकी अिच्छासे हुआ करती है। असलिये यह कहा जा सकता है कि साहित्य प्रधानतया सामाजिक वस्तु है। जीवनकी सभी अच्छी चीजोंकी तरह सच्चा साहित्य आत्मनेपदी भी होता है और परस्मैपदी भी। मनुष्यके सर्वोच्च सद्गुण उसके सामाजिक जीवनमेंसे पैदा होते हैं। और तो और, अनन्यनिरपेक्ष मोक्षेच्छा भी सबोंके साथ आत्मौपम्य अनुभव करनेके लिये ही है, यानी उसका प्रारंभ और अन्त सामाजिक जीवनकी कृतार्थताके साथ ही है। साहित्यके बारेमें भी ऐसा ही कहा जा सकता है। जिस तरह गायनके साथ तंबूरेकी आवाज़ साथ लिया ही करती है उस तरह साहित्यके तमाम विस्तारमें जनहितका, लोककल्याणका सूर कायम रहना ही चाहिये। जो कुछ अिससे विसंवादी होगा वह संगीत नहीं बल्कि मानसिक कोलाहल है। वह साहित्य नहीं बल्कि मानसिक ज़हर है।

एकबार हिन्दुस्तानके ऐतिहासिक पुरुषोंकी सूचीमें मैंने श्रीमद् भगवद्गीताका नाम भी जोड़ दिया था । 'जिसके व्यक्तित्वकी छाप समाजपर अलग अलग समयपर अलग अलग ढंगसे पड़ती है और इसलिये जिसके चिरंजीवीपनका अनुभव हमेशा होता रहता है वह है व्यक्ति अथवा पुरुष' ऐसी परिभाषा की जाय तो हम यह मान सकते हैं कि भगवद्गीताको राष्ट्रपुरुष कहनेमें औचित्यका कोअी भंग नहीं है । साहित्यके बारेमें भी यही बात है । अक या अन्य प्रकारसे सामर्थ्य प्रकट करनेवाले व्यक्तिके हृदयसर्वस्व होनेके कारण व्यक्तिके प्रभावकी तरह उस व्यक्तिके साहित्यका भी प्रभाव हुआ करता है । प्रभु, मित्र या कान्ताके साथ साहित्यकी तुलना करनेवाले साहित्याचार्योंने यही बात दूसरे ढंगसे कही है । 'प्रभु'की जगह आज हम 'गुरु' शब्दको अधिक पसन्द करते हैं । गुरु, मित्र और जीवनसहचरी तीनों संबन्ध पवित्र हैं, अुदात्त हैं । साहित्यका विरुद्ध (टेक) ऐसा ही होना चाहिये । सामाजिक व्यवहारमें हम चाहे जिस आदमी को घरमें घुसने नहीं देते । चोर, शठ, पिशुन या भुजंग की श्रेणीके लोगोंको हम देहली के अन्दर पैर नहीं रखने देते । साहित्यके अपूर भी हमारी ऐसी ही चौकी होनी चाहिये । अपवित्र मनुष्य चाहे जितना शिष्टाचारी क्यों न हो, अुसे जिस तरह हम अपने बालबच्चोंके साथ बगैर किसी रोकटोकके मिलने-जुलने नहीं देते अुसी तरह पापाचरणको अुत्तेजन देनेवाले साहित्यको भी हमें अपने घरमें घुसने नहीं देना चाहिये । घरसे बाहरके व्यवहारमें जहाँ सभी किस्मके लोगोंके साथ सम्बन्ध आता है वहाँ अच्छी और खराब बातोंको परखनेकी कला जिस तरह हम अपने बालकों को प्रदान करते हैं और अतिप्रसंगी (ज्यादती करनेवाले) मनुष्यको दूर रखनेको सिखाते हैं अुसी तरह साहित्यमें भी दुष्ट साहित्यके हावभावोंमें न फँसकर अुसे

नर मनकेकी कला बड़े ध्याने बालकोंको सिगानी चाहिये ।

लेकिन मैं जानता हूँ कि आजकी हवा इस तरहकी नहीं है। शिष्टाचारकी पुरानी बाड़ें तोड़नेका ही प्रयत्न हमने शुरू किया है। उनके स्थानपर नये आदर्शकी नयी मर्यादाओं तैयार करनेकी हम नहीं सूझी है। कृत्रिम या यांत्रिक बाड़ोंकी हिमायत मैं भी नहीं करता। लेकिन समाजहृदयमें कुछ न कुछ आदर्श तो होना ही चाहिये और उस आदर्शकी रक्षा करनेका आग्रह रखनेवाले समाजधुरीण भी चाहिये। वे अगर अपना यह स्वभावसिद्ध कुलव्रत छोड़ दें तो संस्कृति कैसे टिक सकेगी ? संस्कृति तो अँगीठीकी आगकी तरह जबतक हवा चलती है तभी तक टिकनेवाली चीज़ है। पुरुषार्थ और जागृतिकी चौकी के बिना अक भी संस्कृति नहीं बची है। संस्कृतिको प्रकृतिके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन आज तो ऐसा ही लगता है कि मानो हम सामाजिक अराजकता ही पसन्द करते हैं। यह तो साफ जाहिर है कि पुरानी व्यवस्था अब नहीं टिक सकती, न टिकनी भी चाहिये। लेकिन पुरानीकी जगह नयी व्यवस्था रचने के लिये आवश्यक प्राणबल हमारे समाजमें होना चाहिये। कानूनके अंकुश की बात मैं नहीं करता। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि साहित्यपर कानूनका अंकुश कमसे कम होना चाहिये। सदाचारकी सर्वोच्च कोटिका विचार करके कानून नहीं चलता। कानूनकी आँखें स्थूल होती हैं, जड होती हैं और उसके उपाय असंस्कारी होते हैं। साहित्यपर अंकुश होना चाहिये लोकमतका। लोकमतका के मानी हैं संस्कारी, अुदार, चारित्र्यवत्सल समाजधुरीणोंका। ऐसा कुछ करने के लिये आजका समाज तैयार नहीं है यह मुझे मादूम न हो सो बात नहीं। लेकिन यह कहना ही पड़ेगा कि इससे समाज अपना ही नुकसान कर लेता है। 'नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्' इस दलील की आड में हम सारी मर्यादाओंको छेद उडाना तो नहीं चाहते ?

साहित्य है कलाकाही अेक विभाग । असलिये कलाके नियम असपर भी लागू किये जाते हैं । कलाके लिये ही कला है, कला कभी भी किसी बाह्य वस्तुके अंकुशको स्वीकार नहीं करेगी—अैसा कहनेवाले केवल—कलावादी लोग नीतिके अंकुशका हमेशा मज़ाक अुड़ाते आये हैं । ‘स्वात्मनि अेव समाप्त महिमा’ अस तरहकी यह कला देखते देखते निरर्गल, स्वार्थी बन जाती है । और स्वार्थके साथ सत्त्व कब टिका है ? Art for Art's sake (कला कलाके लिये) की परिणति Art for the Artist's sake (कला कलाकारके लिये) में हो जाती है ।

मेरा यह आग्रह नहीं है कि कलाको नीतिका अंकुश स्वीकारना ही चाहिये । लेकिन असका कारण अलग है । साहित्यके पास असका अपना गर्भीर्य, अपनी प्रसन्नता और पवित्रता क्यों न हो ? हास्य-विनोद अिन तीनोंका कोअी विरोधी नहीं है । अितना ही नहीं वल्कि वह अिन तीनोंको अुच्च कोटिको पहुँचाकर दिखाता है । अगर साहित्य स्वधर्मका पालन करे तो अुसे नीतिका अंकुश स्वीकारना न पड़ेगा । साहित्य जब हीन अभिरुचि के या कला-शत्रु विलासिताके शराबखानेमें जा पड़ता है तब नीतिको लाचार होकर अुसे वहाँसे अुठाकर घर लाना पड़ता है । स्वराज्यमें या सुराज्यमें सदाचारी और स्वयंशासित नागरिकोंको नगररक्षकोंसे डरनेका कोअी कारण रहता ही नहीं ।

लेकिन कला और साहित्य अेक ही वस्तु नहीं हैं । सुन्दरता साहित्यका भूषण है न कि सर्वस्व । साहित्यका सर्वस्व, साहित्यका प्राण अोजस्विता है, विक्रमशीलता है, सत्त्ववृद्धि है । जीवनके विविध क्षेत्रोंमें पौरुषकी वृद्धि करनेमें ही साहित्यकी अुन्नति रही है ।

क्या विषयसेवन समाजमें अितना क्षीण हो गया है कि विलासप्रेरक

साहित्यके द्वारा उसे उत्तेजन देनेकी आवश्यकता उत्पन्न हुआ है ? समाजकी तरह साहित्यको भी देहधारीके नियमोंके वश होकर अुच्च-नीच स्थितियाँ भुगतनी पड़ती हैं । जब समाजका सम्पूर्ण अुत्कर्ष हो चुका हो, उसके कारण आनेवाली समृद्धि भी थक गयी हो, तब भले ही समाज विलासितामें डूबकर सर्वस्व खोनेको तैयार हो जाय; लेकिन जब पतित समाज मानवजातिपर आनेवाली सभी आपत्तियोंका दुर्दैवी संग्रहस्थान बन गया हो, करोड़ों लोग भूखसे या निराशासे तड़पते हों, पुरुषार्थका जहाँ तहाँ भाटा ही दिखायी देता हो और बरसातके दिनोंकी काली रातकी तरह चारों ओर अज्ञान फैला हुआ हो, जैसे वक्तपर तो हृदयकी दुर्बलता बढ़ानेवाला, नामर्द वासनाओको खूबसूरत करके दिखानेवाला और अनेक हीन वृत्तियोंका बचाव या तरफदारी करनेवाला हत्यारा साहित्य हम पैदा न करें !! चढ़नेसे पहले ही पड़नेकी तैयारी कैसी ?

सिंहासनवृत्तीसी और बेतालपच्चीसीके वातावरणसे हम अभी कहीं बाहर निकले हैं, तो फिर उसी वातावरणका सुधरा हुआ और आडंबरपूर्ण संस्करण निकाटकर क्या हम चढ़ सकते हैं ? दुर्गुणका कलेवर भलेही सुन्दर हो, उसकी पोशाक भलेही प्रतिष्ठित हो, अतने भरसे वह कम मारक साबित नहीं होता; बल्कि वह ज्यादा खतरनाक हो जाता है ।

अपनी समाजव्यवस्थाकी सुन्दरताका हम चाहे जितना बखान करें, मगर उसमें आज अेक नुटि स्पष्ट दिखायी देती है । अेक जमाना था जब हम सब संस्कृतमें ही लिखते थे । असलिये हमारे प्रौढ और ललित विचार सामान्य समाजके लिये दुष्प्राप्य हुआे थे । लेकिन उस अुक्त संत-कावि और कथा-कीर्तनकार .वह सारा कीमती माल अपनी शक्ति के अनुसार स्वभाषाकी फुटकर दूकानोंमें सस्ते दाम बेचते थे ।

मुगल कालमें अर्दूकी प्रतिष्ठा बढ़ी और अरबी, फारसी भाषाओंसे कवियोंको प्रेरणा मिलने लगी। अंग्रेजी जमाना शुरू हुआ और अपनी सारी मानसिक खुराक अंग्रेजीसे लेनेकी हमें आदत पड़ गयी। उसका अच्छा और बुरा दोनों तरहका असर हमारी मनोरचनापर पडा है; साहित्यपर तो पडा ही है। आजकलके हमारे अखबार और मासिक-पत्रिकाएँ नये जमानेके विचार फुटकर भावसे बेचनेका काम करने लगी हैं। लेकिन अिन तीनों युगोंमें गरीब श्रेणीके लोगोंके लिये, देहातियों और मजदूरों के लिये, स्त्रियों और बालकों के लिये विशेष प्रयास नहीं हुआ है। अशिक्षित समाज में भी उनका सामाजिक प्राण बहुत कुछ साहित्यका निर्माण करता है। हमारे संस्कारी देशमें साधुसन्तोंकी कृपासे उसमें अमुक वृद्धि हुई तो अिससे आश्चर्यान्वित होनेका कोई कारण नहीं। लेकिन ज्यादातर मध्यम श्रेणीका ही विचार हम हमेशा करते आये हैं। हम यह भूल गये हैं कि गरीब लोगोंका जीवन सन्तोषमय, आशामय और संस्कारमय करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। कुछ अिनीगिनी कहानियोंको छोड़ दें तो हमारी कहानियों और अपन्यासोंमें गरीबों के करुण काव्यमय जीवन का विचार भी नहीं होता। पुराणकारोंने जिस तरह अमृत, अप्सरा और अीर्ष्यासे भरे हुए स्वर्गकी कल्पना की, उस तरह आजकलके अपन्यासकार अैसेही किसी बेकार आदमीकी कल्पना करते हैं जो वकील-बैरिस्टर हुआ हो, जिसने विलायतका सफर किया हो या वसीयतनामा से जिसको खूब पैसा मिला हो और उसके आत्मनि संतुष्ट निरर्थक जीवनका सविस्तार वर्णन करते हैं। जातिभेद हमारे मनोरथोंमें भी अितना भरा हुआ है कि मध्यम श्रेणीके बाहरकी दुनियाको हम नहीं देख सकते। बिलकुल गरीब लोगोंका जीवन हमें दयापात्र किन्तु रहस्यशून्य लगता है। अीसपके उस बारहसींगेकी तरह हम सिरपरके सींगोंके गरूरमें अपने पतले पैरोंका तिरस्कार करने लगे हैं;

या तिरस्कार करने जितना भी ध्यान हम अनुकी तरफ नहीं देते। कर्म और पुनर्जन्मके सिद्धान्तका आश्रय लेकर हम अपने अनाथ-द्रोहको ढँक लेते हैं, अनाथों की सेवा तो दूर रही, अनुका स्मरण तक हम नहीं करते। अंग्रेज कवि हूडके Song of the Shirt (कमीज़ का गीत) की बराबरी कर सके जैसा मौलिक काव्य क्या किसीने लिखा है? असिपके उस बारहसौगैकी जो हालत अन्तमें हुआ वही हालत हमारी हमेशा होती आयी है। और अब तो विनाशकी घटाओं सिरपर मँडरा रही हैं। हमारा लोकप्रिय साहित्य हमारी सामाजिक स्थितिका सूचन करता है। जो कुछ दिलमें होगा वही होठोंपर आयेगा न? गरीबोंकी मुश्किलें कौन कौनसी हैं, अनुका दर्द-दुःख क्या है, अनुके सवाल कितने पेचीदा और विशाल हैं अिन सब बातों पर जिम्मेदारीके साथ विचार करके असली सवाल हल कर सके जैसी योजना जब होगी तभी गरीबोंके दिलोंमें कुछ आशा पैदा होगी न? जिसकी हम औरण चुराते हैं उसीको अगर दानमें छोटीसी सूअी देते हों तो वह लेते समय लेनेवालेके दिलमें कैसी भावना उत्पन्न होगी? हमारा साहित्य अगर हमें अपना युगधर्म न बताये और उस धर्म का पालन करने की प्रेरणा हमें न दे तो वह बाकी सब तरहसे सरस होते हुआ भी उसे विफल ही कहना चाहिये।

गरीबोंको बाहर रखनेके लिये जिस तरह हम किवाड बंद करके खाना खाते हैं और पंक्तिभेद का प्रपंच रचते हैं उसी तरह हमने साहित्यकी विशिष्ट कठिन शैलियों को अपनाकर ज्ञानकी प्याअू में ज्ञातिभेद पैदा किया है। अुदात्त, अुन्नत विचार आम जनताको जिस आसानीसे मिलने चाहिये वह नहीं मिल सकते। हमारे साधुसन्तोंने गरीबीका व्रत ले लिया था; अिसी लिये वह गरीबोंकी सेवा कर सके और गरीबोंके लिये प्राणपूर्ण साहित्य लिख सके। हिन्दुस्तानकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जन संख्या है। लेकिन हमने गरीबोंका द्रोह करके अिसी

बलको भाररूप बना दिया है। जबतक हम गरीबोंके लिये साहित्य न लिखेंगे, हज़ारों की तादाद में बाहर निकलकर गरीबोंको हमारा इतिहास और आजकी हमारी स्थिति, हमारा काव्य और हमारा धर्म तथा अुसकी खूबियाँ न समझाअेंगे, अपने जीवन पर जमी हुआ रख हटाकर अुसे प्रदीप्त करने की प्रेरणा न देंगे तब तक हमारा साहित्य पंडुरोगी ही रहेगा।

साहित्यकी अुन्नतिके लिये तैयार होनेवाली योजनाओंमें कोष और सन्दर्भग्रंथ, अितेहास और विवेचन, पाठ्यपुस्तकें और प्रमाणग्रंथ, परिषदें और समितियाँ-बहुत कुछ बातें होती हैं। वह सब छोड़कर साहित्यके अुद्धारके लिये गरीब जनताकी सेवा करने की सूचना मैं कर रहा हूँ यह देखकर कुछ लोगोंको अैसा लगेगा कि मैं साहित्य-मंडलको समाजसुधार-परिषद समझनेकी भूल करके बातें कर रहा हूँ। मुझपर यह अिलज़ाम भले ही लगाया जाय लेकिन मैं तो निश्चित रूपसे यह मानता हूँ कि पेड़ को जिस तरह प्रधानतया ज़मीनमें से ही पोषण मिलता है, अुस तरह साहित्यका पोषण समाजमें ही है। मानवता और धर्मनिष्ठा में से ही हमारा साहित्य समृद्ध होनेवाला है अिसमें मुझे तनिक भी शक नहीं है।

अुल्लिखित आजकलकी योजनाओंको मैं नीचा दिखाना नहीं चाहता। अुनमें यथा शक्ति भाग भी लेना चाहता हूँ। लेकिन असली बातको भूल जानेसे काम न चलेगा।

जहाँ पुरुषार्थ की कमी हो जाती है और जीवनमें शिथिलता आ जाती है वहाँ साहित्यके बारेमें अल्पसन्तोष और रसिकताका छिल्लापन स्वाभाविक रूपसे आ जाता है। आज हम महाकाव्य नहीं लिख सकते, हमारी प्रतिभा चौदह पंक्तियाँ किसी तरह पूरी करनेसे पहलेही सूख जाती है - अिस तरहकी आलोचना मैं नहीं करना

चाहता। काव्यकी लम्बाई-चौड़ाईपर मैं अधिक जोर देना नहीं चाहता। लेकिन हमारे काव्यविषय अतुंग अथवा गंभीर नहीं हुआ करते, हमारे काव्यविवेचन सर्वकश और अुकट नहीं हुआ करते ऐसी आलोचना मैं जरूर करूँगा।

साहित्य तो ज्यादातर व्यक्तिगत प्रयास ही है। वह जबतक गंभीर और दीर्घ अद्योगके परिणामरूप न होगा तब तक छिल्ला ही रहेगा। अीश्वरने असाधारण प्रतिभा प्रदान की हो तो भी वह शक्ति बीजरूप ही होगी। मनुष्यको कमसे कम मालीका काम तो अीमान-दारीके साथ करना ही चाहिये। साहित्यमें सहयोग के साथ काम किये बिना भी न चलेगा। सहयोगके लिये जो सद्गुण अवश्यक हैं अन्हें अपनेमें लाये बिना अब एक कदम भी आगे बढ़ना मुशकल है। सिद्धान्तका आग्रह, स्वभाव भेदको नजरअन्दाज करनेकी शक्ति, तफसीलमें अुतरनेकी कुशलता और अेक ही संकल्पको लम्बे अरसे तक चिपके रहनेकी दृढ़ता-अिन सामाजिक सद्गुणोंका विकास अगर हम न करेंगे तो हमारे हाथों कुछ विशेष साहित्यसेवा हो ही न सकेगी।

यह तो हुआ साहित्यकी सेवा। किन्तु सच्चे साहित्यका निर्माण तो जनताके पुरुषार्थका ही फल है। 'कारभार (कारोबार) में दखल देनेकी अिजाजत न होगी तो करभार भी नहीं दिया जा सकता।' अिस जगविख्यात सूत्रके पीछे सिर्फ भाषासौष्ठव या अनुप्रासकी लज्जत नहीं है। अुसमें लज्जतकी अपेक्षा अमेरिकन जनताका पुरुषार्थ ही प्रमुख वस्तु है। साहित्यकी उन्नति जनताकी अुन्नतिके साथ ही होती है। आपके ज़िलेके किसानोंने गुजराती भाषामें जो वृद्धि की है वह अपनी दो-चार परिषदें भी न कर सकेंगी। 'हमने वल्लभभाअीके हाथों अपना सिर सौँपा है न कि नाक।' अिस वचनपर गुजराती जनताको हमेशा नाज़ रहेगा। 'हमारे खर्चेसे बन्दूकें और तोपें रखते

हैं मगर कमी दिखाते भी नहीं। हमारे बालबच्चोंको बन्दूकों और तोपोंका मजा चखवायेंगे तो हमारी औल्लाद तो सुधरेगो।' यह अेक ही वाक्य गुजराती भाषाको वीर्यशाली बनानेके लिये काफ़ी है। साबरमतीके किनारे गांधीजीने और बारडोली के खेतोंमें वल्लभभाओने जिस भाषाको घड़ाया है वह भाषा अपनी स्वाभाविकतासे ही धीरोदात्त और प्रौढ़ बनी है। साहित्य तो जनताके पराक्रमका प्रसाद है। बूढ़ा मिशनरी टेलर हमसे कह गया है, 'यथा भापकस्त तथा भापा'। साहित्यकी अनुत्ति करनी हो तो अपने जीवनको अनुत्त करो। साहित्य जीवनकी छाया है, जीवनकी सुगंध है।

(ता. १५।९।१९२८ को सूरत-साहित्य-मंडलके वार्षिक उत्सव के अवसरपर दिया हुआ भाषण।)



: : : : साहित्योपासना

कोओ परीक्षामें पास हो जाय, किसीके घर लड़का पैदा हो, किसीका विल्लुड़ा हुआ भाओ फिरसे मिल जाय, या किसीको लाटरामें ओनाम मिल जाय तो उस खबरका तार लानेवालेको वह कुछ न कुछ ओनाम देता है। मालिक को तारका महत्त जितना अधिक होगा उतनी मात्रामें तार लानेवालेके विषयमें अेक प्रकारकी उपकार-बुद्धि-सी उसके मनमें रहती है। और असलिये अच्छा-सा ओनाम देकर असि उपकारकी पूर्ति करनेकी वह कोशिश करता है। असलमें देखा जाय तो तार लानेवालेका उपकार कैसा? तारका मजमून बनानेमें उसका हिस्सा थोड़ा ही हुआ करता है? मनिआर्डर या पारसल लानेवाले डाकियेकी हालत भी ऐसी ही है।

फिर भी आनन्दमूढ़ होना मनुष्यका स्वभाव है। लेकिन इस मनुष्यस्वभावके कारण अनाममें मिला हुआ पैसा जेबमें डालनेवाला डाकिया अगर अपनी ही बड़ाही महसूस करने लग जाय तो उसके जैसा मूरख वही है।

अध्यापककी कुर्सीपर बैठकर विद्यार्थियोंके सामने सुन्दर साहित्य परोसनेका काम जो लोग करते हैं उनके प्रति भी इसी तरहकी कृतज्ञताबुद्धि विद्यार्थियोंके मनमें रहा करती है। साहित्यक्षेत्रमें अच्छे अच्छे फल चुननेमें अध्यापककी कुशलता, सदभिरुचि और विद्यार्थिका कल्याण समझनेकी सद्बुद्धि-अन सत्र बातोंको महत्त्व है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर अध्यापक ऐसा गर्व करेगा कि अन परिपक्व साहित्यफलोंको मानो उसीने जन्म दिया है, तो उसका वैसा करना हास्यास्पद होगा।

ऐसा मानना, कि हमें जिस वस्तुसे आनन्द हुआ उसी वस्तुका हमारे कहनेसे-आस्वाद लेकर दूसरा आदमी उतना ही आनंदित हो जाय तो वैसा करके उसने हमारे आनन्दको दुगुना बनानेमें मदद दी-यह उसीका हमारे ऊपर उपकार है' शायद ठीक होगा।



जो हो, दुनियाकी तरफ देखनेकी दृष्टि और जीवनको अन्नत बनानेका मार्ग जिस साहित्यमें विशद और सुभग ढंगसे व्यक्त हुआ हो वह साहित्य सिर्फ पढ़कर रहने देनेके लिये नहीं है; बल्कि अमृतमय रसायनकी तरह उसका विधिपुरःसर आदर-युक्त सेवन करना पड़ता है। परन्तु जो अकेल बार साहित्योपजीवी बन जाता है उसे घी या खीर परोसनेकी दर्वी (चमची) की तरह सिर्फ परोसनेका आनन्द लेकर ही बैठे रहनेकी आदत पड़ जाती है। और वह इसी बातका विचार करता रहता है कि वह मिठाही किस तरह लोगोंके सामने परोसनेसे

परोसनेवालेको मिलनेवाली वाह वाह उसको मिले । यह दर्वीत्रत निष्काम हो या सकाम, जीवनको अन्नत करनेवाला तो हरगिज्ञ नहीं है ।

साहित्य-अच्च साहित्य-असलमें देखा जाय तो हृदयमें आभिजात्य उत्पन्न करनेका और जीवनको अन्नत बनानेका अेक साधन-मात्र है । साहित्य का केवल प्रचार करनेकी अपेक्षा उसे हजम करके, अपना जीवन अन्नत करके, सेवाद्वारा उस जीवनकी सुगंधि फैलाकर समाजको और अपनेको कृतार्थ बनाना चाहिये । ऐसी सेवा करते करते हमको भी किसी दिन सरस्वती वैखरीका अपुयोग करनेका मौका मिल जाता है और हमारे हाथसे या मुखसे प्रसन्न साहित्यका निर्माण होता है । असि ढंगसे होनेवाले साहित्यका प्रचार अपरिहार्य, सहज और शुभ-परिणामकारी होता है ।

अच्छा साहित्य देखकर मनमें सिर्फ परोसनेवाले की वृत्ति जागृत नहीं होनी चाहिये; बल्कि 'अिष्टः सह भुज्यतां' की प्राचीन आज्ञाके अनुसार या सामाजिक मनोवृत्तिसे उसका सेवन करके अिष्टमित्रोंके साथ अपना जीवन अन्नत और परिपुष्ट करने की तरफ ही हमारा झुकाव होना चाहिये ।

यहाँ तक किये हुअे विवेचनमें कोअी असाधारण बात कही हो सो बात नहीं । लेकिन परोसनेकी वृत्तिका दोष आजकलके अध्यापक, लेखक, प्रचारक, कवि और पत्रकार सबमें बहुत बढ़ गया है और असलिये साहित्यका सेवन करके साधना द्वारा उसे हजम करके जीवनको अन्नत बनाने की ओर अितनी लापरवाही होने लगी है कि अक्लमंद लोगोंको भी यह छोटीसी सूचना करनेकी जरूरत पैदा हो गयी है ।



कोओ भी ग्रंथ पढ़ते वक्त ग्रंथकारकी वृत्ति और दृष्टिके साथ तदाकार होकर पढ़ना चाहिये । लेकिन ग्रंथके बारेमें कभी प्रामाण्य-बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये । ज्ञान चाहे जहाँसे, चाहे जैसा मिठे तो भी तारतम्य बुद्धि तो अपनी ही होनी चाहिये । प्रत्येक ग्रंथका काळिक, देशिक और वैयक्तिक (व्यक्तिगत) संस्करण करना ही पड़ता है । यह जो कर सकता है उसीका वाचन सफल और कृतार्थ होता है ।

— हिंडलगा जेल, १९३२

: : साहित्यकी आजकी अेक कसौटी

संस्कारी लोगोंका पक्ष लेकर राजा भर्तृहरिने साहित्य, संगीत और कलासे विहीन लोगोंको बे-सींग-और-पूछके पशु कहा है । यह लिखते समय भर्तृहरिके मनमें साहित्यके बारेमें कितना अँचा खयाल होगा ! आजकी प्रथाके अनुसार अगर हमने उस साहित्य-स्वामीसे पूछा होता कि 'आपकी साहित्य की परिभाषा क्या है ?' तो तुरन्त अेक वाक्यमें उसने कह दिया होता, 'नरपशुको जो पुरुषोत्तम बना सकता है वह साहित्य है ।' भर्तृहरिका 'अेकान्ततो निःस्पृह' पंडित न लोभ या कीर्तिसे ललचायेगा, न राजा से भी डरेगा । अैसे ही मनुष्योंको हम साहित्यवीर कह सकते हैं ।

साहित्य दैवी शक्ति है । अिस शक्तिके बलपर निर्धन मनुष्य भी लोकप्रभु बन सकता है और महान् सम्राट भी राजदंडसे जो कुछ नहीं कर सकते असे शब्दशक्ति द्वारा आसानीसे साधता है । राजाको तनख्वाह देकर अपने यहाँ 'प्राणत्राणप्रवणमति' हृदयशून्य

सिपाही रखने पड़ते हैं। लेकिन साहित्यसम्राटके पास सहृदय सज्जनों-की स्वयंसेवी फौज हमेशा तैयार रहती है। सच्चा साहित्यवीर यह नहीं कह सकता कि फर्क चीज मेरे लिये 'अशक्य' है। साहित्यकी दीक्षा लेनेके बाद उसे तो प्रत्येक न्याय्य और धर्म्य कार्य अपना ही समझना चाहिये। सुखी लोग फुरसतके वक्त समय बितानेके लिये कुछ अच्छासा साहित्य पढ़ना चाहते हैं। उसकी पूर्ति करनेसे और भाषा सौन्दर्यके नये नये प्रकार उत्पन्न करनेसे साहित्यकी सेवा हो गयी ऐसा कोश्री न माने। लोगोंमें उत्साह पैदा करना, लोगोंकी शुभवृत्तिको जागृत करना, और सरस्वतीके प्रसादसे लोगोंका धर्मतेज प्रज्ज्वलित करना साहित्यकारका काम है। सिर्फ जनरंजन करना, लोगोंमें जो जो वृत्तियाँ उत्पन्न होंगी उन सबके लिये पर्याप्त आहार दे देना साहित्यकारका धंधा नहीं है। 'ऐसे लोगोंमें मैं नहीं हूँ'—कहकर भर्तृहरिने गाया था:—

न नटा न विटा न गायका न परद्रोह-निबद्ध-बुद्धयः अित्यादि.

सौन्दर्यके साथ अगर शील हो तभी वह शोभा देता है, साहित्यके साथ सात्त्विक तेज हो तभी वह भी कृतार्थ होता है।

हमारे ज़मानेमें मानवताकी कसौटी करनेवाला एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। प्रत्येक मनुष्यको वह कसता है—राजसेवकको तथा जनसेवकको, धर्माधिकारियोंको तथा अर्थाधिकारियोंको, हिन्दुओंको तथा औरोंको। जिस तरह खेतोंमें घूमते समय धोतीमें काँटे अुलझ जाते हैं उसी तरह हमारे समाजमें, हमारी धारणाओंमें अस्पृश्यता घुस गयी है। वह जबतक जड़मूलसे निकल न जायेगी तबतक हमको शान्ति मिलनेवाली नहीं है।

राजनैतिक पुरुष कमर कसकर उसके पीछे पड़े हैं। सामाजिक रूढ़ियोंके विषयमें अुदासीन रहनेवाले हमारे साधुसन्तोंने अिस

अस्पृश्यताको बदनाम करनेके लिये अपनी प्रासादिक वाणीका प्रयोग किया है। महाराष्ट्रमें वैश्योंमें तुकाराम, और ब्राह्मणोंमें गृहस्थाश्रमी अकनाथ और ब्रह्मचारी रामदास अस्पृश्यताको बर्दाश्त न कर सकते थे। गुजरातमें ज्ञानी संत अखो और भक्तशिरोमणि नरसैया अस्पृश्यता को दूर करनेके लिये धर्मवीरकी तरह लड़े हैं। आजके ज़मानेमें श्रद्धामूर्ति श्रद्धानन्दजीका बलिदान भी अिसीलिये हुआ है। साहित्य-वीरोंको भी आज अपनी शक्ति-शक्तिसर्वस्व-अिसी धर्मकार्यमें लगानी चाहिये। अस्पृश्यतानिवारण हमारा युगधर्म है। अिससे पहले कि हम मर जायँ, अस्पृश्यता मर ही जानी चाहिये। वरना सनातन धर्मके भी टिकनेकी आशा नहीं है।

अब देखना है कि आजका साहित्य अिस अेक वीरकर्मकी सफलता के लिये क्या क्या करनेको तैयार है।

—सन् १९२९



: : : **ब्राह्मी साहित्यकार**

अिस विशाल विश्वमें हमारे लिये जीवनसे श्रेष्ठ कोअी भी वस्तु नहीं है। हम जो कुछ देखते या सुनते हैं, जो कुछ हमारे मनमें या अनुभवमें आता है वह सब जीवनके क्षेत्रमें आ ही जाता है। कल्पना-सृष्टि और आदर्श-सृष्टि भी जीवन-जगतके दो खंड ही हैं और अज्ञात अनन्त तो जीवन-जगतका क्षितिज कहा जा सकता है।

और मरणको क्या हम जीवनक्षेत्रके बाहरका समझेंगे ? नहीं, हरगिज़ नहीं। मरण भी जीवन ही की अेक अुत्कृष्ट विभूति है। जीवनमें

जो कुछ अपूर्ण रह जाता है वह मरणमें पूर्ण और कृतार्थ होता है । मरण के बारेमें हम जरूर कह सकते हैं :—

येथें नाहीं झाली कोणाची निरास । आल्या याचकास कृपेविशीं ॥

(यहाँ तो चाहे जो याचक आ जाय, उसकी कभी निराशा नहीं हुआ करती । सबके ऊपर उसकी अकेली ही कृपा रहती है ।)

दिन और रात मिलकर जिस तरह पूरा दिन (रोज़) होता है उसी तरह जीवन और मृत्यु दोनों मिलकर सम्पूर्ण जीवन होता है । दिनके वक़्त सर्वत्र सफ़ेद अंधेरा फैला होता है और इसलिये हम सिर्फ़ एक सूर्य और एक पृथ्वी तक ही देख सकते हैं । रातके वक़्त काला निर्मल प्रकाश चारों ओर फैल जाता है जिससे आकाश खुला हुआ दिखायी देता है, विस्तृत मादम होता है, उस प्रकाशमें हम अनेक पृथ्वियाँ और अनन्त सूर्य देख सकते हैं । रात्रिका वैभय दिनके वैभवकी अपेक्षा कभी गुना अधिक होता है और इसीलिये अनन्त सूर्योंके दर्शन अके साथ होते हुआ भी हमें उनमेंसे किसीका भी ताप सहना नहीं पड़ता । अनन्त कोटि सूर्य अकेत्र चमकत हैं, फिर भी वह हमें शान्ति ही प्रदान करते हैं !



जिस तरह मनुष्य अपने बचपनमें स्कूलमें बहुत से सबक सीखता है और बड़ा होनेपर व्यापक जीवनमें उन्हें अपुयोगमें लाता है या प्रयोगशाला में छोटे छोटे प्रयोग करके बादमें लोकव्यवहारमें उन प्रयोगोंका विस्तार करता है, उसी तरह हम अपनी सारी आयुमें जो व्यक्तित्व और अध्यात्म आत्मसात् करते हैं उसीको मरण के द्वारा व्यापक और बृहत्तम बनाते हैं । इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि मरण तो जीवन का नया और उत्कृष्ट संस्करण है । जीवन और मरण मिलकर जो अके बृहत्तम वस्तु बनती है उसीको ब्रह्म कहा जाता है ।

अससे अलग कुछ भी नहीं; * अससे अच्च कुछ भी नहीं। अनन्त से अधिक अच्च क्या हो सकता है? अनन्तकी ओर देखनेके पहलू अनन्त होते हैं, लेकिन मूल वस्तु तो 'अकमेवाद्वितीयम्' ही है।

ॐकार प्रणव जिस तरह परब्रह्मका वाचक है उसी तरह साहित्य भी जीवनका—सम्पूर्ण जीवन का—वाचक हो सकता है। अितनी बड़ा प्रतिष्ठा साहित्यकी है। लेकिन असकी साधना अत्यन्त सावधानीसे, अचित्क डंगसे होनी चाहिये। जिस तरह मूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा करनेके बाद ही उसे देवत्व प्राप्त होता है, उसी तरह साहित्यकी प्राणप्रतिष्ठा करनेके बाद ही उसे प्रणव-पूज्यता और वाचाशक्ति प्राप्त होती है। प्राणप्रतिष्ठा करना अक देवी विद्या है, अमर-कला है। यह विद्या, यह कला जिसने प्राप्त की है असा कवि शायद ही मिलता है, कविका नाम धारण कर मुर्गेकी तरह छाती निकालकर अधर अधर भटकने-वाले पामर जीव अनेक हैं। उनकी तो हम बात ही छोड़ दें।

प्रतिभाशाली चित्रकार सृष्टि सौन्दर्य को चित्रित कर उसे स्थायी बनाता है। यूँ तो सृष्टि-सौन्दर्य हम अपनी आँखों देखते ही हैं, उसे चित्रबद्ध करनेकी क्या जरूरत? ज्यादा से ज्यादा अकाध छाया-चित्रकार (फोटोग्राफर) की मदद ले तो काफ़ी है। लेकिन चित्रकारका कार्य तो कुछ और ही है। वह यह सिखाता है कि प्रकृतिका सौन्दर्य आँखसे नहीं अपितु हृदयसे कैसे देखना चाहिये। प्रत्येक सृष्टिकी जगह वह प्रति-सृष्टिका निर्माण करता है। असकी बनायी हुअी अस नवीन सृष्टिका जीवनमें अन्तर्भाव होनेपर भी वह साफ़ तौर पर जीवनसे अलग ही दिखायी देती है; और नित्यके अनुभूत जीवनपर कुछ और ही अलौकिक प्रकाश डालती है। चित्रकारकी प्रतिभा अन्तर्ब्रह्म विश्वको हृदयस्रोतमें शराबोर कर रसस्निग्ध बनाती है।

अिसीलिये तो रसिकों की दृष्टिमें चित्रकार तीर्थरूप बन जाता है। अिस तरहके अुच्च कोटिके चित्रकार दुनियामें बहुत ही कम हुअे हैं। नाम-मात्रके चित्रकार तो हर घर की दीवार पर लटकते या प्रत्येक प्रकाशन के अँधेरेमें सोते हुअे दिखायी देते हैं।

सच्चा साहित्यकार सबक नहीं सिखाता, बल्कि दृष्टि देता है। अिसी लिये शिक्षकके पदपर बैठे बिना ही वह गुरुस्थान प्राप्त करता है। किसी अंधेका हाथ पकड़कर अगर अुसे हम एक कमरेमें ले जायँ और वहाँकी प्रत्येक वस्तुका अुसे स्पर्श कराके अुस कमरेका परिचय दिया दें तो वह अुसमें आसनीसे रह सकता है और अपना नित्यका व्यवहार भी चला सकता है। लेकिन अितना झंझट करनेके वजाय अगर हम अुस अंधेको दृष्टि दे सकें तो अेक क्षण पूर्वका वह अंधा कमरेकी सभी वस्तुओंका मानो स्वामी बन जायगा। फिर तो अुसे कमरेकी हर चीजका परिचय करानेकी जरूरत नहीं रहती। अब तो वह हमारा आश्रित नहीं, साथी बन गया।

साहित्यकी महिमा अैसीही है। साहित्य पाठ नहीं पढाता, दृष्टि देता है। साहित्य जीवनका सिर्फ अुद्दीपन है, रहस्योदघाटन है, साक्षात्करण है।

हे साहित्यगुरो परमात्मन्, तेरे अवतारके सदृश ब्राह्मी साहित्यकार अिस दुनियामें भेज दे। दुनिया आपद्ग्रस्त है, अुसे शान्ति प्रदान कर; अुसे कृतार्थ कर।

—फरवरी १९३७



: : : गांधीयुग का विशेष

[जब जब मैं बंबई और पारला जाता था तब तब श्री नरसिंहराव भाभी के दर्शन का कोअी मौका मिलता तो उसे हाथ से जाने न देता था। गांधीजीके हीरक-महोत्सव के उपलक्ष्यमें श्री अुमाशंकर जोषीने ' विश्वशान्ति ' नामक खंडकाव्य (गुजराती में) लिखा। मैंने उसकी प्रस्तावनाके रूप पाठकोंको ' आमंत्रण ' लिखा और हम दोनोंने वह किताब नरसिंहराव भाभीके पास भेजी। थोड़े दिन बाद जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने कहा, ' उस किताबकी आलोचना मैंन लिखी है, उस ' वसन्त ' में देखें। ' ' वसन्त ' का अुक्त अंक प्रकाशित होनेसे पहले ही मैं जेल चला गया। बाहर आनेके कअी दिन बाद वह अंक हाथमें आ गया। अुममें उन्होंने मुझसे अेक सवाल पूछा था। अुसके जवाबमें मैंने नीचे का पत्र लिखा था। प्रत्युत्तरमें वह कुछ न कुछ लिखेंगे अैसी आशा,—नहीं, लगभग विदवास ही था। दूसरी बार जब मैं उनसे मिलने गया तब तो अेसा ख्याल था कि वह यह चर्चा छेड़ेंगे ही। लेकिन अुस वक्त समयाभावके कारण वैसा न हो सका।

नरसिंहराव भाओने अपनी वह आलोचना ' भावी युगनुं साक्षरदर्शन ' के शीर्षकसे प्रकाशित की है। वह मैंने अभी अभी ' मनोमुकुर : भाग बीजो ' में देखी। असलिये अेक जगहसे अुपर अुलिखित अपने पत्र की नकल प्राप्त कर अेकाध शब्दके परिवर्तनके साथ अुसे यहां दे रहा हूँ।

नरसिंहराव भाओी जब जीवित थे तब दिल में यह संकोच था कि जबतक अुनका जवाब न आये, यह पत्र कैसे प्रकाशित किया जाय ? अब अुनके स्वर्गवासके बाद तो अैसा पत्र प्रकाशित करते समय अुससे भी अधिक संकोच हांता है। लेकिन वे तात्त्विक चर्चाके रसिक थे और चाहते थे कि मतभेद खूब छुने जायँ। फिर पत्र भी पूर्ण आदरभावके साथ लिखा हुआ है, असलिये अिसे प्रकाशित कर रहा हूँ। ले०]

सत्याग्रहाश्रम, वर्धा।

१५-१०-१९३३

मुरब्बी श्री नरसिंहरावभाओी,

चि. अुमाशंकर जोषीके ' विश्वशान्ति ' काव्यपर आपने ' वसन्त ' में जो लिखा था अुसे देखनेकी बड़ी अुत्सुकता थी। जेलमें होनेकी

वजहसे उस वक्त 'वसन्त' का वह अंक हाथमें न आने पाया। आखिर किसी मित्रने उसे कहींसे ला कर मेरे पास भेज दिया सो मुझे परसों मिल गया। गुजरात विद्यापीठके अेक नवयुवक कवि की गुजरातके समर्थ विद्वान्की तरफसे जो कद्र हुआ उसे देखकर यदि हर्ष हुआ हां तो उसमें आश्चर्य क्या ?

आपका यह कथन, कि कवितामें सौष्ठव या लालित्य की अपेक्षा भाव तथा नादकी गंभीरता विशेष है, बिल्कुल सही है।

मैंने अपना 'आमंत्रण' जैसे ही पाठकोंके लिये लिखा था जो इस प्रकारकी कविताका आस्वाद लेनेके लिये सुसुक हों। इस 'आमंत्रण' की अंतिम कंडिकामें मैंने जिस गांधीयुगकी खासियत की तरफ अशारा किया है वह शैलीकी दृष्टिसे नहीं बल्कि आदर्शकी दृष्टिसे है, और वह आदर्श भी साहित्यका नहीं बल्कि जीवनका है।

साहित्यकी शैलीके विषयमें मेरा यह मत है कि जीवनका संगीत जितना समृद्ध होगा उतनी शैलीकी विविधता साहित्यमें आ ही जायेगी। जैसा विषय, जैसा विवेचन और जैसी विवेचक की वृत्ति होगी वैसी शैलीका निर्माण आप ही आप होगा। किसी सुसवके अवसरपर अगर मैं प्रवचन करता हूँ तो उस वक्त जिस शैलीमें बोझ या लिखा जायगा वही शैली विनोदबोलुप विद्यार्थियोंकी वाग्वर्धिनी सभामें लाना चाहूँ तो भी न आयेगी। पाँच रिशार भारतवर्षको अपना सन्देश विशिष्ट शैलीमें सुनायेगा तो उसकी आलोचना और अभिनन्दन उसके अनुरूप शैलीमें ही निकरेगा। लेखक और वक्ता की शक्ति और वृत्तकी गहराईकी वृत्तिकी मर्यादा तो हमेशा रहेगी ही।

गुजरातके विद्वानोंने गुजराती भाषाकी आजतक जो सेवा की है वह अपेक्षणाय तो हरगिज नहीं है। श्री नर्मदाशंकरने लोगोंके वहमों और खराब रूढ़ियोंके खिलाफ जो आवाज बुलन्द की उससे क्या

जनताकी सेवा नहीं हुआ ? आचार्य आनन्दशंकर ध्रुवने हमारे धर्मका रहस्य खोल दिया—यह सेवा क्या काम है ? 'अभंगमाला' में जो भक्तिभाव प्रकट हुआ है उससे क्या हृदय अनुत्त नहीं होता ? अंबालाल साकरठाळने अपने लेखों द्वारा समाजका मार्गदर्शन करनेका जो जो काम किया वह क्या नगण्य है ? जिन जिनकी साहित्य-सेवाके विषयमें मेरे मनमें आदर है उन सबका यहाँ अुल्लेख करनेका मेरा अिरादा नहीं है । मैं यहाँ किसी साहित्यसभाके अध्यक्षका भाषण लिखने नहीं बैठा हूँ । मैं तो अेक अेकनिष्ठ साहित्याचार्यको नम्रताके साथ पत्र लिख रहा हूँ ।

गांधीयुगमें न केवल गांधीजीकी किन्तु देशके सभी प्रान्तोंके अनेक देशसेवकोंकी तपस्याकी परिणति दिखायी देती है । लोकमान्य तिलक, रानडे, गोखळे, भांडारकर, रवीन्द्रनाथ, आरविन्द घोष, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपतराय, हरदयाल, श्रीमती बेसेंट, मर राधाकृष्णन, आनन्द-कुमार स्वामी, भगिनी निवेदिता आदि अनेक समाजसेवकोंने जो चिन्तन और पराक्रम किया उसका परिपाक ही गांधीयुग है । गांधीजीको मैं अेकाकी भारतसेवक नहीं मानता । उनकी प्रतिभा राष्ट्रकी अिन अलग अलग शक्तिओंका समन्वय कर सकी और अुन्हें लो म्जागृति, धर्मसंस्करण और स्वराज्यप्राप्ति की दिशामें अेकाग्र कर सकी, यही उनकी विशेषता है । गांधीयुगकी बुनियादमें और और अनेक वस्तुओंके साथ विद्वानोंकी साहित्यसेवाका भी जरूर स्थान है । गांधीयुगकी महिमा कोअी गांधीजीकी महिमा मात्र नहीं है । वह तो भारतवर्षके भाग्योदयकी महिमा है । गांधीजीका नाम तो संज्ञारूप और अन्वर्थक है ।

जिस देशकी अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है, जहाँ की जनता नये जमानेमें पुरानी खानदानीके संस्कार और आदर्श बड़ी

तेजीसे भूलती जा रही है, नये संस्कार संगठित रूपमें अभी जनतामें दाखिल नहीं हुआ है और जहाँ हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि भेदोंके कारण जनता ओतप्रोत होनेसे अटकती है वहाँ यह नितान्त आवश्यक है कि इन सबको ध्यानमें रखकर लिखे हुआ लेख, रचे हुआ गीत और किये हुआ भाषण बिलकुल सादी शैलीमें हों। सबसे पहले गांधीजीने हमें यह बता दिया कि सादी शैलीमें सभी प्रकारकी संस्कारिता, विचारोंकी गहराई और चरित्रका बल आ सकता है। बल्लभभाभी तो देहातियोंके सरदार ठहरे ! लेकिन अन्होंने अपने भाषणोंमें जो तेजस्विता, बन्दूककी गोलीकी तरह आरपार जाने की शक्ति और तीखा परिहास आदि गुण प्रकट किये हैं उनपर तो गुजरातकी जनताको हमेशा नाज रहेगा। 'विश्वशान्ति' और उसे पढ़नेके लिये लिखा हुआ 'आमंत्रण', श्री खबरदार जैसे अिने गिने अपवादोंको छोड़नेपर, कितने पारसी समझ सकेंगे ? मैं कुछ लिखूँ और आदरणीय अब्बास साहब या डाक्टर रजबअली यदि उसे न समझ सकें तो क्या मुझे उनको दोष देना चाहिये या अपनी भाषामें सुधार करना चाहिये ? बहुतसे लोग कहेंगे कि यह दोनों बातें नहीं की जा सकती; और आज तो मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी।

समाजभेद के अनुसार भाषा भिन्न होती है, अगर हम सब अेक दूसरे, में ओतप्रोत हो जायँ तो हमारी भाषा धीरे धीरे अेकरूप होती ही जायेगी। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि गांधीयुग से पहले के समाज-सुधारकोंने समस्त जनताको अेक दूसरे के साथ ओतप्रोत होनेकी ओर मार्गदर्शन नहीं किया। सामाजिक रूढ़ियोंको तोड़कर थोड़ेसे शिष्ट कुटुंब कुछ हदतक अेक दूसरेमें हिलमिल गये सही, लेकिन अुतना काफ़ी नहीं है। आज भी यह नहीं कहा जा सकता कि सब वर्ग अेक दूसरेमें हिलमिल सके हैं; लेकिन अुस विषयक

जबर्दस्त प्रेरणा लोगोंको मिल चुकी है और उसका ओघ अब रुकने-वाला नहीं है ।

अिस तरह मैं जिस आदर्शभेदकी बात करता हूँ वह साहित्यकी दृष्टिसे नहीं बल्कि जीवनकी दृष्टिसे है । और उसमें भी मैं पुरानोंका अब तो नहीं निकालता । जिनके कंधोंपर चढ़नेसे मैं दूर तक देख सकता हूँ अुन्हींको अदूरदृष्टि कहनेकी भूल और धृष्टता मैं न करूंगा । लेकिन अिस बातसे, कि आदर्श के अँचा होनेसे दृष्टि दूर तक पहुँचेगी ही, कैसे अिन्कार किया जा सकता है ?

अेक बात मुझे खटकती आयी है । हम अंग्रेजी पढ़े हुअे लोग अंग्रेजी साहित्यका अुत्कृष्ट अंश आत्मसात् कर अुसे शुद्ध, अच्छी तथा आजकी जनता समझ सके अैसी भाषामें और रूपमें अगर ला सके होते तो अुससे अधिक अच्छा और क्या हो सकता था ? जनतासे पोषण पाकर हमने अंग्रेजी पढ़ी; अुसका लाभ जनताको देना हमारा कर्तव्य था । जो बात अंग्रेजी के बारेमें मैं कहता हूँ वही संस्कृतके सम्बन्धमें भी मुझे कहनी है । हम संस्कृत और अंग्रेजी सीख तो गये; दोनोंकी विचार-प्रणाली तथा भाषाशैलीका अच्छी तरह मिलाप कर हमने गुजरातकी सेवा भी की; लेकिन हम जनताके साथ पूरी तरह अोतप्रोत न हुअे । अिसलिये हम पाठकवर्ग तैयार न कर सके । लोग पुरानी पंडिताअू शैली झेल न सके । यह दोष लोगोंका नहीं है । हमने जितनी साहित्यसेवा की अुससे ज्यादा अगर जनसेवा की होती तो जनताकी मनोभूमिका के साथ हम समरस होते और वह हमारा कहना समझ जाती । हमने कमसे कम अिस ढंगका यह ज्ञातिभेद तोड़ डालनेकी कोशिश की होती तो भी हम कबके लोकसम्राट् हुअे होते । लेकिन हमने तो लोगोंसे कहा, “तुम भी हमारी तरह अंग्रेजी सीखो, संस्कृत सीखो, और साहित्यका आस्वाद लेनेके अधिकारी

बनो।” जिस जवाबमें कठोरता और गैरजिम्मेदारी है; लेकिन उस वक्त हम यह न समझ सके।

आज भी देशसेवक साहित्यके द्वारा जितनी जनसेवा करते हैं उतनी सेवा केवल साहित्यसेवक नहीं करते। साहित्यको तो हमेशा जीवनका एक अंग समझना चाहिये। जीवनशुद्धि और जीवनसमृद्धि जिस दिन साध्य समझी जायेगी और साहित्य को अनेक साधनों मेंसे अेक पवित्र साधन माना जायगा तभी समाज तथा चारित्र्य दोनोंकी उत्तम सेवा होगी।

यह सब तो आप जानते ही हैं और इसको स्वीकार भी करते हैं। मैं तो सिर्फ अपना मन्तव्य स्पष्ट करनेके लिये अितना लिख गया। विस्तारके लिये क्षमा करें।

थोड़े दिनोंमें फिर जेठ जानेवाला हूँ। हो सके तो बंबईमें आपके दर्शनोंके लिये आ जाऊँगा।

सेवक
काका कालेलकरके
वन्दे मातरम्।



:

:

:

पत्रकारकी दीक्षा

जिस परिपदके सामने कोअी निबंध पेश करनेका अधिकार मुझे है या नहीं इसका मैं विचार कर रहा था। ऐसा लगता है कि अधिकार है भी, और नहीं भी। कभी साल गुजरे, देश-विदेशके अखबार मैं दिलचस्पी के साथ पढ़ता था। पत्रकारके कार्य और कर्तव्य के विषयमें मैं सोचता आया हूँ। वंगभंगके बादके राष्ट्रीय

आन्दोलनमें पहले एक स्थानीय पत्रके साथ और बादमें एक दैनिक पत्रके साथ मैंने अत्यंत निकटका संबंध रखा था। उस वक्त की जनजागृति और आत्मशुद्धिके आन्दोलनमें भी 'नवजीवन' जैसे पत्रके साथ मेरा उतना ही निकटका सम्बन्ध हो गया। और अगर ऐसा कइँ कि अिन दो आन्दोलनोंके बीचके लम्बे अरसेमें विचार और क्लमका ब्रह्मचर्य-पालन भी मैंने किया था, तो उसमें अतिशयोक्ति न होगी। अिस तरह कहा जा सकता है कि पत्रकार-परिषद्के समक्ष अपने विचार रखने जितना अधिकार मैंने प्राप्त किया है। लेकिन यह भी सही है कि आजकल पत्रकारके व्यवसायका जो आदर्श बन रहा है उसको दृष्टि के सामने रखते हुए अिस धंधेके लिये आवश्यक योग्यता अपनेमें लानेकी अिच्छा किसी दिन मेरे मनमें न आयी। मुझे पहलेसे ही ऐसा लगता आया है कि पत्रकारकी अपेक्षा शिक्षाशास्त्रीका कार्य अधिक उपयोगी है। अिसलिये पत्रकारके लिये आवश्यक योग्यता मुझमें आयी ही नहीं। पत्रकारके लिये आवश्यक एक गुण ही यह मुझे निबंध लिखनेकी प्रेरणा देता है। पत्रकार प्रधानतया विचार-प्रचारक होता है। विचारका प्रचार करनेकी, विचार 'ब्रॉडकॉस्ट' करनेकी वृत्ति कहिये या खाज कहिये-पत्रकारमें जितनी होती है अुतनी शायद ही किसी दूसरे में होगी। धर्मोपदेशक और अध्यापक में भी यह वृत्ति न्यूनाधिक मात्रामें जरूर होती है।

वास्तवमें देखा जाय तो धर्मोपदेशक, पत्रकार और शिक्षाशास्त्री तीनोंका कार्य लगभग एकसा ही है। सोयी हुआ जनता जब जागना चाहती है अुस वक्त तो पत्रकारके पदको असाधारण महत्व और अुत्तरदायित्व प्राप्त होता है। पत्रकार यानी लोकशिक्षाका आचार्य, ब्राह्मणोंका ब्राह्मण और चारणोंका चारण है। जनता जब युयुत्सु हो जाती है तब कभी बार पत्रकारको सैनिक और सेनापति भी बनना पड़ता है और अच्छी तरह क्षात्रधर्मकी भी तालीम लेनी पड़ती है।

जहाँ जहाँ अन्याय होता हो, जहाँ जहाँ दीन-दुर्बल और मूक वर्गोंपर जुल्मो सितम ढलता हो वहाँ वहाँ 'क्षतात्किल त्रायते' के अपने विरुद्धका स्मरण कर पत्रकार कूद पड़ता है। जब ऐसे अवसर नहीं होते तब विचार, जानकारी, संस्कार, अभिरुचि और आदर्शोंकी प्याओ चलाकर वह समाजसेवक बन जाता है। अज्ञान या अदूरदृष्टि के कारण लोग जहाँ लड़ते होंगे वहाँ 'ज्ञानांजनशलाकया' लोगोंकी दृष्टिको शुद्ध करनेकी वह कोशिश करता है। समाजचक्रके पहिये अपना जत्र अंकराग भूलकर चीत्कार करने लगते हैं तब अचित स्थानपर स्नेह डालकर वह उस घर्षण को दूर करता है, और जत्र जत्र सरकार-दरबारके मौके आते हैं तब तब वह जनताका प्रतिनिधि बनकर लोकमतको अंकाधारा बनाकर लोक-शक्तिको सचेत करता है। अिस तरह लोकसेवक, लोकप्रतिनिधि, लोकनायक और लोकगुरुकी चतुर्विध अुपाधि पत्रकार प्राप्त कर सकता है।

आजकलके वैश्ययुगमें पत्रकारका अंका और ही आदर्श बन रहा है और वह शिष्टसंमत भी हो रहा है। 'हमारे सामने धर्मकी बातें मत किया करो, हम सिर्फ व्यवहार जानते हैं; आदर्शोंके तारस्वरमें गानेको लोगोंसे मत कहो, मध्यम या मन्द स्वरमें जो कुछ गाना हो वही गानेको कहो; हमसे साधु या वीर बननेकी अपेक्षा मत रखो बल्कि हमें अैसी ही बातें सुझाओ जो नफा और नुकसानका हिसाब करनेवाले कुटुंबीको पसन्द आयें या मुअफिक आयें। दुनिया हमारी है। वीर और साधु समाजके लिये शोभास्वर तो हैं, लेकिन वह पगड़ी नहीं बल्कि असकी किनारीपर की हुआ पच्चीकारीकी तरह हैं।' अिस आदर्शका स्वीकार करनेवाले लोग कहते हैं, 'पत्रकारको अपने आदर्शका मान व्यर्थही अँचा नहीं रखना चाहिये। लोग जो कुछ चाहते हैं उसे मुहैया करना ही पत्रकारका आदर्श होना चाहिये।

लोगोंके हम कोभी विद्यागुरु तो हैं नहीं कि उन्हें मारपीट कर पढ़ायें। हम तो लोगोंके खिदमतगार हैं। ग्राहकोंको जिस मालकी ज़रूरत होगी वह देकर उन्हें खुश रखना ही दूकानदारका आदर्श है। गायकका आदर्श तो यही है कि राजा जो राग चाहे वह गाकर उसका रंजन करे। लोग हमारे शिष्य नहीं, सेठ हैं। जो सेठको सिखावन देने जाय वह नौकर कैसा ? ग्राहकको जो धर्मशास्त्र या संयम सिखाने लगे वह दूकानदार कैसा ?'

यहाँतक आगये तो फिर ऐसी दूकानदारीका ही ज्ञान आगे चलता है। दूकानदार इस बातका खयाल हमेशा नहीं करता कि ग्राहकको कौनसा माल चाहिये। बल्कि वह तो इसी बातका ध्यान रखता है कि अपने पास पड़ा हुआ माल ग्राहकको कैसे आवश्यक मालूम हो। वह अपने ग्राहकको सेठ मानने के बजाय शिकार मानता है और दुनियाको नीचे खींचता है। अन्तर भारतमें आज क्या चल रहा है ? कभी पत्रकार खालिस कज़िया-दलाल बने हैं। अन्होंने निंदाके शराबखाने खोले हैं, राष्ट्रीय आपत्ति तथा साम्प्रदायिक गलतफ़हमियोंकी पूँजीपर वह तिजारत करना चाहते हैं। लोककथामें जिस तरह गाँवका बकवादी एक प्रधान पात्र होता है उसी तरह यह पत्रकार समाजके महापिशुन बनकर विचरते हैं। शेक्सपियरके आयागोने ऑथेल्लो और डेस्डिमोनाकी जो हालत कर डाली थी वही हालत यह लोग इस भोले राष्ट्रकी करनेको तैयार हो गये हैं। फ़र्क अितनाही है कि आयागो अपने धंधे का स्वरूप और परिणाम भली भाँति जानता था और जानबूझकर बदमाशी करता था। अिन सबकी स्थिति वैसी नहीं है। यह अभागे भाभी स्वयं ही विकारमत्त हुअे हैं और यादवी (आपसी लड़ाई) के यादवों का अनुकरण कर रहे हैं।

पत्रकारकी वृत्ति ऐसी खाजवाली नहीं होनी चाहिये कि जो कुछ मालूम हुआ, जाहिर कर दिया। अच्छे खानदानके मनुष्यके पेटमें कभी चीज़ें

रहती हैं। लेकिन कुछ बातोंमें वह होंठ तक नहीं हिलाता। पत्रकारको कार्यानन्द खोजना चाहिये, न कि वादानन्द। वरना क्लृप्तकी पटाबाजी अकेल बार शुरू हो गयी तो फिर सारी दुनियाका संहार हो जायगा। पिलायतमें तो जब आन्दोलनों और चर्चा-विषयोंका अकाल पड़ जाता है तब पत्रकार अकेल दूरेके खिलाफ अभद्र टीका कर अकेलदूरेपर जीवित रहने हैं। “ भिक्षुको भिक्षुकं दृष्ट्वा श्वानवत् गुर्गुरायते ! ”

सौभाग्यसे गुजरातमें अखबारवाले मज्जनाकी मर्यादा शायद ही लॉघ्र जाते हैं। गुजरातके पत्रकार सौम्य हैं, झगडाख नहीं हैं। औसा भी कहा जा सकता है कि वे झगडोंसे कुछ भागते-से हैं। असलिये समाज अकेल वुराओसे बच गया है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह वादविमुखता गुणरूप ही है। सामाजिक जिम्मेदारीको न भुलनेवाली प्रखर समालोचनाके अभाव में राष्ट्रीय आन्दोलनमें तथा साहित्योद्यानमें कँटीले और बेकार झाड़ुशंखड़ बेहद बढ़ने लगते हैं। प्रत्येक सुन्दर आदर्शकी कमजोर नकलें समाजमें फैलती हैं। जिस तरह रविबर्माके चित्र दियासलाओकी डिबियों पर भी छपते हैं उस तरह हीन और हीनतर नकलें फैलने लगती हैं और असली चीजका गला घोटती हैं। ‘ तू मुझे कालिदास कह, मैं तुझे भवभूति कहूँगा ’-अस तरह ‘ अहो रूपम् अहो ध्वनि : ’ चलता है और समाजमें आदर्श चढ़ने ही नहीं पाते। जहाँ देखो वहाँ अल्प सन्तोष। उसके कारण विचारशुद्धि, भाषाशुद्धि, कार्यशुद्धि तो दूर रही, लेखनशुद्धि भी नहीं रखी जाती। मतभेदके कारण आनेवाली विविधता अधिक नहीं होती और वह बाधक भी नहीं होती। आज तो सर्वत्र अनवस्था है।

मुझे औसा लगता है कि आलोचना करनेका मैं अधिकारी नहीं हूँ। अस लिये अस बातको यहीं छोड़ देता हूँ और कुछ औसी ही सूचनाअं पेश करता हूँ जो पत्रका संचालन करनेमें कामकी साबित हों।

— २ —

अखबार प्रधानतया वृत्तपत्र होता है। जनताके लाभका विचार करके सारी दुनियाकी खबरें देना पत्रकारका प्रथम कर्तव्य है। लेकिन इस बारेमें—और अत्यंत महत्त्वके बारेमें—हमें औरों की आँखोंसे देखना पड़ता है। आंकड़े जिस तरह सरकारसे ही मिल सकते हैं उस तरह जानकारी तो 'रॉयटर' या 'असोसिएटेड प्रेस' से ही मिल सकती है। वह अपनी ही दृष्टिसे महत्त्व की खबरें हमें दे देते हैं और धीरे धीरे किस वस्तुको कितना महत्त्व देना, किस सवालको किस दृष्टिसे रूजू करना आदि विषयोंमें अपनी दृष्टि हमारे ऊपर लादते हैं। शिक्षा और साहित्यकी तरह वृत्तविवेचन (journalism*) में भी हम गैरोंके अनुयायी हो गये हैं। उसके कारण आयी हुआ पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि (स्लेव मेन्टैलिटी) अभी नहीं गयी है। आज हमारे यहाँ अनेक पक्ष बन गये हैं और विचार-प्रगति नहीं हो रही है। इसमें इस परप्रत्ययके अवलंबनका कम हाथ नहीं है। और आश्चर्य यह है कि स्लेव मेन्टैलिटीके खिलाफ आवाज सभी बुलन्द करते हैं। वृत्तविवेचनका मूल आधार विश्वस्त खबरें हैं। उसका तंत्र हमने बनाया ही नहीं है। बुनियादमें ही परावलंबन !

*journalism के लिये हमारे यहाँ अभी कोई एक शब्द रूढ़ नहीं हुआ है। यह आश्चर्य की बात है। इसके लिये ऐसा शब्द चाहिये जिसमें दैनिक पत्रोंसे लेकर मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पत्रिकाओं तक के सभी अखबार और उनमें आनेवाली छोटी छोटी खबरोंसे लेकर गंभीर चर्चा तक सब कुछ समा सके। अपने यहाँ 'जनता-जीवनकी घटना' के अर्थमें 'लोकवृत्त' एक पुराना और विपुलार्थवाही शब्द है। इसमें जनताजीवनके सभी अंग आ जाते हैं। इसपरसे जर्नालिज़्म को 'लोकवृत्तविवेचन' या संक्षेपमें 'वृत्तविवेचन' कह सकते हैं। जहाँ जहाँ 'जर्नालिज़्म' शब्दका प्रयोग होता है वहाँ वहाँ यह शब्द ठीक बैठता है।—ले०

जब मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया तब चार आनेमें 'टाइम्स आफ़ इंडिया' मिलता था जिसे पढ़नेकी मैं कोशिश करता था, हिन्दुस्तानकी सभी खबरें पढ़ जानेके बाद मुझे ऐसा लगता कि क्या हिन्दुस्तानमें सिर्फ़ अंग्रेज़ ही रहते होंगे ? क्योंकि सरकारी अधिकारियों और गोरोंके सार्वजनिक और सामाजिक जीवनकी खबरें ही उसमें ज्यादातर आती थीं। मारपीट और हादिसों के जिक्र आते तभी मालूम पड़ता कि गोरी तहके नीचे नेटिव लोगोंका काला समुद्र भी है। इसमें आश्चर्यजनक या अनुचित जैसा कुछ भी नहीं कि अंग्रेजी अख़बार वही बातें देंगे जो गोरोंकी दृष्टिसे महत्त्वकी हों। अगर हम अपना जीवन विकसित करना चाहते हों तो हमें अपनी निजी दृष्टिसे जानकारी देनी चाहिये। मालूम होता है कि बंगाली लोगोंने यह कला कुछ कुछ सीख ली है।

अपने वृत्तविवेचनमें हम अंग्रेजी पढ़ी हुई दुनियाका ही ख़याल रखते हैं। सरकार और उसकी करतूतें, विदेशके साथका व्यापार, अंग्रेजी शिक्षा, अदालतें, विद्वानोंका साहित्य और पढ़े-लिखे वर्गके सुख-दुख यही हमारे वृत्तविवेचनके प्रमुख विषय होते हैं। हिन्दुस्तानकी जनता, हिन्दुस्तानकी कलाओं और कारीगर, किसानोंका जीवन, गाँवोंकी स्थिति, धर्मप्रचार, गरीबोंका गृहजीवन, परिगणित जातियोंकी अड़चनें, आदि राष्ट्रीय जीवनके प्रधान प्रश्नोंको आवश्यक प्रधानता हम देते ही नहीं। स्थानीय वृत्तपत्रका एक भी अच्छा नमूना हमारे सामने नहीं है। हमारे संवाददाता देहातोंमें जाते ही नहीं। वास्तवमें हालत तो ऐसी होनी चाहिये कि प्रत्येक वृत्तपत्र गाँवोंके निवासियोंमेंसे समभाववाले कुछ संवाददाता खोजे, उन्हें उस कलाकी धीरजके साथ शिक्षा दे और ग्रामीण जीवनकी चर्चामें दिलचस्पी ले। जिस तरह हमारी सभाओंमें शहरवासी अुच्चासनपर बैठते हैं और बेचारे ग्रामप्रतिनिधि अपनी स्वाभाविक विनय धारण

कर दूर कोनेमें किसी जगह बैठ जाते हैं, उस तरह अखबारोंमें भी लोकजीवनको अेकाध कोना ही मिल जाता है और वह भी हमेशा नहीं मिलता। यह सही है कि जब ग्रामवासी आत्म-निंदा छोड़कर अपनेमें स्वाभिमान और आत्म-प्रत्ययका विकास करेंगे तभी यह हालत सुधरनेवाली है। लेकिन फिर भी अिस दिशामें अखबार प्रारंभ और मदद जरूर कर सकते हैं। रेल्वे कंपनी तीसरे दर्जेकी अपेक्षा भलेही करती हो, लेकिन पत्रकार तो ग्रामजीवनकी, जहाँ कि उनके चालीस फीसदी ग्राहक रहते हैं, अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रतिष्ठित और जिम्मेदार अखबार अिस दिशामें लापरवाही बरतेंगे तो उनकी खैरियत भी नहीं है। यह देखकर, कि जनतामें अस्मिता आती जा रही है, कुछ त्वरितदृष्टि पत्रकार अपढ़ वर्गोंकी खुशामद कर अुन्हें चाहे जिस रास्तेसे ले जाकर अपनी प्रतिष्ठा जमायेंगे, और सच्ची प्रजाकीय शक्तके ये गैर-जिम्मेदार सरदार देशमें कौनसा अुत्पात न मचा सकेंगे ? नतीजा यह होगा कि प्रतिष्ठित नेताओंको अखिर अैसे लोगोंको भी प्रतिष्ठा की मंजूरी देनी पड़ेगी और उनके साथ किसी तरह का समझौता करना पड़ेगा। अज्ञानी जनता अगर गैर-जिम्मेदार लोगोंके नेतृत्वमें फंस जाय तो सरकारको हमारे आन्दोलनको तोड डालनेके लिये वह अेक रामबाण अस्त्र मिलेगा। अंग्रेज सरकारको लोकमतसे परिचित करानेमें और विलायतकी जनतामें हिन्दुस्तानकी हालतके बारेमें लोकमत तैयार करने में हमने जो अेक अरसा गँवाया अुतना ही अगर हिन्दुस्तानकी ग्रामनिवासी जनताको तैयार करनेमें लगाया होता तो आज हम स्वराज्यमें पुराने हो गये होते। सच्चे कामका प्रारंभ कष्टदायक और आहिस्ता भले ही हो, शुरू शुरूकी मन्दता भलेही असह्य हो, लेकिन कुछ मिलाकर सच्चे काम के फल ही पहले पकते हैं। अब भी 'जब तू जागे तभी सवेरा' समझकर किसानों, जुलाहों, कारीगरों, मजदूरों, स्त्रियों और कलकोंकी स्थितिका

महत्व समझकर उनकी दुर्दशा दूर करने के लिये, उन्हें तैयार करने की दृष्टिसे उनके सवालकों की तरफ ध्यान देनेका व्रत पत्रकारोंको लेना चाहिये। अबतक समाजसुधार और धर्मसंस्करण जैसे महत्वके विषयोंका विवेचन भी हमने मध्यम श्रेणीकी दृष्टिसे ही किया है। यह दुःख की बात है।

जैसे जैसे पत्रकार ग्रामीण जीवनके विषयमें अधिकाधिक लिखते जायेंगे वैसे वैसे प्रचारकों, उपदेशकों, नेताओं और कूटनीतिज्ञोंके लिये गाँवोंकी मुलाकात लेना लाज़िमी होगा। लेकिन वैसा होने के लिये पत्रकारोंके लेख स्थानीय रंगसे रंगे हुआ होने चाहिये। उनमें स्थानीय अध्ययन और स्थानीय समभाव पूरी तरह होने चाहिये। 'सम्पादककी नज़रसे' लिखे हुआ गोलमोल सामान्य सिद्धान्तोंसे काम न चलेगा।

अच्छी तैयारीके साथ अगर अिस दिशामें प्रयत्न होने लें तो यह व्यवहार घाटेका नहीं साबित हो सकता। जैसे लेख लिखकर, कि जिन्हें पढ़कर लोगोंको मज़ा आये और शिक्षाशून्य मनरंजन हो, कुछ पत्रकारोंने पाठकवर्गकी अभिरुचि बिगाड़ दी है। वरना जैसे वृत्त-विवेचनको, जिसमें जनताके हितकी चर्चा की गयी है, आवश्यक पारिश्रमिक दिये बिना जनता न रहेगी। और अखबार जब भरनेका धंधा तो हरगिज़ नहीं बनना चाहिये। अिन्साफ़ की खातिर, धर्मकी खातिर, लोककल्याणकी खातिर, लोकमतके खिलाफ़ जाना भी पत्रकारके लिये अुचित होता है। गैरोंके जुल्मका वर्णन और असका निषेध लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अगर हम सामाजिक अन्यायों और कुरीतियों के खिलाफ़ खड़े हो जायँ तो लोग चिढ़ भी जाते हैं। खुशामदके आदी पाठक और लेखक ऐसा वीरकर्म क्यों करने चले? किसी महान् अन्यायके खिलाफ़ अभिमन्यु जैसा कोई वीर अेकाकी असहाय लड़ता हो तो पत्रकारको उसकी बगलमें खड़ा रहना ही चाहिये। प्रतिष्ठाकी ज्ञाति बहुत बार सुयोग्य किन्तु प्रतिष्ठारहित

मनुष्यको दबाकर रखनेकी खूब कोशिश करती है। पत्रकार अगर हिम्मतवान होगा तो वह प्रतिष्ठाकी जातिको तोड़कर भी योग्यताका पुरस्कार करेगा।

जो बात व्यक्तिकी वही संस्थाओंकी। देशमें काम करनेवाली संस्थाओंके स्वरूपकी जानकारी प्राप्त करके उसका परिचय लोगोंको करना और संस्थाओं सुस्त न बनें इसलिये उनपर पहरा देते रहना पत्रकारका खास कर्तव्य है। देशमें जितना प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्य होता है उसमें सहायक होना इसीमें वृत्तविवेचनके सभी फ़र्ज समा जाते हैं। वृत्तविवेचन अगर यह फ़र्ज अच्छी तरह अदा करे तो उसकी शक्ति अतनी बढ़ जाती है कि जिस तरह सरकारें और विद्यापीठ योग्यता के लिये अपाधियाँ देते हैं उस तरह अखबार भी कर सकते हैं। फिर ऐसी लोकमान्यताके आगे राजमान्यता तुच्छ हो जाती है।

कोओ भी विशाल और नया सवाल हाथमें लेना हो तो पहले मासिकपत्रिकाओं उसका विवेचन करें और बादमें साप्ताहिक पत्रिकाओं उसे हाथमें ले लें। ऐसा करनेसे विषय टेढ़े रास्ते नहीं जाता और काम भी नहीं बिगड़ता। दैनिक पत्रोंके लिये अतनी मर्यादा आवश्यक है कि जो आन्दोलन चल रहा होगा उसके बारेमें ही वे लिखें।

हमारे यहाँ दैनिक वृत्तपत्रोंका संपादकमंडल विशाल नहीं हुआ करता। बहुतबार राजा, प्रधान, सेनापति सभी अेक ही होते हैं। रोज़ अुठकर लेख पर लेख जो जनने ही पड़ते हैं। ऐसी हालतमें अगर समाजको कच्चा खाना परोसा गया तो आन्दोलनमें जरूर अैब निकलेगा। हमारे यहाँ विद्याव्यासंगी लोगोंने नियमित रूपसे अखबारोंकी मदद करनेका रिवाज अभी तक ठीक ढंगसे प्रचलित नहीं किया है। जब अेक अखबारके पीछे भिन्न भिन्न क्षेत्रोंमें विशेष योग्यता रखनेवाले लोगोंका अेक बड़ा मंडल होगा और उसकी निरपेक्ष सेवा सतत मिलती रहेगी तभी हमारा वृत्तविवेचन

पुख्ता और समृद्ध होगा। जिस तरह भगिनी निवेदिता और दीनबन्धु अङ्ग्रेज अनेक अखबारोंके मददगार थे उस तरह हमारे ऐसे कभी विद्वानोंके नाम लिये जा सकते हैं जो ऐसी मदद कर सकते हैं। वैसे लेखोंद्वारा कुछ लोग मदद करते होंगे, लेकिन सुझाव रखने जितना रस तो बहुत ही कम लोग लेते हैं।

अस आक्षेपके खिलाफ़ लेखक ऐसी दलील पेश कर सकते हैं कि पत्रकारोंमें विद्वान् बुजुर्गोंके वचनको मान देनेकी वृत्ति है ही कहाँ कि उन्हें हम सलाह दे दें? असलमें देखा जाय तो सलाहकार या परामर्शदाता आपही सास बन जाय तो उससे काम न चलेगा, और यह भी बर्दास्त नहीं किया जा सकता कि पत्रकार पंडित-मन्य बनें। हमारा सामाजिक जीवन खराब हो गया है और वही हालत हमारे सार्वजनिक जीवनकी भी हुआ है। संघशक्तिसे काम करनेके नियम अभी हमारे गले नहीं अतरे हैं। नीतिके बन्धन शिथिल करनेमें, अभिरुचिके अन्न आदर्शोंको गिरानेमें और हर प्रकारके स्वच्छंद या स्वैराचारको रूढ़ करनेमें अब तक अखबारोंने कोअी कसर नहीं रखी है। जहाँ देखिये नये अखबार शुरू होते हैं, थोड़ासा जीवनकलह चलाते हैं, और प्रैज्युअेटों (स्नातकों) के विद्याव्यासंग की तरह थोड़े ही दिनोंमें डूब जाते हैं। फिर सारा अत्साह पक्षापक्षी या गुटबंदियों में ही रह जाता है। स्वतंत्र मौलिक कल्पनाओंका अकाल होनेपर भी प्रतिभाका दावा करनेवाला आडंबरी साहित्य अितना कुछ बढ़ गया है कि अब साहित्य-संरक्षक-मंडल की स्थापना करनेका समय आ पहुँचा है।

३

पत्रकार दो प्रकारके होते हैं। कुछ तो वह हैं जो अपने पत्र द्वारा जितनी वाङ्मयीन सेवा होती है अतनेसे सन्तोष मानकर बैठ जाते

हैं। मतीलाल घोष, रामानन्द चट्टोपाध्याय और नटराजन इस वर्गके नमूने समझे जा सकते हैं। दूसरे वह हैं जो अमली देशकार्य करते समय अपने विचारोंको प्रकट करनेके साधन के तौरपर अखबार चलाते हैं। गांधीजी, देशबन्धु, लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक आदि इस वर्गके प्रतिनिधि हैं। प्रथम वर्गके पत्रकार विविधताके अुपासक होते हैं। प्रत्येकका कुछ न कुछ प्रमुख त्रिपय होने पर भी वह सर्वांगी विचार प्रचारके हिमायती हुआ करते हैं। दूसरे वर्गके लोग कार्य परायण होनेसे जहाँ तक हो सके अेकाग्रता लाना चाहते हैं। दोनोका अुपयोग तो है, लेकिन अिन दो आदर्शोंकी मिलावट करना उचित नहीं है। प्रथम वर्गके पत्रकार अगर चाहें तो अपने अखबारको संस्कृतिका केन्द्र बनाकर अेक सम्प्रदाय या बन्धुसमाज तैयार कर सकते हैं। पुराने जमानेमें जो काम मन्दिर करते थे अुसी काम तक पत्रकार अपने पत्रको चढ़ा सकता है। दूसरे वर्गके पत्रकार देशसेवकोंकी अडिग सेना तैयार कर सकते हैं।

पत्रकारोंका तीसरा अेक वर्ग है—तनख्वाहके खातिर चाहे जिस मतका प्रचार करनेवालोंका। अमेरिकन नीग्रोंके अेक स्कूलमें अेक शिक्षकको नौकरीपर रखते समय विद्यार्थियोंके मांवापोंने अुससे पूछा था, 'क्या तुम पृथ्वी गोल है अैसा सिखाओगे, या चौकोर है अैसा ?' अुसने जवाब दिया, 'अिसमें या दूसरी किसी भी बातमें मेरा निजी तनिक भी आग्रह नहीं है, आपकी टाअुन कौन्सिल बहुमतसे जो कुछ निश्चित करेगी सो पढ़ानेके लिये मैं तैयार हूँ।' अैसे लोगोंके हाथों क्या समाजसेवा होती होगी सो अेक मात्र ब्रह्माजी ही जानें !

पत्रकारके अलावा अेक नया वर्ग समाजमें पैदा होनेकी जरूरत है। अपने अपने विषयमें या क्षेत्रमें जो जो प्रवृत्ति चल रही हो, जो साहित्य प्रगट हुआ हो, नये नये आविष्कार हुआ हों, निर्णय किये गये हों, वाद पैदा हुआ हो, नये नये नमूनोंका जन्म हुआ हो, अुन सबका

वार्षिक संग्रह (अब्द कोष) करनेका काम किसीको अपने सिरपर लेना चाहिये। सामाजिक जीवनके कभी अुपांग जरूर जैसे हैं जिनके लिये साप्ताहिक तो क्या, स्वतंत्र मासिक-पत्रिका भी नहीं चलायी जा सकती, मगर फिर भी जिनकी जानकारी मामूली अखबारोंमें यदृच्छया आ जाय और बिखरी हुआ पड़ी रहे यह नहीं हो सकता। यदि कौंसी 'वार्षिक' चलाता हो तो कुछ लोग अपने विषयकी सामग्री अुसके पास अवश्य भेज दें।

साहित्यचर्चा करनेवाली नहीं, किन्तु नये-पुराने सभी प्रकारके ग्रंथोंका संक्षिप्त परिचय करानेवाली अेकाध मासिक-पत्रिकाके लिये हमारी भाषामें अवश्य स्थान है। अिस तरहकी मासिक-पत्रिका विद्यार्थियों और आम लोगोंके लिये बहुत ही कीमती साबित होगी और साहित्यका अितिहास लिखनेमें तो अुसकी सेवाका मूल्य अँकना मुश्किल ही है। यह तो बहुत लोग जानते हैं कि मेजिनीकी साहित्यसेवा अैसे प्रयत्नसे ही शुरू हुआ थी। अैसा कुछ नहीं है कि अैसी पत्रिकाओंमें सिर्फ अपनी भाषाके साहित्यकाही परिचय आये। हिन्दुस्तानके दूसरे साहित्यों को भी अुचित मात्रामें स्थान दिया जा सकता है।

सामान्य पाठक अगर अखबार और मासिक-पत्रिकाओंके बाहर जाते हैं तो वह अुपन्यासोंमें अुतरनेके लिये ही। अिस तरहकी हालत जब तक अपने देशमें है तबतक सारी दुनियाकी जानकारी अुसके पूर्वापार सम्बन्धके साथ देनेका प्रबन्ध लोकशिक्षा की दृष्टिसे अत्यंत आवश्यक है। दुनिया कहाँ कहाँ फैली हुआ है, वहाँ क्या क्या चलता है, प्रत्येक देशका दुखदर्द क्या है और दुनिया कहाँ तक आ पहुँची है अिसका खयाल हमारे लोगोंको होना ही चाहिये। अिसमें भी हम बड़ी हदतक परावलंबी रहेंगे ही। यह अपरिहार्य है। फिर भी अपनी दृष्टिसे प्रत्येक

वस्तुकी मात्रा और महत्त्व निश्चित कर लोकशिक्षाका काम शुरू तो करना ही चाहिये ।

चालीस करोड़ गुलामोंके इस राष्ट्रमें हमारा वृत्तविवेचन ज्यादातर अंग्रेजीमें ही चलता है । समर्थ लेखक अंग्रेजीकी ओर ही दौड़ते हैं । और जिनके लिये यह सारा प्रचार चल रहा है उस जनताको जिसके फलसे वंचित रहना पड़ता है, यह कितनी शर्म की बात है ! जिस शर्मकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता । अगर ध्यान खींचा भी जाता है तो सच्ची बात गले नहीं अउतरती जिससे अधिक दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है ?

देशी भाषाओंमें जो अखबार चलते हैं उनके पीछे तैयारियां बहुत ही कम होती हैं । कहा जा सकता है कि पत्रकारोंके लिये अत्यंत आवश्यक जानकारी, समझमें आये जैसे रूपमें जिनमें दी हो उसी किताबें हमारी भाषाओंमें ही नहीं । ' इंडियन अियर बुक ' ' अैन्युअल रजिस्टर ' ' हू अिज हू ' ' पिअर्स साअिक्लोपीडिया ' ' कर्मशियल अैटलास ' ' हेंडबुक आफ कर्मशियल अिन्फर्मेशन ' आदि सर्वोपयोगी सादी किताबें भी देशी भाषाओंमें अभी तक तैयार नहीं हुई हैं । जिसलिये तथा अुचित अध्ययनके अभावमें देशी पत्रिकाओं अंग्रेजी पत्रिकाओंकी केवल स्याहीचूस बन गयी हैं ।

अितनी प्राथमिक तैयारी भी जहाँ नहीं है वहाँ अमुक विषयपर या अमुक घटनापर विश्वस्त जानकारी प्राप्त करनेके लिये खास संवाददाता भेजनेकी, या अखबारकी तरफसे जाँच-समिति नियुक्त करनेकी बात तो दूर ही रही ।

वृत्तविवेचनपर जीनेवाला और वृत्तविवेचनको पोषण देनेका ढोंग करनेवाला अेक भयंकर रोग है ' विज्ञापन ' । सार्वजनिक नीतिको भ्रष्ट करनेवाली और कौटुंबिक अर्थशास्त्रको तोड़ डालनेवाली यह

बुराआ अितनी फैल गयो है कि 'नवजीवन' द्वारा गांधीजीने अुसका जो अितना सख्त और सक्रिय विरोध किया है अुसका कुछ भी असर दूसरे अखबारोंपर पड़ा हुआ दिखाआ नहीं देता। जब मैं अखबारोंमें अितने हीन विज्ञापन देखता हूँ तब मनमें विचार आता है, क्या प्रभु-सेवाके लिये कोआी अुत्तम देवमन्दिर बनाकर बादमें अुसका खर्च चलानेके लिये अुसके अहातेके कमरे शराबखानों और वेश्याओंको किरायेपर देने जैसा ही यह काम नहीं है ?

पत्रकारका व्यवसाय या वृत्तविवेचन अपने यहाँ यूरोपसे आया है। जिस तरह बच्चे अपना चारित्र्य और आदर्श बनने तक माँबाप या गुरुका अनुकरण करते हैं अुस तरह हमने अब तक विलायती 'जर्नालिज्म' का अनुकरण किया। अमेरिकन ढंग दाखिल करनेकी भी कोशिश शुरू हो गयी है। क्या अमितक अनुकरणका जमाना पूरा नहीं हुआ ? क्या स्वतंत्र व्यक्तित्व लाने जैसा हमारे राष्ट्रमें कुछ है ही नहीं ? अगर हमारे पास सांस्कारिक व्यक्तित्व है, अगर हममें अस्मिता जागृत हुआ है, तो अुसे पहचाननेका, अुसे विकसित करनेका और प्रकट करनेका समय क्या अब नहीं आया है ? हमारा सवाल सिर्फ राजनैतिक नहीं है। अगर वह सिर्फ राजनैतिक होता तो वह कभीका सुलझ गया होता। जिस तरह दुनियाके सभी धर्म अिस देशमें अिकट्टे हो गये हैं अुस तरह दुनियाके लगभग सभी सवाल अिस देशमें अिकट्टा होने लगे हैं, हो गये हैं। अभी कुछ बाकी रहे होंगे तो वह भी आ जानवाले हैं। चारों तरफ से पानीकी बाढ़ आनेपर बेचैन और परेशान दुअे लोग जिस तरह अूँची से अूँची जगह खोजते हैं अुस तरह दुनियाके सभी सवाल, धर्म धर्म के बीचके, जाति जातिके बीचके, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षासंबंधी सभी सवाल अिस देशमें अिकट्टे होने लगे हैं और अनक्री चर्चा करनेका कर्तव्य पत्रकारोंके सिरपर आ पड़ा है। अैसा तो है नहीं कि जो पत्रकार हुआ वह विचारक

मो हो गया, लेकिन उसे हर सवालका स्वरूप आर गांभीर्य ठीक ठीक समझ तो लेनाही चाहिये और श्रेष्ठ विचारकोने उनके लिये क्या क्या उपाय सुझाये हैं या प्रयुक्त किये हैं उनका सूक्ष्मतासे अध्ययन कर फिर उसके बाद यथाशक्ति, यथामति, उन्हें देशके सामने पेश करना चाहिये। हमारे जीवनमें और अतिहासमें, धर्म में और समाजरचनामें अुसी दिशामें क्या क्या उपयोगी हैं इसकी जाँच-पड़ताल करके उसे दुनियाके सामने रखना उनका काम है।

यह बात आसान नहीं है। दीर्घ अध्ययन से मनुष्यमें विद्वत्ता आ जायगी, लेकिन शुद्ध और अुच्च जीवनके बिना दिव्य दृष्टि और अडिग श्रद्धा नहीं आती। आजका जमाना ही ऐसा है कि जितना मुमकिन हो, चढ़ जानेकी आवश्यकता है। शैतान लगभग सिरपर सवार हो चुका है। उसे परास्त करनेके लिये देवसेनाके सज्ज होने की आवश्यकता है। ऐसे अिस अवसरपर पत्रकारोंके सामने आज अेक बड़ा सवाल है कि वे कौनसा काम करें ? *



साहित्यका उद्गम : : :

मुझे यहाँ (अहमदाबाद) आये बारह साल हो गये। फिर भी मैं अिस अुद्यमी नगरीकी सार्वजनिक प्रवृत्तिओंसे प्रायः अलिप्त ही रहा हूँ। 'साहित्य अुत्तेजक समाज' के साथ मेरा परिचय वार्षिक 'वीणा' द्वारा जितना हुआ अुतनाही समझना चाहिये। खर्गीय भाभी रामप्रसाद जेश्वरके बारेमें थोड़ासा पढ़ा था। अुससे मनमें अनुमान हुआ था कि

अस समाजके मूलमें शुभ प्रेरणा है और असलिये इसका विकास होना ही चाहिये । भाभी जेश्वरजीका अुदेश्य साहित्यको अुत्तेजन देनेकी अपेक्षा लोकशिक्षाका प्रारंभ करना ही विशेष रूपसे दिखायी देता है । असलिये मेरे जैसा शिक्षा-प्रेमी अस समाजकी ओर आकर्षित हो जाय तो कोअी आश्चर्य की बात नहीं । असमें शक नहीं कि हर साल आप अच्छे अच्छे साहित्याचार्योंको यहाँ आमंत्रित कर सके हैं । लेकिन लोकशिक्षा का आदर्श भी अस समाजमें बसता है, असलिये मेरे मित्र गिडवानीजी को और मुझ जैसेको बुलानेकी कृपा आप करते हैं ।

मैं कोअी साहित्यसेवी नहीं हूँ । लेकिन साहित्यके साथ मैंने असहकार भी नहीं किया है । आज तक साहित्यने शिक्षाकी बहुत मदद की है और आगे भी करता रहेगा । शिक्षाके अुपासक साहित्यकी सीधी सेवा शायद न कर सकें, लेकिन साहित्यके परिचयमें तो अुन्हें रहना ही पड़ेगा, क्यों कि दोनों परस्पर-पोषक हैं । यहाँ तक कि कुछ लोगोंको अैसा लगता है कि वह दोनों अेक ही हैं । या अैसी अेक धारणा रूढ हो गयी है कि दोनोंमें साध्यसाधनका सम्बन्ध है ।

साहित्यकी सेवा अस शहरके युवक तथा गरीब लोग प्राप्त कर सकें असलिये आपने जो यह प्रवृत्ति चलायी है अुसी से लोकशिक्षा के अनेक क्षेत्रोंकी जुताअी होनेवाली है । 'वीणा' अुसका अल्पमात्र मंगलाचरण है ।

'वीणा' के साथ मेरा परिचय बड़े अजीब ढंगसे हुआ है । मैं आश्रमके रास्ते साअिकिलपर अपना चंक्रमण कर रहा था कि अेक सज्जनने मुझे रोका और कहा, 'अॉटोग्राफ (हस्ताक्षर) चाहिये ।' वहाँसे विधापीठका मकान नज्द्रीक था । वहाँ जाकर अपने मनमें जो विचार चक्कर काट रहा था अुसे मैंने अिख डाला । न मालूम 'वीणा'

को वह कहांसे मिला । हो सकता है कि मेरी बीमारीके कारण मुझे लेख मांगना असंभव होनेसे उस समयके सम्पादकजीने ऑटोग्राफके उस वाक्यसे ही सन्तोष कर लिया हो । स्वाक्षरीका वह वाक्य इस तरह प्रकट हुआ देख मुझे सचमुच ही आनन्द हो गया । मैं देखता हूं कि इस वाक्यका प्रचार भी बहुत हुआ है । उसपरसे मुझे अेक नये ही क्षेत्रका दर्शन हुआ । हम जन-शिक्षाके अुत्साहमें आकर लम्बे लम्बे लेख, निबंध और भाषण तैयार करते हैं और छपाई की सुगमताके कारण वह सब अनायास प्रकाशित भी होता है । अुद्योगी जनसमाज वह सब ध्यानपूर्वक कैसे पढ़े ? अुसके बजाय हमें जो कुछ कहना हो वह अगर थोड़े शब्दोंमें जनताके सामने पेश किया जाय तो लम्बे लम्बे लेखोंसे छुटकारा पानेसे बचा हुआ समय लोग विचारने में आसानीसे लगा सकते हैं । वादविवाद और चर्चाका रस अगर हममें ज़रा कम होता और धीरजके साथ सोचनेकी आदत ज्यादा होती तो हमारा बहुतसा काम सूत्ररूपसे चलता और जनताकी विचारशक्ति को बहुत कुछ स्वतंत्रता या छूट मिल जाती । अखबार और मासिक-पत्रिकाओं दिनरात अितनी अधिक सामग्री हमारे सामने परोसती हैं कि अगर अुन सबका आस्वाद हम लेने लग जायँ तो कुछ भी हज़म करनेके लिये वक्त ही न बचे । सर्जक मनको आज़ादी भी चाहिये और अेकान्त भी ।

मनोविज्ञानका यह सिद्धान्त विज्ञापनवाले कुछ कुछ समझ गये हैं, लेकिन प्रकाशक और शिक्षाशास्त्री अुसे अभी तक नहीं समझे हैं । 'वीणा' अुसमें अपवाद है । वह वार्षिक पत्रिका है । पूरे सालभरमें लेखकोंने जो कुछ सोचा होगा अुसे अगर वह संक्षेपमें दे दें तो देनेवाले को भी सुभीता होता है और लेनेवाले को भी । पुराने ज़मानेके सुभाषित भी अिसी तरह तैयार हुआे हैं । जिस जमानेमें आजीविका या प्रचारके लिये दौड़धूप करनी नहीं पड़ती थी, परराज्य जनता का

खून सक्शन पंपके जोरसे न चूसता था, उस जमानेमें विचारक शांतिके साथ अन्सव या दरवारके अवसरपर अकाध सुभाषित लोगोंके सामने पेश करते थे, और उसमें जान होती तो तुरन्त वह सिक्के की तरह भाषाके चलनमें घुस जाता था। उस समयके राजाओंको जैसे सुभाषितों के लिये लक्षमुद्रा देते संकोच न होता था। आज हम सुभाषित लिखकर लक्षमुद्रा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन इसमें शक नहीं कि उसके जरिये हम जनताका लक्ष (ध्यान) जरूर खींच सकते हैं।

किसीको लगेगा कि अपने लिखे हुए अेक वाक्यपर यह कितना बोलता है। लेकिन उसे मैं अपना वाक्य समझता ही नहीं। 'सलामती (सुरक्षा) खोजनेमें पुरुषार्थ मारा जाता है' यह वाक्य स्वयंस्फूर्तिसे और मेरी स्वयंवाहिनी (फाउंटनपेन) से क्यों न निकला हो, मेरे शब्दोंमें क्यों न बँधा हुआ हो, फिर भी वह मेरा नहीं है। वह समाजका अनुभव है, अतिहासका निचोड़ है। वह राष्ट्रीय पश्चात्तापमेंसे सुलग अुठा है। जैसा कि फ्रान्सका जुबेर कहता है, 'सच्चे सुभाषित जिसके मुँहसे निकलते हैं उसे भी वह और सुननेवालोंके जितना ही आश्चर्यान्वित करते हैं; वह हमारे मनमें प्रस्फुरित होते हैं, लेकिन उनमें हमारा कोई बस नहीं होता। प्रेरणा क्या कभी मनुष्य द्वारा सोच-विचार-कर निकाली जाती है?' * वह तो उसमें घुस जाती है। हम लोग जैसे अुद्गारको 'अपौरुषेय' * नामसे पहचानते हैं। यह बात अलग है कि पिछले ज़मानेके लोगोंने अपौरुषेय शब्दका आवश्यकतासे अधिक अर्थ लिया। महाराष्ट्रके कवि रेवरंड तिलकने गाया है :

* *Genuine Bons mots* surprise those from whose lips they fall, no less than they do those who listen to them, they crop up in our minds inspite of ourselves; or at least, intuitively,—as is the case with all inspirations.

हीं निःश्वासितें । कोण सोडितें । मम हृदयीं, तें ।

विचारुनी, भिअुनी त्याला । पुढें करा मग, कर अपुला ॥

[मेरे हृदयमें यह निःश्वास, काव्य के शब्द कौन छोड़ता है ? पहले उससे पूछिये, उससे डरिये और फिर काव्य में सुधार करने के लिये अपना हाथ आगे बढ़ाविये ।]

जिस तरह कानून और सरकारी साहित्य लिखनेवालेके नामपर नहीं चढ़ता बल्कि उसका कर्तृत्व सरकारके पास जाता, है, उसी तरह समाजमान्य अुद्गारोंका कर्तृत्व समाजका ही है । जैसे अुद्गार या सुभाषित समाजकी सत्तासे ही प्रचलित होते हैं । उनकी प्रतिष्ठा और उनका वैभव अुन्हें समाजसे ही मिला हुआ होता है । कमल कीचड़का नहीं समझा जाता, तालाबका भी नहीं समझा जाता बल्कि श्री विष्णुका, सविता नारायणका या लक्ष्मीका समझा जाता है, क्यों कि उनके करमें ही वह कृतार्थ होता है ।

अितनी अेक बात अगर आजके ज़मानेके लोग समझें और स्वीकार करें तो साहित्य शुद्ध होगा और साहित्यिकोंके अहंकारी झगड़े मिट जायेंगे ।

लेकिन यह तो विषयान्तर हुआ । मैं कहना यह चाहता था कि अगर विचार और कल्पनाशक्तिको स्वतंत्रता मिल जाय और उसे अनुभवसे परिपक्व होने दिया जाय तो उसमेंसे लोकमान्य साहित्य तैयार होगा । मासिक-पत्रों की अपेक्षा वार्षिक प्रकाशन अिसमें अधिक सहायक हो सकते हैं । अपरिपक्व साहित्य अपरिपक्व खुराककी तरह सामाजिक शरीरको खराब कर डालता है, विकृति पैदा करता है और समाजको क्षीण बनाता है । साहित्य-सेवकोंको अपने साहित्यके सामने भी नतमस्तक होना चाहिये । साहित्यकी तरफ अिस दृष्टिसे देखना चाहिये कि वह जनतात्मा नारायणकी पूजाका ही अेक प्रकार है । जिस तरह सर्वोत्कृष्ट फलफूल चुनकर

हम भगवानकी पूजामें अर्पण करते हैं, सूखे या सूराखदार फूल या पत्ते भगवानको नहीं चढ़ाते, उसी तरह हलकी, विचारहीन कल्पनाओं और पापी अत्तेजनाओं हम कभी साहित्यमें न गूँथें, शिवरात्रिके दिन जिस तरह त्रिशालैः त्रिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः हम पूजा करते हैं उसी तरह विशुद्धैः वाक्प्रसूनैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः साहित्यकी और समाजकी अुपासना करनी चाहिये । अगर हम ऐसा साहित्य पैदा करेंगे तो अपने लेखों के प्रति भी हमारे मनमें आदर पैदा होगा । प्रपत्तियोगी डाक्टर भांडारकरने कहा है, 'मैं अपने लेख अनेक बार पढ़ गया हूँ । मुझे अुसमेंसे आश्वासन मिला है ।' यह वचन नम्रसे नम्र साहित्यसेवकका है ।

साहित्यकी यह प्रतिष्ठा आज नहीं रही । बचपनमें पढ़ा हुआ भर्तृहरिका यह श्लोक अब नये अर्थमें सच्चा लग रहा है:—

पुरा विद्वात्ताऽऽसीदुपशमवतां क्लेशहतये ।
 गता कालेनासौ विषयसुखसिद्धयै विषयिणाम् ॥
 अिदानीं तु पेक्ष्य क्षितितलभुजः शास्त्रविमुखा
 नही कष्टं सापि प्रतिदिनमधोधः प्रविशति ॥ १ ॥

ऐसा तो कोअी नहीं कहता कि साहित्यका अुपयोग वैराग्य वृत्तिके लिये ही किया जाय । लेकिन पौरुष, पराक्रम, पवित्रता, प्रसन्नता और पारमार्थिकता यह पांच लक्षण तो अुसमें होने ही चाहिये । *



* अहमदाबादके साहित्य-अुत्तेजक समाजके वार्षिक अुत्सवके अवसरपर अध्यक्षपद से दिया हुआ अभिभाषण—१९२८

कवि और सन्त : : : :

पुराने जमानेमें भक्तिमार्गी और योगमार्गी सन्त काफ़ी तादादमें कविताओं करते थे। सन्तोंकी कृतिओंमें कविता तो आती ही थी। यह बात नहीं कि सभी सन्तोंकी कवितामें काव्यगुण या प्रसादगुण होता ही था। लेकिन भक्तिभावपूर्ण लोगोंके मनकी कुछ ऐसी गढ़न या पूर्वतैयारी चली आयी है कि जिसका जीवन पवित्र है, जिसने अपना जीवन परमेश्वरके चरणोंमें समर्पित किया है उसकी छंदोबद्ध वाणी पवित्र, बोधामृत पिखनेवाली तथा अनुभवमूलक होती है और इसलिये उसे प्रासादिक समझना चाहिये और उसमें काव्य देखना चाहिये। अतः अन्होंने यह न देखकर कि काव्यका सच्चा लक्षण क्या है, काव्यकी ऐसी ही परिभाषा बनाना तै किया जिसमें सन्त-वाणीका समावेश हो सके।

यह ड़ुभी सन्तोंकी बात। अतिहास, पुराण और पौराणिक काव्य लिखनेवाले सभी कवि सन्त थे और ऐसा दावा हालाँकि नहीं किया जा सकता, फिर भी वह 'धर्मग्रंथ' लिखते हैं, श्रीश्वरी लीलाका वाङ्मय-विस्तार करते हैं और धर्मशिक्षा को दृढ़ बनाते हैं इसलिये उनकी छंदोबद्ध रचनाको भी काव्य ही कहना चाहिये, ऐसा लोगोंको लगता था। आज भी सामान्य लोगोंकी धारणा यह है कि छंदरचना ही काव्य है। पौराणिक कथाओं और अवतारी पुरुषोंके लीलामृत वर्णनात्मक होनेसे उनमें काव्यगुणके लिये अच्छा खासा अवकाश रहता। ऐसी रचनाओं में कहीं कहीं काव्यगुण चमक उठता है फिर भी उसके वातावरणमें रचनाका रुक्ष भाग भी वस्तु या कथाके प्रवाहमें रोचक बनता है और चाहे जितनी लम्बी कलाकृति भी पढ़ने योग्य बनती है।

केवल शृंगारिक या अश्लील लावनियों (गीतों) या शृंगारशतकों की बात तो बिल्कुल अलगही है। उनकी रचनामें काव्यगुण हो या

न हो, कामुकता को अुदीपित करनेकी सस्ती शक्ति अुनमें अवश्य होती है। असलिये विलासप्रिय मनुष्यको अुसमें सहज ही काव्यगुण दिखायी देता है और दूसरी तरफ अैसे रँगिलेपनमें सच्चा काव्यगुण हो तो भी वह नीतिविधातक होनेके कारण शिष्ट समाज या दांभिक प्रतिष्ठाको अुसकी निन्दा करनी ही पड़ती है। (वास्तवमें देखा जाय तो श्री के मानी हैं रमणीयता, अश्री यानी रमणीयताका अभाव। अस अश्री परसे ही अश्लील विशेषण बना है। यह अश्लील शब्द सदाचारवादियोंने नहीं बल्कि सुरुचिवादियोंने, कलाकोविदोंने बनाया है। अतः जो अश्री-अश्लील होगा वह रम्य या रमणीय कैसे हो सकता है ?) अश्लील पद्यरचनामें काव्यगुण न हो तो भी वह रँगिले लोगोंमें अत्यंत प्रिय होगा ही; और अश्लीलताके वायुमंडलको छेद कर अुससे काव्यरसका फव्वारा निकल आये तो भी शिष्ट या समाजहितैषी लोग अुसे हरगिज मंजूर न करेंगे।

पुराने जमानेकी परिस्थिति अस तरह की थी। वर्तमान समयके सन्त काव्य बहुत कम करते हैं। पुराने काव्य काफ़ी होनेके कारण अुन्हींसे अुनका काम चल जाता है और आधुनिक युग सन्तकाव्योंका न होने से (यानी अुनके लिये अुनुकूल न होनेसे) आधुनिक सन्त व्याख्यानों, प्रवचनों, बोधवचनों या सुभाषितों द्वारा ही अपना हृदय, अपनी श्रद्धा तथा अपने अनुभव व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ़ हमेशा सन्तपनमें ही मस्त होकर रहनेकी आवश्यकता या जिम्मेदारी अब कवियोंको महसूस न होनेसे वह चाहे जिस विषयपर, चाहे जैसी वृत्तिमें आकर या अुसे धारण करके काव्यरचना करने लगे हैं।

क्या सन्त, क्या कवि, दोनोंमें अनन्त प्रकारकी वृत्तियां या भावनाओं (moods) प्रस्फुरित हुआ ही करती हैं। जिस समय जो भावना प्रबल हो अुस समय वह भावना अुनके लिये सच्ची ही होती है। कभी कभी अिन भावनाओंमें अुच्च कोटिकी अुत्कटता हो तो भी स्थिरता,

वीर्य या जोश नहीं होता। जिस तरह नाटकका अभिनेता वीर रसका चाहे जितना दिखावा करे तो भी हम उसके पीछे वीरोचित जीवनकी अपेक्षा नहीं रखते, उसी तरह कवि अलग अलग भाव प्रगट करे तो भी उससे उन भावोंके अनुकूल बर्ताव की अपेक्षा हम नहीं रखते। लेकिन सन्तों की बात ऐसी नहीं है। हम तो मान ही लेते हैं कि सन्त एक परम पारमार्थिक प्राणी है। हममें एक अपेक्षा यह होती है कि 'सन्त जैसे बोले वैसे हा चले।' और इसलिये सन्तोंको अनेक प्रकारकी भावनाओंमें विहार करनेकी, ऊँचा उड़नेकी और आशा-निराशा, सन्तोष-असन्तोष, संभोग-विप्रलंभ आदिके आरोह-अवरोह करनेकी पूरी तरह छूट होते हुए भी उन्हें अनुभवके तंबूके सुर कायम रखकर उससे विसंवादी न हो इस तरह सभी आलाप और प्रलापके तार छेड़ने पड़ते हैं। और अगर शब्दार्थ से ही चिमटकर रहनेवाला कोई दुर्द्वी भक्त मिल जाय तो अपने परस्परविरोधी वचनों की एकवाक्यता करके दिखानेकी जिम्मेदारी उनपर या उनके अभिमानी विवेचकपर आ पड़ती है। [इसमें अगर कामयाबी न मिली तो रहस्यवाद (Mysticism) का आश्रय लेनेकी सङ्कलित है तो सही, लेकिन अनुभवमात्र पारमार्थिक और परम सत्य होनेसे विरोधका परिहार करनेकी जिम्मेवारी कभी टाली नहीं जा सकती।] लेकिन कवि तो आखिर निरंकुश ठहरा। वह कहेगा, 'एकवाक्यता कैसी? जड तथा मूर्तोंके वचनोंमें एकवाक्यता हो तो शायद हो, मैं तो अपनी प्रतिभा मुझसे जैसा कुछ कहलवाती है, बोलता हूँ। आप ऐसी गूढत कल्पना किसलिये कर बैठते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ? मेरा दिल एक आकर्षक सराय है। वहाँ कितने ही अजीबोगरीब लोग आकर ठहरते हैं और चले जाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी मेजपरका टेलिफोन एक ही ढंग की बातें किया करे, आपका ग्रामोफोन एक ही प्रकारका संगीत गाये, आपकी पार्लमेंट परस्पर

त्रिसंवादी प्रस्ताव बनाये अथवा पास करे, या आपकी म्युनिसिपालिटी अके ही धर्मका पालन करे ? मैं अके नहीं अनेक हूँ। मैं कोअी व्यक्ति नहीं, समुदाय हूँ। जिस दृष्टिसे आप समुदायकी तरफ़ देखते हैं वही दृष्टि आप मेरे सम्बन्धमें रखें, अत्कट भावनाओंके वश होनेकी अनाग्रहिता (Passivity) मुझमें है। यह सब आपकी समझमें न आता हो तो मैं क्या कहूँ ? मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। मेरा जो कुछ आपको करना हो करें। मेरी तरफ़ ध्यान न देनेसे आपका न चलेगा। मोहक सुन्दर बालक शरारतें करके आपको परेशान करे तो भी आपको वह सब प्यारा लगता है; अुसी तरह मेरे परस्परविरोधी बोल आपके हृदयमें जबर्दस्ती पैठ ही जाते हैं और आपको मजबूरन् अभिमुख करते हैं। अुसे आप भी क्या करेंगे और मैं भी क्या करूँ ? मुझे अपना अस्तित्व साबित नहीं करना पड़ता और अुसका बचाव भी नहीं करना पड़ता, तो फिर फ़िज़ूल झगड़ा किसलिये करें ? मुझे अपना साथी समझिये या अके व्यसन समझिये; अितनी बात तो त्रिळकुल साफ़ है कि मैं आपसे चिपक ही गया हूँ।'

क्या सचमुच ही कवि हमारी दुर्बलतासे नाजायज़ फ़ायदा अुठाते हैं ? हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं है। जिस तरह बड़े समूहके सामने कोअी स्थायी आदर्श या हेतु नहीं होता अुसी तरहका हमारा जीवन है। क्या असलिये वह अुससे अनुचित लाभ अुठाते हैं ? या कविकी साधनाशून्य, साधनाविहीन भावनाओं में भी बुद्धिसे परे कोअी अेकताका तत्व सचमुच ही छिपा हुआ होता है ? या फिर सन्त और कवि दोनोंमें कोअी अन्तिम भेद ही नहीं है ? सन्त यानी अत्कट भावनाके साथ साधनाका वरण करनेवाले लोग, और कवि यानी अनन्त प्रकारके साधना-प्रवाहमें बरबस खिंचे जानेवाले विचित्र समुदाय-अितना ही दोनोंमें फ़र्क़ है। चाहे जो कहिये, लेकिन सभी सन्तोंके वचन अेकत्रित करने पर अुनमें भी आपसमें

कुछ कम विरोध दिखायी नहीं देता । ऐसी श्रद्धा नहीं बैठती कि जो कविता सन्तवाणीके नामपर खपती है वह सब अनुभव-वाणी ही होगी । अनुभवका नाम तक न हो तो भी पुराने सन्तोंकी परिभाषाका प्रयोग करके सन्तवाणी जैसी कविता आसानीसे तैयार की जा सकती है । सन्तवाणीका एक तंत्र बन चुका है । उसकी मर्यादाओं का पालन करके कविता तैयार की जाय तो फिर इस बातका डर रखनेका कोई कारण नहीं कि उसमें कोई टोके । और मान लीजिये कि थोड़ासा अनुभव है भी, फिर भी यह कौन कह सकता है कि वह जीवनके परम रहस्यकी दृष्टिसे सच्चा ही है ? ऐसा साबित करने की जिम्मेदारी भी कौन स्वीकार करता है ? एक तरफ यह आग्रह रखा जाता है कि सन्तवाणीमें आपसी मेल होना ही चाहिये, वह प्रगट होना ही चाहिये और दूसरी तरफ चाहे जिस तरीकेसे ऐसा मेल दिखानेवाले तर्कवीर या बुद्धिकी कसरत करनेवाले, करतब दिखानेवाले नट ढेरों पड़े हैं ।

अब समय आगया है कि सन्तवाणीमें खपनेवाली सभी कविताओंमें परम रहस्यका अनुभव है ही ऐसा न मानकर, सामान्य कविके काव्यकी तरह उन्हें समझकर सत्य और समृद्ध जीवनदर्शनकी दृष्टिसे उनका संशोधन हो । जो भावनाओं आत्मिक विकासके लिये प्रतिकूल हों उन्हें सावधान करना चाहिये, और प्रसंगवशात् उनके कान भी अँठने चाहिये । सन्तवाणीका पासपोर्ट (परवाना) लेकर जो कल्पनाओं आज समाजमें बे रोकटोक फैल गयी हैं और विचार तथा भावोंका अराजक पैदा करके समाजको बुद्धिदुर्बल, विचारदुर्बल और प्रयत्न-शिथिल बना रही हैं उन सब कल्पनाओंको अिकट्टा करके, जिस तरह अशोकके समयमें बौद्ध भिक्षुओंकी परीक्षा ली गयी थी, कौनसे वचन धर्मानुकूल हैं व कौनसे धर्मबाह्य हैं यह धर्मसंगीतमें निश्चित किया गया था, उस तरह इस समय भी करनेका वक्त आ गया है । यह

तै करना बहुत मुश्किल है-और यही अेक बड़ी कठिनायी है-कि अस संगीतिमें किसको नियुक्त किया जाय और किसको न किया जाय, तथा सच्चा, समृद्ध तत्त्वज्ञान किसे कहना चाहिये ।

स्वामी दयानंदजीने बहुत ही संकुचित कसौटी लेकर असपर प्राचीन धर्मग्रंथोंको कसके देखा और उनके प्रामाण्य-अप्रामाण्यका निश्चय किया । जीवन कोओ अितना तर्क-संकुचित नहीं हुआ करता । दुनिया की सारी चिन्तनराशिका विचार करके, भिन्न भिन्न संस्कृतिओंकी व्यापक दृष्टि धारण करके प्रत्येक मंडलको कुछ नहीं तो अपने लिये ही सही, अस दिशामें संशोधन करनेकी आवश्यकता है ।

सन्तवाणीमें अनेवाली अलग अलग भावनाओंको अेक के बाद अेक कसौटीपर कसके ही अूपर कही हुआ बातें स्पष्ट की जा सकती हैं ।

अिस कसौटीके शास्त्रका या संशोधनशास्त्रका आलोचन और सन्तवाणीका अवगाहन जितना अधिक किया जाय अुतना यह काम अधिक अच्छी तरह सम्पन्न होनेवाला है । लेकिन किसीको तो अस दिशामें प्रयाण का प्रारंभ करना ही चाहिये ।

—जनवरी १९३६



:

:

:

लोककथाकी शैली

दुनियामें कथाओं तो बहुत हैं, मगर उनमें लोककथाओं तो बिलकुल अलग दीख पड़ती हैं । लोककथाओंका विषय, उनकी भाषा और शैली बिलकुल न्यारी ही होती है । आजकल लोककथाओं के संग्रह किये जाते हैं और बालशिक्षा में उनका अुपयोग होता है ।

यह अेक मुख्य सवाल है कि अिन लोककथाओंकी भाषा कैसी होनी चाहिये । अमुक समय में लोकवृत्ति कैसी थी, लोकाचार कैसा था आदि बातें लोककथाओंसे निश्चित करनेकी अिच्छा रखनेवाले संस्कृति के अभ्यासी लोककथा को अुसी स्वरूप में रखना चाहते हैं जिस स्वरूपमें वह हमारे हाथमें आ गयी हो । वेदपाठियोंकी तरह वह मानते हैं कि कथाका प्रत्येक अक्षर पवित्र हो । भिन्न भिन्न संस्कृतियोंके बीचका साम्य तथा प्रत्येक संस्कृतिका विचार निश्चित करने में अिन लोककथाओंका अुपयोग बहुत ही होता है । अमुक लोककथा पाठान्तरके साथ कहाँ कहाँ प्रचलित है यह तै करनेसे हम बहुत ही महत्त्वका प्राचीन अितिहास प्राप्त कर सकते हैं और अिसीलिये अितिहास-संशोधक या पुरातत्त्ववेत्ता प्रत्येक कथाका प्राचीनतम स्वरूप बनाये रखनेका प्रयत्न करता है ।

साहित्यशास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी दूसरे उद्देश्यसे अिसी निर्णयपर आते हैं । शिष्टसाहित्य और लोकसाहित्यके बीचका भाषाभेद महत्त्वका होता है । जंगल के कुछ पौदे बगीचेकी कृत्रिम परिस्थितिमें अुग ही नहीं सकते । छोटे बच्चोंको प्यार करनेसे या अुनके लाड़ लड़ानेसे अुनकी स्वाभाविक प्रसन्नता नष्ट होती है और फिर हम स्वयं ही बच्चोंमें जो कृत्रिमता अुत्पन्न करते हैं अुससे असन्तुष्ट हो जाते हैं । लोककथाओंकी भी यही हालत है । जिस तरह अल्पश्रुत मनुष्यके हाथमें जाते वेद डरते हैं, अरसिकके हाथमें जाते कविता भयभीत हो जाती है, अुसी तरह सुसंस्कृत शास्त्रीके हाथमें जाते लोककथा डर जाती है । जिस तरह अमेरिकन संस्कृतिमें वहाँ के रक्तवर्ण मूलनिवासी नामशेष हो रहे हैं अुस तरह साहित्याचार्योंके हाथमें जानेसे लोककथाओं मर जाती हैं । संगीतप्रवीण व्यक्ति के हाथमें जानेसे लोकगीतकी जो दुर्दशा होती है वही दुर्दशा शिष्ट साहित्यरासिक के हाथमें पड़नेसे लोककथाकी हो जाती है । मनुष्यहृदयका जिसे संपूर्ण

परिचय है, जनसमाजकी अभिरुचिपर जिसकी पूरी श्रद्धा है वही कह सकता है कि: दूरीकृता खलु गुणैः अद्यानलता वनलताभिः ।

लोकशक्तिका निरीक्षण करनेवाले मनोवैज्ञानिक निर्व्याज वृत्तिके ही लोगोंमें चलनेवाली कथाओं पसन्द करते हैं और उनकी भाषा भी वह जैसी की वैसी ही रखना चाहते हैं । इस तरह पुरातत्ववेत्ता, भाषाशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक लोककथाकी अतनी हिफाजत रखते हैं । लेकिन यह हिफाजत ही बता देती है कि लोककथाकी आत्माके साथ उनका परिचय नहीं है । घासफूस भरे हुए पक्षियों के मुर्दे या मिस्रकी ममी सँभाल के रखनेवाले वस्तुसंग्राहककी वृत्ति उनमें होती है । यूरपमें अिजिप्टोलॉजिस्ट या अिडोलॉजिस्टके नामसे पहचाने जानेवाले कुछ पुरातत्वविद् होते हैं । वह भारतभूमि या मिस्र देशकी प्राचीन संस्कृतिके अवशेष ऐतिहासिक अध्ययनके लिये सुरक्षित रखनेका प्रयत्न करते हैं । लेकिन वह आर्य या मिस्री संस्कृतिका उत्कर्ष तो नहीं चाहते । मिस्रके या हिन्दूलोग उन्हें अगर अपना नेता बनायें तो यह दोनों देश मुर्दा ही बन जायेंगे, क्योंकि उनमें अिन दो संस्कृतियोंके अवशेषोंसे मोह होता है, न कि प्रेम या वात्सल्य ।

लोककथाओं अेक खास वृत्तिका फल है । जिस तरह पेड़ असंख्य फल पैदा तो करता है लेकिन उनका संग्रह करनेकी कोशिश नहीं करता उस तरह लोककथा के पीछे की मुग्ध निर्व्याजता हममें ही तभी पुरानी लोककथाओंकी रक्षा की जा सकती है और नयी कथाओंका निर्माण भी किया जा सकता है ।

मैं अेक बार अपने यहाँकी लोककथाओंका संग्रह करने निकला था । लोककथाओंकी भाषा हर्फबहर्फ वैसी ही रखनी चाहिये अिस सिद्धान्तका हिमायती होनेसे मैं लोगोंसे भी उसी खबरदारीकी अपेक्षा रखता था ।

गावड्यान् गाअूस बांधील
 गुरवान् तळस खाणील
 अेवढ तळ खणल्या वरी
 तळया पाणी कां लागेना
 तळया पाणी कां लागेना

गाँवके लोग मेरी तरफ़ देखकर हँसने लगे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता कि गाँवके रआसका अकलमंद लड़का कालेजमें पढ़ा है। फिर भी अितनी सी भाषाकी रचना बनना भी नहीं जानता। उनमें मैं तिरस्कारकी छटा देख सका। उन्हें मैं कैसे समझाता कि अपनी पढ़ाअीके कारण ही मैं लोकभाषाके लिये पराया बन गया हूँ? थोडी कहानी कहने के बाद अब्बर वह बची हुआ कहानीका सारांश कह डालते और कहते, “अिसका ब्यौरा तुम खुद हां लिख लो।” उनके लिये वह बहुत आसान था। मुझे अैसा लगता है कि अुस प्रदेश में ‘अुमाअी’ की कहानी हजारों सालोंसे प्रचलित होगी। भाषामें हेरफेर ज़रूर हुआ है। फिर भी देहाती लोगोंके मुँहमें अुसका लोककथापन बिलकुल नष्ट नहीं हुआ है। वे प्राचीन लोकवृत्तिके वारिस हैं। कथामें चाहे जो परिवर्तन करनेका अुन्हें अधिकार है, क्यों कि लोकवृत्ति, जो कि लोककथाकी आत्मा है, उनमें प्रस्फुरित हुआ होती है। वह अितिहासी नहीं बल्कि प्राणोपासक होते हैं। वह पूर्वजोंके मुर्दे सँभालना नहीं चाहते बल्कि पूर्वजोंके प्राणोंसे प्राणित होना चाहते हैं। अितिहास अुनकी नसनसमें समाया होता है। जिन्होंने अपने जीवनमें अितिहास के नवनीत का आत्मसात् किया हो वह किस लिये अितिहासके छिलके-तलछट सँभालकर रखें?

बालशिक्षामें हमने लोककथाओंको किसलिये स्थान दिया है? मरे हुये ज़मानेके अवशेष के तौरपर या अुसके प्राणके तौरपर?

आम शिक्षा को भी शुद्ध लाभ नहीं है। जब शिक्षा आम या सार्वत्रिक होगी तब लोगोंकी मुग्धवृत्तिके नष्ट होनेकी बहुत संभावना है। लोगोंका आनन्द लुप्त जायगा, सन्तोष नष्ट होगा, अशान्ति फैलेगी और सामाजिक विप्लवका बीज बोया जायगा। क्या इस संकटसे बचने के एक उपायके तौरपर लोककथाद्वारा लोकवृत्तिकी स्वाभाविकता की हम रक्षा करना चाहते हैं? या सामाजिक परिवर्तनके कारण जो जमाना बीतता जाता है उसके श्राद्धके तौरपर हम लोककथाओंका संग्रह करते हैं? श्राद्ध तो अकेले दो जमानों तक ही चलेगा। फिर तो इस श्राद्ध परसे भी श्रद्धा अड़ जायगी। जब दूसरे महत्त्वके विषयों की भीड़ हो जायगी तब लोककथाको कौन पूछेगा?

कुछ विकासवादी दूसरी ही दृष्टिसे बालशिक्षामें कथाको स्थान देते हैं। वह कहते हैं, “मनुष्यको अपनी अल्पसी जिन्दगी में सहस्रावधि वर्षोंके विकासकी पुनरावृत्ति करनी पड़ती है और इसलिये शिक्षाका क्रम उस मानवी विकासके क्रमके अनुसार ही होना चाहिये।” इस दृष्टिसे बालकथाएँ बहुत अगत्यकी हैं। यह विकासवादी भी बालकथाओंका मूल स्वरूप जैसा का वैसा ही रखना चाहते हैं। अतिहासीकी दृष्टिसे पुराने समयकी चीजें आजके जमानेमें असत्य हैं। विकासवादी लोग इसका विरोध करके कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिका विकास समाजके औतिहासिक विकासके अनुसार होनेसे प्रत्येक सीढ़ी हमेशाके लिये सत्यरूप है और इसलिये वह बालकको मानवजातिके बाल्यकालका प्रतिनिधि समझकर उस कालके अतिहास और लोकस्थितिको बालशिक्षाका मुख्य आधार या मूलमंत्र मानते हैं।

अिन सबसे अलग अके नया पक्ष है। इसे हम जीवनवादी कहें। वह कहते हैं, “हर क्षण जीवन सम्पूर्ण है। जीवन की अलग अलग

दशाओं में साधनदशा और अपभोगदशा जैसे फ़र्क करनेका कोअी कारण नहीं। प्रौढ काल जितना सत्य और अपभोग्य है अतनाही बाल्यकाल भी है। उसे केवल साधारण समझना बालकोंके प्रति अन्याय और अीश्वरका अपमर्द करने के समान है। ”

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का ‘ शिशु ’ (The Crescent Moon) अिसा वृत्तिसे लिखा हुआ है। अुसमें नयी-पुरानी सभी बालकल्पनाअें दाखिल हुआ हैं। अब अिस पंथकी जाँच करनी चाहिये। नीतिवादी शिष्टजनोंमें नीतिकी रक्षा करने का और छोटे बच्चोंके कानोंमें अशिष्ट शब्दोंका अुच्चारण भी न पढ़ने देनेका आग्रह रहता है। अुनका मार्ग बहुत ही कठिन होता है। बेचारोंको हर चीज़ में दिलचस्पी होती है, लेकिन कोअी चीज़ निर्दोष मिलती ही नहीं और अिसलिये वह स्वयं दुखी रहते हैं तथा बालकोंको भी दुखी करते हैं।

हर ज़माने की नीति सम्बन्धी कल्पना अमुक अंशमें अलग होती है। शिष्टाचारकी कल्पना भी भिन्न होती है। संस्कृत भाषामें कुछ वाक्यप्रयोग अैसे हैं जो अत्यंत शिष्ट और शुद्ध माने गये हैं लेकिन अिसका अुच्चारण करते हमें शर्म आयेगी। अिस तरह अंग्रेज़ सरकारको प्रकाशित होनेवाली प्रत्येक लेखनकृतिपर पहरा रखने की अिच्छा होती है अुस तरह अिन नीतिवादियोंको हर चीज़का नया संस्करण तैयार करने की ख्वाहिश रहती है। अुनका आग्रह यथार्थ है, लेकिन अुसका अतिरेक मूर्खतापूर्ण होता है। कभी कभी अिस अत्याग्रह के कारण ही अनिष्ट परिणाम हुआ करते हैं। जीवनवादी लोग उनसे कहते हैं, “ आप अपनी दृष्टिसे निर्णय न करें। अिस तरह हर ज़माने की नीतिकल्पना भिन्न होती है अुस तरह बाल्यकालकी नीति भी अलग ही होती है। अिस तरह कुछ चीज़ें बड़ी अुम्र के लोगोंके लिये निर्दोष होती हैं और वही चीज़ें युवकोंके लिये हानिकर होती हैं, अुसी तरह अिस चीज़का असर

आपपर बुरा होता है उसका बच्चोंपर कोअी भी असर नहीं होता । जो सिद्धान्त नीतिके विषयमें वही सिद्धान्त शिष्टता और ग्राम्यता (अशिष्टता) के विषयमें भी लागू है । छोटे बच्चोंकी कहानियों और बातचीतमें पादने का अुछेख तो आता ही है । हम लोग अुसे अनिष्ट समझते हैं । रामायण, महाभारत, आदि आद्यग्रंथोंमें कृत्रिम शिष्टाचार या कृत्रिम नीति नहीं होती; और स्त्रीपुरुष, आबालवृद्ध अुनका पारायण करते हैं; फिर भी किसीपर अुसका बुरा असर नहीं पडा है । अिसका कारण यही है कि अिन आद्य ग्रंथों में जीवन का प्रवाह खुला और अिसलिये सत्य है । रामायण-महाभारत का जीवनप्रवाह अितना समृद्ध और वेगवान है कि अुसमें गंदगी पैदा ही नहीं हो सकती । जीवनके वीर्यपर और प्राणकी शक्ति पर अुनकी जो श्रद्धा है वही अगर हममें हो तो तनिक भी पहरा दिये बिना हम विद्यार्थियों को बढिया से बढिया शिक्षा दे सकते हैं । अुससे अशिष्ट और ग्राम्य वस्तुके विषयमें बच्चोंमें यथार्थ कल्पना और आवश्यक घृणा अुत्पन्न होगी और कुञ्च भी छिपाकर रखने की जरूरत न रहेगी ।

सारांश अगर बालजीवन को सत्य मानकर बालशिक्षाका प्रश्न हम हाथमें ले लें तो बालशिक्षाके सिद्धान्त बालकोंसे ही मिल सकेंगे ।



सार्वभौम कहानी

अुत्तर ध्रुवसे लेकर दक्षिण ध्रुव तक दुनियाके सभी देशोंमें, बड़े बड़े महाद्वीपों या छोटे छोटे टापुओंमें सुधरे हुअे-सभ्य-तथा जंगली लोगोंमें, बूढ़ों और बच्चोंमें, गृहस्थों तथा संन्यासियोंमें अगर कोअी सर्वसामान्य व्यसन है तो वह कहानीका है । दुनियामें अैसा अेक भी गाँव न होगा जहाँ शाम हुअी है फिर भी कहानी न चलती हो ।

आजके ज़मानेमें रेलगाड़ी, तार, धुवाँकश (जहाज़), बेतार यंत्र (वायरलेस टेलिग्राफ), अख़बार और छापेखाने बढ़ गये हैं। इस-लिये दुनियाकी चाहे जो वस्तु चाहे जहाँ पहुँच सकती है। लेकिन जब इस तरहके कोअी भी साधन न थे तब भी कअी कहानियाँ हवाकी तरह त्रिखंडमें घूमती थीं यह सब साबित हो गया है। कुछ छोटी छोटी, सीधीसादी, किन्तु सुन्दर कथाओं जब हम अपने गाँवमें सुनते हैं तब हमें अैसा लगता है कि यह कहानियाँ ज्यादा से ज्यादा बारह कोसोंके अन्दरही घूमती होंगी, लेकिन शोधखोज करनेपर मालूम हो जाता है कि वही की वही कहानी देशकालानुरूप कुछ थोड़ेसे परिवर्तित वेशमें अरबस्तानके तंबूमें, सहाराके मरुस्थलमें, मध्य अेशियाके जगपुरातन शहरोंमें या रशियाके झोंपड़ोंमें छोटे छोटे बच्चे अपनी दीदी माँकी गोदमें बैठकर सुनते हैं।

कहा जाता है कि आधुनिक साधनोंके कारण इस विशाल दुनियाका अेक शहर बना है जिसके अन्दर हर देश अेक गलीकी तरह है और शहर घर बने हैं। फिर भी पुराने ज़मानेमें प्रत्येक देशके लोग अन्य देशवासियोंका लोकजीवन हमारी अपेक्षा अधिक जानते थे।

यह बात हमें जितनी असंभाव्य लगती है अुतनी ही वह संभाव्य है। देशविदेश देखनेके लिये ज़िंदगीके तीस चालीस साल बितानेवाले मार्कोपोलो, अब्बन बतूता या ह्युअेनत्संग आज कहाँ हैं? पुराने ज़मानेमें व्यापारी और परिव्राजक सारी दुनियामें घूमते और देश-विदेशकी अजीब अजीब चीज़ोंके साथ नये नये विचार और सुन्दर सुन्दर कहानियोंका विनिमय करते थे। स्पेन्सरकी 'फेरीक्वीन', बॉके शियाका 'डिकमेरोन', 'अरेबियन नायट्स' आदि ग्रंथोंमें इस प्राचीन प्रथाका स्मरण है।

हिन्दुस्तानमें भी यात्राके लिये निकले हुआे अृषिमुनि जहाँ कहीं सत्र चलता हो वहाँ थोड़े दिन विश्राम करके अत्यंत अुत्साहके साथ

धार्मिक कहानियोंका विनिमय या आदान प्रदान करते। बुद्ध भगवान भी हर रोज़ शामके वक्त श्रमण भिक्षुओंको अिकट्टा करके जातक-कथाएँ कहते। अीसामसीह जब धर्मोपदेश करते तब कहानियों द्वारा ही अुसे दिलोंतक पहुँचा देते। कहानियोंके पीछे पागल होनेवाले और कभी खत्म न होनेवाली कहानी सुननेके लिये सारे राजपाटको हाथसे जाने देनेपर अुतारू होनेवाले राजाओंके विषयमें भी हमने सुना है। जो अच्छीसे अच्छी कहानी सुना सकता अुसके भारीसे भारी अपराध भी पुराने ज़माने में माफ़ किये जाते। जहाँ जहाँ व्यापारका पुराना केन्द्र था वहाँ वहाँ दूर देशविदेशके व्यापारी सरायोंमें अिकट्टा होते और चतुराअीकी, ठगबाज्जीकी, आशिकमाशूक की, कुत्ते-बिल्लियोंकी, राजारानीयोंकी, साधुसन्तोंकी अीश्वरीय क्षोभकी या दैवी चमत्कारोंकी, मंत्रतंत्रकी या जादूटोनोंकी कथाएँ तो जरूर चलाते। अब भी जहाँ रेल नहीं गयी है वहाँ यह सब देखा जा सकता है। काश्मीर तथा नेपालमें व्यापारियोंसे भरी सरायोंमें मैंने अैसी कहानियाँ सुनी हैं।

यह कहानियाँ मुसाफ़िरोको बड़ी से बड़ी शिक्षा देनेवाली होती हैं। अिन कहानियों द्वारा अिस बातका साक्षात्कार मिलता है कि दुनियामें सब जगह मनुष्यस्वभाव अेक-सा ही है, सुखदुखके कारण अेक-से ही हैं और सुखकी ही वस्तुसे सबका हृदय आवेशमें आता है और दयासे पिघलता है। जो आश्वासन हमें धर्मपुस्तकोंसे, पुराण या कुरानसे, बाअिबल या तलमूदसे मिलता है वही आश्वासन अमरीका के नीग्रो गुलामोंको अुनके बापदादाओं द्वारा अफ्रीकासे अपने साथ लायी हुअी कहानियों और गायनोंसे मिलता है।

कहानियोंका शौक जितना हिन्दुओंमें है अुतना या अुससे भी ज्यादा मुसलमानोंमें है। आजके पारिचमात्य साहित्यमें हमारे मुग्ध हृदयको अपना जैसा कुल्ल नहीं लगता। लेकिन यूरपकी, और खास

करके दक्षिणी और पूर्वी यूरोपकी लोककथाओंमें हम अपना हृदय प्रतिबिम्बित हुआ देखते हैं। यूरोशियन संस्कृतिसे अलग पड़े हुए आसिलैंडके लोगोंकी सगाओं (पौराणिक कथाओं) में भी हमें इसी सार्वत्रिक मानवी स्वभावका दर्शन होता है।

बौद्धकालीन जातककथाओं लीजिये, जैनकालीन पंचतंत्र लीजिये, विष्णुशर्माका हितोपदेश पढ़िये या मिसर देशके ओसपकी नीतिकथाएं पढ़िये, मनुष्य परिस्थितिके साथ, तिर्यग्योनियोंके साथ, जीवसृष्टिके साथ अेकरूप हुआ दिखायी देता है। रामायणमें भी पशुपक्षी, मत्स्य, वानर आदि सब प्राणियोंके साथ बाल्मीकि अेकरूप हो सकते हैं। इस समभावके कारण हम सब प्राणियोंपर प्रेम कर सकते थे, उनके स्वभावपर से बहुत कुछ सीख सकते थे और इसलिये यह समझना आसान था कि सर्वत्र अेकही आत्मा है। A cow has no soul (गायके आत्मा नहीं होती) जैसा वाक्य प्रेमके पुराने जमानेमें किसीके दिमागमें पैदाही न होता था। कहानियाँ मनुष्यजातिका सबसे पुराना और अत्यंत व्यापक जीवनरहस्य (Philosophy of life) है।

धार्मिक आचार, स्मृतिके नियम, राजा तथा धर्मगुरुओंकी आज्ञाओं, सामाजिक रिवाज आदि अनेक वस्तुओंसे मानवी मन और हृदय बद्ध हैं और इसलिये उन्हें कृत्रिमता रखनी पड़ती है। लेकिन कथाओंमें मनुष्यहृदयको, मनुष्यकल्पनाको पूरी आजादी रहती है। हृदयके भाव और सहजस्फूर्तिसे उत्पन्न होनेवाले विचार कहानियोंमें परिपूर्ण रूपसे प्रकट होते हैं। अगर यह देखना हो कि किसी भी समाजकी अुन्नति कहाँ तक हुई है तो वह धर्मशास्त्र देखनेसे मात्स्य न होगा, स्मृतिओमें न मिलेगा, शिष्ट ग्रंथोंमें खोजा न जा सकेगा और अितिहासमें से भी उसे ढूँढ निकालना मुश्किल है; मगर किसी भी समाजकी अमली या व्यावहारिक संस्कृति कैसी और किस दर्जेकी

है जिसका सम्पूर्ण खयाल उस समाजकी मौलिक लोककथाओंसे पूरी तरह आ सकता है। धर्मग्रंथोंमें उस समाजके सबसे अच्छे आदर्श मिलते हैं। इतिहासोंसे इस बातकी कल्पना आ सकती है कि अधिकारी वर्गों या जातियोंका जीवन कैसा था। शिष्ट ग्रंथोंसे यह स्पष्ट होता है कि विद्याका प्रवाह किस दिशामें और किस वेगसे बहता था। लेकिन लोकजीवनका यथार्थ चित्र तो लोककथामें ही मिलता है।

अतः किसी भी संस्कृतिका सर्वांगसुन्दर अध्ययन करना हो तो उस देशकी धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तान्त और लोककथाओं मालूम करनी ही चाहिये। कहानी शिक्षाका स्वाभाविक स्वरूप है, क्योंकि मनुष्यजीवनका उसमें परिपूर्ण चित्र होता है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्यको जीनेमें अधिकसे अधिक आनन्द मिलता है और इसीलिये मनुष्यमात्रको जीवनकी प्रतिबिम्बरूप कथाओंमें अधिकसे अधिक रस मिलता है। धर्मग्रंथ प्रभुकी तरह आज्ञा करते हैं, इतिहासकी किताबें मित्रकी तरह अक्ल ठिकाने लाती हैं, लेकिन लोककथाओंमें प्रेममयी सहधर्मचारिणी की तरह मनको बश करके मानवी स्वभाव और मानवी जीवन के विषय में शिक्षा देती हैं। तीनोंकी आवश्यकता है। नीतिपाठ गले उतारनेका जो कार्य उपदेश नहीं कर सकते वह कहानियाँ करती हैं, क्योंकि कहानियाँ मनुष्यका हृदयपरिवर्तन करती हैं। 'प्राणियों पर दया करो' कहनेकी अपेक्षा ऐसी कहानियाँ, जिनसे प्राणियोंके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा या उनकी हीन दशा देखकर दया उत्पन्न होगी, कही जायँ तो उनका असर अधिक होता है।

इस बातका भान हमें कहानियों द्वारा ही होता है कि जीवनमें कितना आनन्द है। यह तो सभी जानते हैं कि नुक्ताचीनी या टीकाटिप्पणी करनेकी अपेक्षा प्रत्यक्ष कर दिखाना अधिक अच्छा होता

है। आजकी लोकस्थिति अच्छी न लगती हो तो अच्छा रहनसहन रखकर दिखाना अधिक श्रेष्ठ है। यह न हो सके तो हम जिम आदर्श स्थितिकी कल्पना करते हों वह प्रत्यक्ष अमलमें आयीँ ऐसा है दिखानेवाली रसपूर्ण कहानियोंका निर्माण हम कर सकें तो भी समझना चाहिये कि आधा काम हो गया है। Looking Backward इस तरहकी साम्यवादी कहानी है। अगर अपनी शक्तिके बल हम यह कहानी समाज को प्रत्यक्ष करा सकें तो प्रत्यक्ष आचरण जितना असर समाज पर पड़ता है। कुछ लोगोंकी रायमें महाकवि वाल्मीकि का रामायण इसी प्रकारकी कथा है। ब्रह्मदेवकी सृष्टिकी स्पर्द्धामें जिस तरह विश्वामित्रने अेक प्रतिसृष्टिका निर्माण किया था उसी तरह कवि भी कहानियोंद्वारा प्रतिसृष्टि उत्पन्न करते हैं और पाठकोंको वहाँ के नागरिक बनाते हैं।

कवि अपने राज में उसे अच्छे लगनेवाले धर्मसिद्धान्त चलाता है, उसे पसन्द आनेवाला विधान तैयार करता है, क्या चाहना और क्या त्यागना इसका निर्णय करता है, पाठकोंसे अन सबका स्वेच्छासे स्वीकार करवाता है। इसीलिये कहानी लिखनेवाला कवि ब्रह्मा है, मनु है, राजा है, समाजनेता है, मित्र है, साकी है।

हमारे यहाँ राजपुत्रोंको धार्मिक कथाओंद्वारा सारा ज्ञान दिया जाता था। समझमें नहीं आता कि इस तरह हमारे समाज नेताओंका ध्यान क्यों न गया कि प्रत्येक पुराण राजपुत्रों और सामान्य लोगों के लिये विशिष्ट मतके अनुसार चलनेवाली शिक्षाकी परिपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। पंचतंत्रकी प्रतिज्ञानकी कहानी भी ऐसी ही है। राजाके बुद्धू लड़के किसी तरह पढ़ते न थे। उन्हें आर्य विष्णुशर्माने कहानियोंद्वारा छः महीनोंके अन्दर लिखा पढ़ाकर चतुर बना दिया। उपनिषदोंमें भी बड़े बड़े ऋषि विश्वका रहस्य खोलनेवाले महान् सिद्धान्त कथाओं द्वारा अपने शिष्योंके गले आसानीसे अुतारते।

आज भी अपने सम्पर्क में आनेवाले बालगोपालोंको कहानियों-द्वारा आनन्द और ज्ञान देनेके लिये 'माणभट्ट' अवतीर्ण हुआ है। दुनियाके सब देशोंके, सब कालोंके और सब प्रकारके शास्त्रमान्य, लोकमान्य, शिशुमान्य कथालेखक 'माणभट्ट' को आशीर्वाद दे दें।*



: : : लोकगीत (ग्रामगीत)

जहाँ धर्म है वहाँ दंभ भी है। दीयातले अंधेरा, आत्मातले अहंकार और धर्मतले दंभ-यह सनातन नियम है। बाह्य नियमनके साथ धोखेबाजी आ ही जाती है। अिस नियमके अनुसार समाजमें जैसे जैसे शिष्टमान्य नियम मनुष्यस्वभावको दबानेका प्रयत्न करते हैं वैसे वैसे लोगोंमें अेक प्रकट भाव और दूसरा गुप्त भाव अिस तरह की बेवफा-दारी पैदा होती है।

आज शिष्टसमाज में भाषाकी या आचार विचार की जो शुद्धता हम देखते हैं वह अगर सच्ची है तो यह मानने में कोअी हर्ज नहीं कि आजकल सत्ययुग है। जिस तरह हम पोशाकसे शरीर के अैब ढँक देते हैं अुस तरह शिष्टभाषा द्वारा हम अपने विचारोंकी मलिनता को ढँक लेते हैं। अमुक संप्रदायके लोग अमुक बात कर ही न सकें अैसा नियम करने के बाद अुस संप्रदाय में जो दंभ और ढोंग पैदा होता है अुसे देखकर नियम बनानेवालों पर हँसी आये बिना नहीं रहती। जहाँगीर बादशाहके बारे में कहा जाता है कि रातको जिन दोस्तोंके साथ वह लककर शराब पीता था वही दोस्त दूसरे दिन दरबार में शराबका नाम भी निकालते तो अुसे धर्मविरुद्ध बर्ताव मानकर वह

* साबरमती आश्रम में चलनेवाली हस्तलिखित पत्रिका 'माणभट्ट' के लिये लिखा हुआ लेख।

अन्हें सख्त सजा देता। शिष्टाचार का यह झंझट मनुष्यस्वभाव हमेशाके लिये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिष्टाचारकी तानाशाहीसे छूटने के लिये ही क्लबों की स्थापना हुआ करती है। समाजसुधारक वर्ग ने आज समाज में ज्यादा नैतिक सुधार किये हों, ऐसा तो नहीं दिखायी देता। इसमें शक नहीं कि अन्होंने शिष्टाचार में अक तरह प्रोटेस्टेंट सुधार किया है। मनुष्यस्वभाव जितने शिष्टाचारका बोझ अुठा सकता है उससे अधिक शिष्टाचार अगर समाज में दाखिल हो जाय तो नैसर्गिक आनन्द और नैसर्गिक कला लुप्त होकर दंभ और छुपी विलासलोलुपता बढ़े बिना न रहेगी।

आद्यकवि इस दंभके सबसे बड़े शत्रु थे। जिस तरह माँबाप को अपने छोटे बच्चों को नंगा करके नहला-धुलाने में कुछ भी अनुचित या विपरीत नहीं लगता उसी तरह आद्यकवियोंको मनुष्य-स्वभावका वर्णन करनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। इस बातका वर्णन अनेक ग्रंथकारोंने भी किया है कि शिष्टमान्य साहित्यसे सड़े हुअे दिमाग को आद्य साहित्यका खुला पवन मिलनेपर कितना आनन्द होता है। साधु पुरुषोंमें शिष्ट और अश्लील जैसा कोअी भेद नहीं होता। यही स्थिति लोकगीतकी है। लोकगीतोंमें शिष्टाचार होता तो है मगर अतना ही जितना कि समाजकी नसनसमें समा चुका हो। दंभसे दिखाया हुआ शिष्टाचार उनमें नहीं होता। लोकगीतोंमें संयम होता है, लेकिन वह लोकस्वभावके साथ अकरूप हुआ होता है। अीश्वरकी रची हुअी सामान्य सृष्टि अगर सुन्दर और कुशल हो तो यह मानना ही पड़ेगा कि लोकगीत भी सुन्दर और कुशल हैं। लोकगीतोंकी अक खूबी यह है कि आज तक अउनकी खास हिफाजत किसीने नहीं की है। बहुतसे लोकगीत प्राकृतिक मृत्युसे मर जाते हैं। डार्विन्का Survival of the fittest (क्षमस्थैव हि निस्तारः । जिसकी लठी अुसकी भैस) वाला सिद्धान्त सम्पूर्ण रूपसे अगर कहीं

चरितार्थ होता हो तो वह लोकगीतोंपर ही। समाजमें अगर सच्ची नैतिक अनुभूति हो जाय तो नीतिबाह्य लोकगीत आप ही आप मर जायेंगे। जिस तरह बहती हवामें मच्छड़ नहीं रह सकते उसी तरह शुद्ध समाजमें अशुद्ध गीत टिक ही न सकेंगे। समाजमें गंदगीको बर्दाश्त करना और खराब लोकगीतोंका दोष निकालना यह है मानो सड़ी हुआ चीज़ खाकर डकारकी निंदा करना है। जिस तरह यह दिखाकर कि गंदगी कहाँ है, मक्खियाँ हमारी सेवाही करती हैं उस तरह रूढ़, खराब लोकगीत भी यह ठीक ठीक बता देते हैं कि जनसमाज का मानस कैसा है। इसी कारण इतिहासकारों को लोकगीत महत्त्व के लगते हैं। ड्राइडन की कवितासे उस समय के अंग्लैंड की स्थितिसे हम जितनी अच्छी तरह परिचय प्राप्त कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह वह इतिहासके पाठ्य पुस्तकोंसे नहीं मिल सकता। जितने मिलें उतने सब लोकगीतोंका संग्रह अिष्ट है; लेकिन कोभी यह नहीं कहता कि सब लोकगीतोंका प्रचार करना चाहिये। सामाजिक सख्तीसे जैसे लोकगीतोंको निकाल देना संभव हो तो भी वह खैरियत का रास्ता नहीं है, क्योंकि समाजदशा सूचित करनेवाले इस ज्वरमापक यंत्र (थर्मामिटर) का नाश करनेसे सामाजिक बुखार उतरनेवाला नहीं है। समाजका सुधार किया जाय तो फिर जिस तरह दीये के आ जानेसे अँधेरा आप ही आप भाग जाता है, उस तरह खराब गीत आप ही आप लुप्त हो जायेंगे।

महाभारत और रामायण में लोकस्थितिका वर्णन निर्भयताके साथ किया गया है। फिर भी ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि उससे लोकनीति खराब हो गयी है। पुराणकालीन या वेदकालीन भारतवर्षमें जो नीतिमत्ता थी उससे मानव-समाज अेक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, इस बात का विकासवादी बोल्लेस महाशयने मुक्तकंठसे स्वीकार किया है।

जैसे ग्रंथोंमें शिष्टाशिष्टताका भेद नहीं होता। इससे यह साबित

होता है कि निर्मल भावसे समाजस्थितिका वर्णन करनेसे समाज नहीं बिगड़ता, बल्कि समाजस्थितिका यथार्थ भान होनेसे उसमें सुधार करनेके उत्साह और दृढनिश्चयकी ही शिक्षा मिलती है।



: : : हमारा लोकसाहित्य (जन साहित्य)

अमरीकाके किसी भी विख्यात पुरुष की जीवनी देखिये, उसका प्रारंभ अिस तरहका दिखायी देता है कि चरित्रनायकके माँ-बाप या पूर्वज अिंग्लैंड या स्काटलैंडमें रहते थे और वहाँसे वह अमरीका चले गये। अमरीकी अितिहासकी पूर्वपीठिका यूरोपीय अितिहासमें खोजी जाती है। अमरीकी सामाजिक और राजनैतिक अितिहासका मूल यूरोप के सामाजिक तथा राजनैतिक विधानमें से निकला हुआ बताया जाता है। यह सब वहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि अमरीकी महाप्रजा यूरोपसे वहाँ गयी है। हम अंग्रेजी पढ़ेलिखे लोग यहाँ जब किसी विषयपर लिखने बैठते हैं तब यूरोपसे ही प्रारंभ करते हैं, मानो हमारी संस्कृति भी विलायतसे ही यहाँ आयी हो।

यह ढंग हर तरह से दुष्ट है और वह अस्वाभाविक शिक्षाका परिणाम है। अंग्रेजोंके यहाँ आनेसे पहले क्या हम जंगली दशामें थे ? क्या हमारे समाजमें प्रत्येक अंगका प्राचीन कालसे विकास नहीं होता आया है ?

लोकसाहित्यकी पूर्वपीठिका डेन्मार्क में खोजने की कोअी आवश्यकता नहीं। प्लेटो और अैरिस्टॉटलके वचनोंसे लोकशिक्षामें लोकसाहित्यका महत्व साबित करनेकी कोअी जरूरत नहीं। यूरोप और हिन्दुस्तानमें लोकसाहित्यके प्रति लोगोंकी भावनाअें अलग अलग हैं। यूरोपका

प्राचीन इतिहास बताता है कि आजकल जिसे यूरोपीय संस्कृति कहते हैं वह असलमें ग्रीक और रोमन संस्कृति है जिसे वह Classical Culture (अभिजात संस्कृति) कहते हैं। यह ग्रीक और रोमन लोग अभिमानी थे। जो ग्रीक और लैटिन न हों वह सब 'बार्बेरियन' यानी जंगली समझे जाते। मध्य तथा उत्तरी यूरोपमें इस क्लासिकल संस्कृतिका साम्राज्य फैल गया। और वहाँ के लोगोंने भी अलिखित मतका स्वीकार करके अपने जंगलीपनको धो डालने के लिये क्लासिकल संस्कृतिका स्वीकार किया। यह स्थिति लगभग दो हजार सालसे चलती आयी है। शिक्षाके मानी 'क्लासिकल शिक्षा' ही होते थे। वर्तमान युगमें फ्रेंच, जर्मन, इटालियन या अंग्रेज जातियोंने ज्ञान तथा विचार में जो वृद्धि की है उसकी बुनियाद भी क्लासिकल साहित्यमें ही है। नयी वस्तु तो सिर्फ भौतिक शास्त्र हैं।

अब अब दो हजार सालोंके बाद, मध्य और उत्तरी यूरोपमें आत्मानात्मविवेक जागृत हुआ है; स्वाभिमान जागृत हुआ है। वहाँके लोगोंको ऐसा लगता है कि 'हमारे बिलकुल पहले पूर्वज ग्रीक या लैटिन न थे, और जैसा कि ग्रीक या लैटिन लोग कहते, वह जंगली भी न थे। ग्रीक और लैटिन लोगोंका राज होने के पहले हमारे पूर्वजोंने सहजसुन्दर, काव्यमय तथा स्वाभाविक साहित्यका निर्माण किया था। दो हजार साल तक हमने उसकी अपेक्षा की, फिर भी अशिष्ट समझे जानेवाले लोगोंमें वह टिका हुआ है-अर्थात् वह वीर्यवान है।' आज तक अन्होंने अपने पूर्वजोंकी विरासतकी कद्र न की इसका अन्हें पश्चात्ताप हुआ और अबसे अपने वंशजोंमें स्कैण्डिनेवियन या नॉर्स संस्कृतिका ज्ञान और प्रेम पैदा करने के लिये शिक्षाके शुरूमें ही नॉर्स सगा (पौराणिक कथा) जैसे लोकसाहित्यका परिचय करानेका अन्होंने निश्चय किया है। इस तरह वहाँ लोकसाहित्यकी खोज और सेवा क्लासिकल संस्कृतिके

खिलाफ़ अेक तरहकी बग़ावत है । अस प्रवृत्तिके मूलमें यह विचार दिखाओ देता है कि क्लासिकल संस्कृति परायी है, अपनी नहीं है, उसका जुआँठा फेंक देना चाहिये । क्लासिकल साहित्य classes (खास लोगों) के लिये है न कि masses (आम लोगों) के लिये-अस तरहका विचार वहाँ प्रचलित हो गया है । असका असर वहाँ की शिक्षापर भी हुआ है ।

यह नहीं कि वहाँ क्लासिकल साहित्यका कोओ त्याग कर सके हों, फिर भी 'फोक-संस्कृति' या 'लोक-संस्कृति' प्रतिस्पर्धीके तौरपर पैदा हो गयी है । यही वृत्ति अमरीकी निग्रोमें उत्पन्न हुआ है । अमरीकी निग्रो लोगोंकी शिक्षा अमरीकी ढंगकी होती है, फिर भी असमें आफ्रिकन लोकसाहित्य, आफ्रिकन संगीत, आफ्रिकन नृत्य, आफ्रिकी मूर्ति आदि दाखिल करनेवाला अेक पक्ष पैदा हुआ है ।

हमारे देशमें लोकसाहित्यकी स्थिति और प्रतिष्ठा और ही प्रकारकी है । हमारी जनता राजनीतिप्रधान नहीं है । यहाँ 'क्लासेस्' और 'मासेस्' यानी खास और आम जैसा प्रखर भेद न था । 'श्रेष्ठ' लोगोंने 'अितर जनों'के साहित्य की सांस्कृतिक अपेक्षा नहीं की थी । आर्य संस्कृतिमें विद्वान् वर्ग लोकसंग्रह-जनसंग्रह-का महत्व जानता आया है । वेदोंमें आद्य अृषियोंने सूक्ष्म आध्यात्मिक सिद्धान्तोंको मंत्रबद्ध करने के लिये लोककथाओंका उपयोग किया है । पुराणोंमें भी अैसा ही हुआ है । वास्तवमें हमारे पुराण तो जनशिक्षाकी पाठ्यपुस्तकें ही हैं । समस्त जनताको जितने विषयोंकी शिक्षा देनेकी जरूरत समझी जाती वह सबके सब विषय अेक अेक पुराणमें आये हैं । सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर माद्धम होता है कि पुराणोंकी रचनाशैली भी शिक्षाशास्त्रके सिद्धान्तोंका अनुसरण करनेवाली है । संगीतमें भी रामायणकालसे शास्त्रीय-वैज्ञानिक-संगीत और लौकिक संगीत दोनों की अेक-सी ही प्रतिष्ठा

थी। वाल्मीकिने लव और कुशको मार्गी संगीतकी तरह देशी संगीतमें भी प्रवीण किया था। बौद्ध धर्म में जातककथाओंका स्थान बहुत ऊँचा है। जातककथा तो निस्संदेह लोकसाहित्य ही है। धार्मिक ग्रंथोंमें जो लोकसाहित्य ग्रंथित न हो सका वह कथासरित्सागर, पंच-तंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथोंमें ग्रंथित किया गया है। हमारे साधुसन्तोंने भी लोककथाओं और लोकसाहित्यका अच्छा अपुयोग किया है और नये लोकसाहित्यका निर्माण भी किया है। बेतालपच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, शुकवहत्तरी आदि ग्रंथ तो समाज की अधम और पतित दशाके कालका लोकसाहित्य है। भोज और कालिदास की कथाओं, बादशाह और वीरबलकी कहानियाँ आदि संग्रहोंसे लेकर त्रिस लोकसाहित्यकी परंपरा वर्तमानकालतक आ पहुँची है। हिन्दुस्तानमें लोकसाहित्यका महत्व जनतासे कभी अज्ञात न था और इसीलिये वेदकालसे यह परंपरा अबाधित रही है। यहाँ शिक्षणक्रममें लोकसाहित्यका पहलेसे ही स्थान रहा है। आजकालके बड़े बड़े विद्वान् मानते हैं कि मनुष्य जातिका विकास जिस क्रमसे हुआ हो उसी क्रमसे शिक्षा देनी चाहिये। विषय पढ़ानेका क्रम भी स्वाभाविक ही होना चाहिये। यानी जो शास्त्र सबसे पहले पैदा हुआ हो उसे प्रथम सिखाना, जिस शास्त्रका विकास बादमें हुआ हो उसे बादमें पढ़ाना और प्रत्येक शास्त्रमें भी जिन सीढ़ियोंसे उस शास्त्रकी अुन्नति हुई हो उसी क्रमसे वह शास्त्र पढ़ाना चाहिये। हम ऊपर कह गये हैं कि हमारे पुराण इसी क्रमके अनुसार चलते हैं। हमारी शिक्षा सबसे अंग्रेजोंके हाथोंमें गयी तभीसे ऊपरकी परंपरा खंडित हुई है।

अब हमें यह पचास-पचहत्तर बरसकी भूठ सुधारनी चाहिये। अिन पचास-साठ बरसोंमें शिक्षित और अशिक्षित के नये भेद पड़े हैं। अमीरों और गरीबोंका मिलना जुटना अिन पचास सालोंमें ही बंद हो गया है। शिक्षित लोगोंने गाँवोंकी छुआछूत मानी है, इसलिये

लोकसाहित्य हमसे अलग हुआ है। हमारे व्रतों और अुत्सवोंमें जो लोककथाओं और लोककलाओं हैं अुन्हें भी धर्मसंशोधन-सुधारके गलत खयालसे हम मरने देते हैं। आज अगर हम न चेंते तो बहुतसा साहित्य, बहुतसी रसिकता हमारी आँखोंके सामने ही नष्ट हो जायगी। अिसका अुगाय यह नहीं है कि पुराने साहित्यको विस्मरणके विनाशसे बचाकर किताबोंके अन्दर गाड़ दिया जाय। सामाजिक जीवनमें अुसे जिन्दा करना चाहिये। शिक्षामें अुसे प्रतिष्ठाका पद मिलना चाहिये। तभी जाकर हमारा लोकसाहित्य टिकेगा, फूलेगा, फलेगा और लोकजीवन संस्कारी अेवं समृद्ध होगा।



: : लोकसाहित्यकी मीमांसा

मनुष्य के अध्ययनका अगर कोअी सबसे श्रेष्ठ विषय है तो वह मनुष्य ही है। सब शास्त्र, सारी कलाओं, अितिहास और विज्ञान, समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र सब कुछ मनुष्यके लिये ही हैं। अिसी लिये संस्कारी शिक्षामें अितिहास का महत्त्व माना गया है, अिसीलिये धर्मशास्त्रकी अितनी महत्ता मानी गयी है और अिसीलिये अनेक मनुष्योंको दूसरे लोगोंके विषयमें ज्ञान प्राप्त करनेमें मजा आता है। या अैसा कहा जा सकता है कि दुनियामें जो जो शास्त्र या विषय अुत्पन्न हुए हैं वह सब मनुष्यकी मनुष्यके सम्बन्धमें या परिस्थितिके विषयमें जो कुछ जिज्ञासा होती है अुसे तृप्त करनेके लिये हुए हैं। मनुष्यमें सामाजिक जीवनकी जो स्पृहा रहती है अुसके कारण ही अेक आदमी दूसरे आदमीके बारेमें कुछ न कुछ जानना चाहता है; अितना ही नहीं बल्कि जो आदमी समाजके त्रिविध व्यक्तियोंका स्वभाव,

अनुकी भावनाओं अनुकी आकांक्षाओं और अभिरुचि जितना अधिक जानता है उतना वह अनु व्यक्तियोंपर अधिक स्वामित्व प्राप्त करता है और दूसरे अनेक लोगोंको अपनी अच्छाके अनुसार चलाता है। इसीलिये पुराने ज़माने में चतुर राजनैतिक पुरुष अपने बच्चोंको इतिहास पढ़ाते और उनसे लोकस्वभावका निरीक्षण करवाते।

प्राचीन समयमें राजपुत्रको पुरानी कहानियाँ सुनानेके लिये विद्वान् शास्त्री-पंडित नियुक्त किये जाते थे। प्रत्येक राजपुत्रको दरबार के भाटचारणोंसे उसका वंश, पूर्वजोंका पराक्रम और उसके देशके लोगोंका खास स्वभाव जाननेका मौका दिया जाता। यह दुनिया कैसे पैदा हुआ, इसका नियन्ता कौन है, इसका प्रबन्ध कैसे चलता है, समाजव्यवस्था ठीक रहने के लिये प्रत्येक मनुष्यको क्या क्या करना चाहिये आदि बातोंका तफ़्सीलवार ज्ञान उन्हें ब्राह्मणोंसे मिलता और दरबारके चापलूस विदूषकोंसे ठग लोगोंकी युक्तियाँ, स्त्रियोंका स्वभाव, चतुर वार्तालाप आदि सब बातोंकी जानकारी मिल जाती। किसी राजा के चार पांच लड़के अतने मन्दबुद्धि थे कि लोककथाओंमें भी उन्हें कोई मज़ा न आता था; यह हालत देखकर विष्णुगुप्त नामक महापंडित ने सियार, भेड़िया, बैल और कौवे जैसे पशुपक्षियोंकी बालकथाओं द्वारा उन्हें राजकाजका जटिल तत्त्वज्ञान सिखाया था—अस तरहका वर्णन अेक पुराने ग्रंथमें है।

कहानी सुननेका शौक दुनियाके प्रत्येक देशमें और हर ज़मानेमें अखंड जागृत रहा है। बच्चे बचपनके उत्साहके कारण, युवक यौवन-सहज रसिकताके कारण और बूढ़े निवृत्तिका समय आनन्दमें बितानेके हतुे कहानी सुनते हैं। मनुष्यस्वभावके अस अंगका परीक्षण करके दुनियाके गुरुओंने कहानीका उपजीवन किया और अपना उपदेश संसारके सामने रखा। जिस तरह अेक तरफ़ जिज्ञासा मनुष्यका

स्वभाव है उस तरह दूसरी तरफ अपनी शक्ति के अनुसार जीवनकी प्रत्येक कठिनायीका कुछ न कुछ निराकरण करनेका आग्रह मनुष्य-स्वभावमें रहता है। इसीलिये प्राकृतिक घटनाओं, चमत्कार, सितारोंकी गति, जन्ममरण तथा प्रजोत्पत्तिका रहस्य आदि विषयोंकी कुछ न कुछ उपपत्ति प्रत्येक देशके सुधरे हुए एवं जंगली लोगोंने अपनी अपनी दृष्टिसे लगायी है।

अस मार्गसे मानवी हृदयको आश्वासन मिलता है, कल्पना शक्तिको अवकाश मिलता है और काव्यशक्तिको पोषण मिलता है। आजकल कवि मनोविनोदके लिये भ्रम शुत्पन्न करता है और उससे लुप्त अुठाता है। आजकल यह कल्पना प्रचलित हो गयी है कि काव्यमें तो असत्य सृष्टि ही हो। मानवजातिके वाल्यकालमें ऐसा न था। संस्कृत भाषामें तथा वेदों में कवि यानी रहस्य जाननेवाला, कवि यानी मंत्रद्रष्टा, कवि यानी अिद्रियोंके लिये अगोचर वस्तुओंका रहस्य खोलनेवाला समझा जाता था। और इसीलिये कवि समाजका नेता था। समाजनेताको समाजका मार्गदर्शन करानेकी कला आनी चाहिये। हमारे प्राचीन नेता लोकशिक्षाका प्रधान सिद्धान्त अच्छी तरह जानते थे। स्थूलमेंसे सूक्ष्म, ज्ञातमेंसे अज्ञात, निकटमेंसे दूर, प्रकटमेंसे गूढ़, अंदरमेंसे बाहर, स्वकीयमेंसे परकीय—अस शिक्षाके सूत्र को अुन्होंने कभीका पहचाना था। और इसीलिये समाजशिक्षामें प्राचीन विचार, प्राचीन कल्पनाओं, लोकरूढ़ रूपक और प्राचीन अितिहास लेकर असुके द्वारा वह प्रत्येक नयी चीज समाजमें दाखिल करते।

ध्यानस्थ बैठकर विश्वमें रममाण होनेवाले, चित्तशक्तिके साथ अेकरूप होनेवाले अृषि बिना भापाके, बिना वाणीके, और बिना मनकी मध्यस्थीके भी अस दुनिया का रहस्य जान सके। लेकिन समाजको वह ज्ञान वह कैसे दे ? जिस चीजका अनुभव लोगोंको नहीं है,

जिसके साथ तुलना करने जैसा दुन्यवी तजुर्बा नहीं मिल सकता, वह चीज समाजके सामने वह कैसे रखें ?

हमारे प्राचीन अृषि चित्रकार थे । चाहे जिस गूढ़ सिद्धान्तका शब्द-चित्र वह अपनी अमोघ शक्ति से खड़ा कर सकते थे । अुन्होंने अपने जमानेमें भी अत्यन्त प्राचीन मानी जानेवाली लोककथाओं हाथमें ले लीं, अुनमें आवश्यक हेरफेर किये और अुनमेंसे जो तत्त्व प्रस्फुरित हुअे अुनका शब्दचित्र लोगोंके सामने पेश किया । आम लोगोंको अुसमें कहानीका मजा आता और ध्यानपरायण जिज्ञासुओंको अुसमेंसे परम रहस्य मिल जाता ।

अृषियोंका मानो यह स्वभाव ही था कि कोअी भी चीज सीधे ढंगसे कहनी ही न चाहिये । अिसीलिये वह कहते हैं : परोक्षाप्रिया अिन ही देवा : प्रत्यक्षद्विषः । यह प्रथा अुसी तरह आगे चलती रही । अृषियोंने परम गूढ़ ज्ञान लोककथाओंमें भर दिया । ज्योतिर्विदोंने अरने शास्त्रको लोककथाओंमें बाँध दिया । समाजशास्त्रकारोंने अपने व्यापक सिद्धान्तों और नियमोंका समर्थन लोककथाओं द्वारा किया । अितना ही नहीं बल्कि निरुक्तकारोंने भी कहानीका ही आश्रय लिया । पुराणकारोंने वफादारीसे यही प्रथा आगे चलायी । धार्मिक तत्त्वों और सामाजिक अनुशासनोंको लोकप्रिय बनानेके लिये अुन्होंने प्रचलित अितिहासों और लोककथाओंको अपनाया । लोकहृदयके साथ अेकतान होनेवाले पुराणकारोंने यह मान लिया कि लोककथा या अितिहासमें चाहे जैसा हेरफेर करनेका अधिकार अुन्हें है । और कहानियोंके प्रवाहको अिस तरह मोड़ दिया कि जिससे वह अुन धार्मिक तत्त्वों के अनुकूल हों, जिनका अुन्हें प्रचार करना था । अिसमें हम अुनपर असत्यवादित्वका अिलज्जाम तो हरगिज नहीं लगा सकते । वह साफ़ कहते हैं कि हम जो कुछ कहते हैं वह अर्थवाद होता है और अिसी-

लिये वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्म-रामायण, आनन्दरामायण, अद्भुत-रामायण, भावार्थरामायण या तुलसीरामायण में अेक ही राम और सीताको कहानी का अनेक अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है ।

यूरपमें प्रतिष्ठित और सामान्य लोगोंके बीच जितना अन्तर था अतना अन्तर हमारे यहाँ न था ।

—१९२०



: : : जीवनविकासी संगठन

आजकलका कोअी भी मनुष्य लीजिये, अुसे स्वाभाविक रूपसे ही अंदरसे अैसा लगता है कि हम अब किसी नये जमानेका, नये युगका, नये जीवनक्रमका प्रारंभ कर रहे हैं । हम भले ही अैसा कहते आये हों कि भारतवर्ष अेक है, और हमारी सांस्कृतिक अेकता मुख्य मुख्य बातोंमें स्पष्ट रूपसे भेड़े ही दिखाअी देती हो, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आजतक हम छोटे बड़े गिरोहोंमें ही रहते आये हैं । 'विविधतामें अेकता' हमारी संस्कृतिकी खासियत है । लेकिन हमने तो विविधताको अनेकधा फैरने दिया और अेकता लाना लगभग भूल ही गये । असलिये समाजमें बल के होते हुअे भी हम कमजोर सबित हुअे । हम सबका रहनसहन तथा विचारप्रणाली अेक-सी होते हुअे भी हम छिन्न भिन्न हो गये ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य अिह नानेव पश्यति ।

हमारे पितरोंके पिता यमराजने कभी का कह दिया है कि जो व्यक्ति अपने जीवनमें केवल विविधताके ही पीछे पड़ता है वह जीवनके अेक के बाद अेक क्षेत्रमें मृत्यु के, क्षयके शिंक्रजेमें फँस जाता है । भगवान श्रीकृष्णने गीतामें भी कहा है कि 'जो ज्ञान भेदभावको

पोषण देता है और विविधताको ही पहचानता है वह समाजकी प्रग-
तिको रोख रखता है ।' फिर कुछ लोग तो वस्तुओंका तारतम्य न
जानकर क्षुद्र अंकांगी वस्तुओंको ही सर्वस्व मानकर अनाड़ीपन
नासमझदारी करने लगते हैं । जैसे लोग समाजको अधिकाधिक नीचे ले
जाते हैं । जो लोग अंक ही प्रान्तको सारा देश समझते हैं, संस्कृतिके
किसी अंक अंगको ही जीवनसर्वस्व मानने लगते हैं, वह अपनी शक्ति-
का अचित्त उपयोग नहीं कर सकते । किसी गाड़ीके सभी हिस्से-
पुरजे साबुत हैं; लेकिन अगर वह अपनी अपनी जगहोंसे खिसक गये
हों या ढीले पड़ गये हों तो वह गाड़ी भला कैसे यात्रा कर सकेगी ?

अंक ज़माना था जब वेदोपासना, संस्कृतविद्या, भक्तिमार्ग, विरक्ति
आदि महान् तत्त्वोंके बलपर हम सांस्कृतिक अंकता प्रस्थापित कर
सके । लेकिन जैसे जैसे युगोत्कर्ष होता जाता है वैसे वैसे यह आवश्यक
प्रतीत होता है कि समन्वयकारी तत्त्व अधिकाधिक व्यापक बने ।
परशुरामके समय ब्राह्मणसंगठन या क्षत्रियसंगठन स्वाभाविक होगा;
वेदकालमें आर्यसंगठन महत्त्वका हो गया होगा; छत्रपति शिवाजी
महाराज या राणा प्रतापके समय में हिन्दुसंगठन अनिवार्य हुआ होगा;
लेकिन आज तो इसमें कोअी शक नहीं कि भारतीय संगठन ही
अंकमात्र युगधर्म है ।

अस तरहका संगठन अलग अलग क्षेत्रोंमें कबका शुरू हो चुका है ।
अखिल भारतीय संस्थाओं तथा प्रवृत्तियाँ देशमें स्थानस्थानपर दिखायी
देती हैं । शिक्षा और साहित्यके बारेमें तो प्रत्येक प्रान्त अंकाकी बन
कर सिर्फ अपना ही विचार करता आया है । वर्तमान संस्कृतिके ब्राह्मण
अर्थात् अंग्रेज़ लोग और अंकाकी सत्ता के द्वारा-बाह्य कारणोंके परिणाम-
स्वरूप जो अंकता हम सबपर लद दी गयी है उसके बारेमें यह
हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि वह कोअी प्राणदायी तत्त्व है ।

प्रान्तोंके लिहाजसे शिक्षाका अलग अलग प्रबन्ध हुआ; सरकारी विद्यापीठोंकी स्थापना हुआ। अिन युनिवर्सिटियों ने अतदेशीय तथा प्रान्तीय जीवन और संस्कृतिको कितना प्राधान्य दिया है यह तो हम देखते ही हैं। अब अखिल भारतकी शिक्षाको अेक तंत्रके नीचे लानेका सरकारका प्रयत्न चल रहा है। अिसमें सरकारको कामयाबी मिल जाय तो भी अुससे समाजहृदय अेक होगा या नहीं अिसमें शक है।

अगर अैसा कहा जाय कि साहित्यके बारेमें हमारे यहाँ संगठन जैसा कुछ नहीं है, तो अुसमें कोअी गलती न होगी। साहित्यको अेक ही रस्सीसे बाँधना या नाथना आसान नहीं। साहित्यका मुँह बंद करना सहल होता है लेकिन प्रौढ साहित्य नकेल का नाम तक बर्दाश्न नहीं कर सकता। किसी भी क्षेत्रकी बाल्यावस्थामें ही अुसके अूपर पराया अंकुश टिक सकता है।

साहित्यमें कितनी शक्ति है अिसकी अधिकाधिक प्रतीति मनुष्य जाति को होती जा रही है। साहित्य अेक प्रकारका चैतन्य है; सामाजिक तेज है, मनुष्यसंकल्पकी अमोघ शक्ति है। अिस शक्तिकी सहायतासे मनुष्य चाहे जो भलाबुरा परिणाम निश्चित रूपसे ला सकता है। लेकिन यह दोधारी तलवार है। यह अेक रसायन होनेके कारण जो कोअी अिसे हजम करेगा अुसे यह अजरामर बनायेगा; लेकिन अगर अिसका दुरुपयोग किया जाय तो यह समूल अुच्छेद किये बना न रहेगा। अेक समय था जब लोग साहित्यका अपुयोग मोक्षसाधनके लिये करते थे। आगे चलकर सत्ताधारी और पैसेवाले लोगोंके मनोविनोदके लिये साहित्यका अपुयोग होने लगा। अिस जमानेके सम्बन्धमें देसनिकाले की सज़ा पाये हुआे अेक जर्मन यहूदी लेखकने कहा है:—

“यह समय साहित्यकलाके लिये या साहित्यकारोंके लिये बड़ा कठिन था। समाजमें यह विचार दृढ़ हो गया था कि साहित्यकार

के मानी हैं घरमें पालने योग्य अेक गुणीजन । प्रत्यक्ष जीवनके साथ
 उसका कोओ सम्बन्ध न रहता था । साहित्यकार क्रुद्ध हो या सन्तुष्ट,
 दोनों बातें अेकसी थीं । उसके हथियार हवामें किये गये फ़ैर या
 घुमाये हुअे पङ्केकी तरह थे । साहित्य विनोदका अेक अुत्कृष्ट
 साधन समझा जाता था । अिससे अधिक प्रतिष्ठा उसकी न थी ।”

और साहित्यकार भी अेक बात भूल गये कि सिर्फ़ शब्दकौशल्य
 या कल्पनावैभव अुनके धंधेके लिये काफ़ी नहीं है, अुसके अिये
 चारित्र्यकी भी आवश्यकता है । साहित्यकलाधर यह भूल गया कि
 अुस अुस समय लोगोंकी जो अभिरुचि रूढ़ हो गयी हो अुसका
 पोषण या अुसकी खिदमत करना अुसका धर्म नहीं, बल्कि सत्य, न्याय,
 प्रसन्नता, सौन्दर्य, स्वातंत्र्य, मानवी मन और चैतन्य अिन सनातन
 और सार्वभौम जीवनतत्त्वोंकी अनन्य निष्ठासे अुपासना करना अुसका
 धर्म है । स्वधर्मकर्म का भान भूल जानेके कारण वह सत्ताधारियोंके
 आश्रित परिवारमें गिना जाने लगा और जीवनके कठोर सत्य तथा
 वास्तविक परिस्थितिको भुला देना ही अुसका अेकमात्र कार्य बन गया ।
 अिसी हेतु जनरंजन करनेवाले अनेक वर्गोंमेंसे वह अेक बन गया ।
 अिस दुनियाके अत्यल्प मानवी जीवन-पथपर प्रकाश डालनेका कार्य
 छोड़कर वह अिस बातकी चिन्ता करने लगा कि समय किस तरह
 बिताया जाय । कलाको लोग Pastime, (या जैसा कि मद्रास की तरफ़
 कहते हैं,) कालक्षेपम् समझने लगे ।

अिसके परिणामस्वरूप यह धारणा फैल गयी कि पंडित-आश्रय
 के बिना शोभा नहीं देता । और अिस तरह वह वनिता और लता की
 श्रेणीमें जा बैठा । जो लोग खा-पीकर आरामसे रहते हैं अुनके पास
 अैशो अिशारतके लिये विपुल समय रहता है । अैसे लोगों का दिल
 अुन्न न जाय अिसलिये क्या क्या किया जा सकता है अिस बातकी फ़िक्र

करनेका काम ही अिन कलाधरोंके लिये रह गया । मानवी जीवनका बोझ अुठाकर जो बेचारे केवल भारवाही ही बने हैं जैसे पामरोंको साहित्यका आस्वाद लेने जितनी फुरसत मिले भी कहांसे ? और जब कामका ही अकाल पड़ जानेकी वजहसे जैसे लोगोंको फुरसत का वक्त मिलता है तब रोटीकी तीव्र चिन्ताके सामने साहित्य सूझे भी कहांसे ? भूखा आदमी व्याकरणसे पेट नहीं भर सकता, या प्यासा मनुष्य काव्यरससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता । सारांश, साहित्य का निर्माण तो हो गया मगर वह कृतार्थ न हुआ ।

जैसे समय जिन वर्गोंने साहित्यको आश्रय प्रदान किया अुनकी मनोवृत्ति अुसमें प्रतिबिंबित हुअे बिना कैसे रह सकती है ? समाजके भीषण जीवनकलहके स्वरूपको बिल्कुल बदल डालकर अुसे नसीबका रूप दे दिया गया । प्रचंड धार्मिक और सामाजिक विग्रहोंको विदूषक जैसा हास्यास्पद भरू चढ़ाकर अुन्हें नाटकोंमें अपुाख्यानों का स्थान दिया गया और मानवी रागद्वेषके अदम्य प्रवाहको बिल्कुल क्षुद्र बनाकर किस खीने किसके साथ अभिसार किया और किसे ताली दी—अिसीके वर्णन साहित्यमें सर्वत्र दिखायी देने लगे । सभी दगाबाज़ ! नाटककार, अभिनेता, अुनके शिक्षक और प्रेक्षक भी—सभी जालिम या जुल्मके शिकार हुअे थे ।”

अिस गढ़मेंसे साहित्यको अूपर निकालनेके लिये जनताके कुछ सेवाधुरीण अुपासक प्रयत्न कर रहे हैं । जैसे लोकसेवक साहित्य का आन्तरप्रान्तीय संगठन करना ही हमारा मुख्य अुद्देश्य है । परायी संस्कृतिकी अेक के बाद अेक बाढ़ें आ जाने के कारण हमारे लोग अगर परेशान हो गये हों तो अुसमें कोअी आश्चर्य नहीं । लेकिन हर नयी बाढ़ अपने पानी के साथ जो पौष्टिक मिट्टी लाती है वही चैतन्यके अंकुरके लिये सबसे अच्छा खाद बनता है । और फिर

जीवनांकुर निकल आनेके बाद ही पूरी सत्रह आना फसल आ जाती है ।

हमें लगता है कि हमारे देशके अतिहासमें ऐसा समय अब आया है ।

जब ज़मीन तैयार हुआ हो तब जो निर्भय हो कर बीज नहीं बोता और दिलमें यह डर रखता है कि आजतक प्राणपणसे सँभालकर रखे हुआ बीज ज़मीनमें बो दें तो वह कीचड़में पड़कर सड़ जायेंगे और अिसलिये पुरानी पूँजीकी रक्षा करनेमें ही बड़ा पुरुषार्थ है वह आस्तिकताकी भाषामें क्यों न बोलता हो, वह वास्तवमें नास्तिक है, जीवनद्रोही है । मुर्देको सँभालकर चैतन्यकी अुपासनाका द्रोह करनेवाला है । वह मुँहसे भले ही धर्मकी जय बोलता हो, लेकिन हाथसे काम तो ऐसा करेगा जिससे धर्मका अचूक क्षय हो जाय । अब तो हमें धर्मके रक्षक नहीं बनना है, किन्तु धर्मसे रक्षण प्राप्त करना है । बेशक, यह धर्म पुरानी, सड़ीगली, या खोरवली रूढ़ि का नहीं बल्कि चैतन्यका सनातन धर्म होगा ।

यह धर्म लेनदेन करते कभी न हिचकिचायेगा । जीने के मानी ही हैं लेनदेन करना । जो देता और लेता है अुसपर वह जीवनदेवता प्रसन्न होता है । ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति । लेकिन देनेके मानी गुलामोंकी तरह चुंगी कर, या जुर्मानेके तौरपर देना नहीं हैं, और लेनेके मानी भी फेंके हुआ टुकड़े भिखारीकी तरह अुठाना नहीं हैं । दुनियामें समानभावसे सबके साथ बराबरीके व्यक्ति की तरह रहनेकी कला आनी चाहिये । यह साम्ययोग साधनेके लिये ही आपसी सहकारकी कला हस्तगत करनेकी आवश्यकता है । हमारे देश में प्रत्येक प्रान्तकी कुछ न कुछ खासियत होती ही है । प्रान्तीय भेद स्पष्ट दिखायी देते हैं, लेकिन संस्कृति तो प्रान्तोंके अनुसार अलग

अलग नहीं हुआ करती। संगीतके किसी समृद्ध और संपूर्ण रागमें जिस तरह आरोही और अवरोही स्वरोंमें भिन्नता होती है उसी तरह की भिन्नता हमारे विविध प्रान्तों तथा उनके अलग अलग वर्गोंमें है।

जिस समय राष्ट्रका आत्मविश्वास बिलकुल अड़ गया था, उसमें किसी तरहकी हिम्मत नहीं बची थी उस समय कुछ लोग विदेशियोंका केवल अनुकरण करनेका उपदेश देने लगे और कुछ उनका विरोध करके कहने लगे कि पुराने मुर्दोंको मसाले में ढँककर, उनका ममी बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। हमारे यहाँ यह झगड़ा बरसोंतक चला। लेकिन बादमें सब्ची जागृतिका अुद्य होते ही पुरानी पूँजीपर जीनेकी या डिब्बेमें पैक होकर मिलनेवाली विदेशी खूराकपर गुजारा चलानेकी बिलकुल आवश्यकता नहीं रही। अपनी ज़मीन को घरका तथा बाहरका खाद देकर नयी फ़सल तैयार करना ज़रूरी है यह बात अक्लमंद लोगोंके मनमें बैठ गयी। कष्टपूर्वक ज़मीनको जोतकर ताज़ी फ़सल लेनेसे ही राष्ट्रजीवनके लिये आवश्यक सभी विटैमिन्स (जीवनसत्त्व) मिल सकते हैं अितनी सार्दा बात भी हमारे गले अुतरते दो पीढ़ियाँ राह देखनी पड़ी। और अिसीलिये आन्तरप्रान्तीय संगठन की ज़रूरत हमें आजतक न महसूस हुआ। स्वावलंबनका प्रयत्न करते समय आपसी सरकारकी ज़रूरत मालूम होने लगती है। परावलंबन में केवल नाथ-निष्ठा पूरी तरह हो तो काफ़ी है। अब, जब कि हम निजी अनुभवका महत्त्व समझकर पराक्रम या पुरुषार्थ करने लगे हैं उस समय, अेकदूसरे की सलाह लेनेकी ज़रूरत हम महसूस करने लगे हैं।

मनुष्य प्रयोगवीर न हों, अनुभवपरायण न हों तो 'कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्' अिस तरहकी पूर्वानुसारी वृत्तिके वह आदी बन जाते हैं। उस जमाने में हमने बाहरके गुरु बहुतसे किये लेकिन आत्म-गुरुकी शोध नहीं की।

राजनीतिमें पहले पढ़ल सन १८५७ आसवीमें हमने पुराने दंगसे अेक सीधी सादी बगावत कर देखी। अुसके बाद राज्यकर्त्ताओंका अितिहास पढ़कर अुन्हींका अनुकरण शुरू किया। पहिले हम आशा करते थे कि लिबरल पक्षके लोग अच्छे हैं। अुन्हींके हाथों हमारा कल्याण होनेवाला है। हमें जब अनुभव हुआ कि यह आशा दुराशा है, तब हमने मजदूर-पक्षका दामन पकड़ा। अुसी जमानेमें फ्रान्स, अिटली, अमरीका आदि देशोंका अितिहास पढ़कर अुससे प्रेरणा पानेकी हमने कोशिश की। अितनेमें रशियाकी प्रगतिसे सारी दुनिया चकाचौंध हो गयी और हमें माछम हुआ कि अुस देशमें जो क्रान्ति हुई वही वह अितिहाससिद्ध शास्त्रकी मजबूत बुनियादपर खड़ी हुई है।

गुरुमंत्र चाहे जिससे लिया जाय, लेकिन अगर वह आत्मसात् न किया जा सके तो अुससे सामर्थ्य प्राप्ति नहीं हो सकती। साहित्य के बारेमें भी अनुकरण तथा अधार लेने की कुछ मर्यादा होती है। किसी ग्रंथका स्वभाषामें अनुवाद किया जाय और अगर लोग अुसे न समझ सकें तो अुससे क्या फ़ायदा ? और समझमें आये तो भी अगर सहानुभूति न पैदा हो, वह किसीको आकर्षक न लगे, तो अुसे व्यर्थ ही समझना चाहिये। फ़र्ज कीजिये कि वह आकर्षक भी बन गया लेकिन अगर वह लोगोंके मानसमें प्रवेश न करे, विचारप्रणाली पर असर न करे, लोगोंके जीवनमें या अुनकी निजी भाषामें न अुतरे तो अुसे निष्फल ही समझना चाहिये। साहित्य की शक्ति अदुभुत है, लेकिन वह रसायन जैसी है। केवल साहित्यपठनसे या दूसरों से आदर्श और अनुभव अधार लेनेसे ज्यादा से ज्यादा साहित्यक्षेत्र समृद्ध हो जायगा, लेकिन अुसमें से जीवन साफल्य शायदही निष्पन्न होगा।

जब जीवन समृद्ध, व्यापक और गंभीर होगा तभी अुपरके गुण साहित्यमें अुतरेंगे। शोधखोज, पराक्रम, प्रवास, व्यापार, डुनर, कला-

कौशळ, निरीक्षण, परीक्षण, नवनिर्मिति आदि बातोंमें जब समाज मोर्चेपर होता है, जब उसकी महत्त्वाकांक्षा अतुंग हो जाती है और कर्तव्यबुद्धि भेदक होती है तभी साहित्य जोरदार बनता है।

अिस तरहका पोषण साहित्यको अब मिलने लगा है और अिसी लिये साहित्यका आन्तर-प्रान्तीय संगठन करनेकी जरूरत आज महसूस हो रही है। उसके लिये अुत्साह भी दिखायी देने लगा है। वैसे देखा जाय तो यह कल्पना पचीस-तीस सालकी पुरानी है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाय कि साहित्यसंगठन करनेकी आवश्यकता अुस समय पैदा नहीं हुआ थी, तो वह गलत न होगा।

जीवनको मुलाकर, जीवनसे द्रोह करके केवल साहित्यका पोषण हमें नहीं करना है। जीवनके लिये साहित्य है। जीवनमेंसे साहित्यका अुद्गम है और साहित्यका फल भी संस्कारी तथा समर्थ जीवन ही है। विविधतामेंसे अैक्य प्रस्थापित करनेका हमारा जो जीवनमंत्र है अुसे साहित्यमें भी स्पष्ट तथा पूर्ण रूपसे व्यक्त करना है। और अिस-लिये सर्वसमन्वय ही हमारा ध्यानमंत्र है।

कुछ लोगोंको ऐसा लगता है कि अनेक चीजोंकी खिचड़ी बनानेसे समन्वय हो जाता है, जब कि दूसरे कुछ लोगोंका खयाल है कि किसी अेक विशेष वस्तुका स्वीकार करके अुसका विस्तार करना और बाकी की वस्तुओंको तिलांजलि देना ही अंक्रताका अेकमात्र साधन है। लेकिन यह दोनों दृष्टियाँ भूलभरी हैं। विना विविधताके अैक्यमें कुछ अर्थ ही नहीं। विविध घटकोंका अुनका अपना स्वत्व अुचित मात्रामें न रखा जाय तो फिर समन्वय ही किसका करें? यह सही है कि स्वत्व रक्षा और समन्वय अेक दूसरेके विरोधी तत्त्व मालूम होते हैं; वह आसानीसे अेकदूसरेमें नहीं मिलते; लेकिन समाजको योग्य साधना करके यह समन्वयशक्ति अपनानी होती है। कभी भूलें होंगी, कभी

पीढ़ियोंका बलिदान देना पड़ेगा; लेकिन स्वत्वरक्षा और समन्वय दोनोंकी अेकसाथ अुगासना हो जाय तो अुसमेंसे जीवनके दिव्य स्फुल्लिंग निकले बिना कभी नहीं रह सकते । अिसीका दूसरा नाम है जीवन-रसायन ।

सिर्फ खिचड़ी बनानेसे कभी कभी अनिष्ट चीजें ही पैदा होती हैं । बाजारमें सभी वस्तुअें अेकत्रित होती हैं, लेकिन दूकानको कोअी घर नहीं कहता । पुस्तकोंकी दूकानको पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता ।

जैसा कि हम अूपर कह गये हैं, जीवनही साहित्यका क्षेत्र है । अिसलिये जीवनके सभी क्षेत्र हमारे चिन्तनके त्रिपय हैं । लेकिन अिन क्षेत्रोंमेंसे अेक बहुत ही महत्वके और व्यापक क्षेत्रको हम फ़िलहाल जान बूझकर अलग रखनेवाले हैं । राजनीति की अुच्च भूमिका परसे चर्ची जानेवाली राजनीतिकी हमारे कल्पित साहित्यमें कोअी बाधा नहीं है । लेकिन वर्तमान परिस्थितिमें यही अिष्ट है कि हम अपनी भावनाअें मौन-द्वारा व्यक्त करें । आज देशमें सबको अेकत्र लानेकी बहुत जरूरत है । धर्माभिमान, जात्यभिमान, प्रान्ताभिमान और राजनैतिक पक्षभेद आदि बातोंसे हमारी मनोवृत्तियाँ अितनी प्रक्षुब्ध, संकुचित और बुद्धिविमुख हो जाती हैं कि अुससे सांस्कृतिक संगठन अधिकाधिक मुश्किल हो जाता है । जहाँ दिल खोलकर बात नहीं की जा सकती वहाँ मौन रखना अच्छा है । डरते डरते या किसीके दबावमें आकर झूठ-सचका मिश्रण करनेमें या टंटे ढंगसे बोलनेमें सत्यका पालन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तेजस्विता नहीं है और मानसिक सन्तोष तो हरगिज़ नहीं है । और परिणाम देखने जाओ तो शून्य ! अिन सब कारणोंसे हमने अपन प्रवृत्तिको राजनीतिसे अलिप्त रखना ही पसन्द किया है ।

जहाँतक हो सके, व्यक्तिगत आलोचना भी टालनेका हमारा निश्चय है । जहाँ सभी स्खलनशील हों वहाँ कौन किसका अुपहास

करे ? पहला पत्थर कौन मारे ? फिर व्यक्तिगत टीका करनेसे न टीका करनेवालोंको लाभ होता है, न सुधरता है टीकाका विषय हुआ व्यक्ति। वह या तो चिढ़ जायेगा या नाअुम्मीद होकर निराश हो जायेगा। परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन अधिकाधिक नीचे गिरता जाता है ऐसा सार्वत्रिक अनुभव है।

कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य जीवनका समालोचन है। बात सही है; लेकिन उसमें सारा सत्य नहीं आ जाता। साहित्य जीवनकी पुनर्घटना है, नवसर्जन है और कभी कभी वह जीवनप्रेरणा भी होता है। यह सब आदर्श हमारी दृष्टिके सामने हैं।

भारतीय साहित्य संगठनका मुख्य कार्य तो राष्ट्रभाषाद्वाराही चलेगा। लेकिन उसका सन्देश अपने अपने प्रान्तोंमें अपने अपने ढंगसे पहुँचानेका काम प्रान्तीय भाषाओंको ही करना है। सब मिलकर अेक ही पंक्तिमें भोजन करने बैठे हों तो भी प्रत्येक व्यक्तिको अपनी भूख, स्वास्थ्य और अभिरुचिका विचार करके यह निश्चित करना पड़ता है कि क्या खाना है, कितना खाना है और किस तरह खाना है। इसी तरह प्रान्तीय भाषाओंको करना पड़गा।

और सब कुछ देना हो तो भी देते समय शबरीकी तरह हर बेर अच्छी तरह देख-भालकर समर्पित करना अच्छा है। दूसरे अेक ढंगसे भी सोचा जा सकता है। हम 'महाराष्ट्रीय साहित्य' या 'भारतीय साहित्य' जैसे शब्दोंका अिस्तेमाल करते हैं। 'महाराष्ट्रीय संस्कृति' 'भारतीय संस्कृति' जैसे शब्दोंका भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या अुस अुस साहित्य या संस्कृतिको अेकरूप बनानेका हमने कभी प्रयत्न किया है ?

'मराठी बोलनेवाले सभी महाराष्ट्रीय हैं।' यह परिभाषा तो ठीक है, लेकिन मराठी बोलनेवाले हम सब अेक हैं; अेक दूसरे के हैं अिस

प्रकारकी वृत्ति जागृत करनेके लिये या उसे दृढ़ करनेके लिये क्या हमने साहित्यमें कोअी प्रयत्न किया है ? अेक दूसरे की टीकाटिप्पणी करके, अेक दूसरे के दोष जाहिर करके हमने अेक दूसरे की सेवा की है अैसा शायद हम मानते होंगे, लेकिन अैसा करने से क्या हृदयोंका मिलन हुआ है ? क्या अैसा विश्वास अेक दूसरे के मन में पैदा हुआ है कि संकटके समय अपनी मददके लिये कोअी न कोअी ज़रूर दौड़ आयेगा ? क्या यह अर्थ हमारे यहाँ हुआ है कि 'महाराष्ट्र का अभिमान'के मानी सिर्फ 'मैं और मेरा' का ही अभिमान नहीं बल्कि सभी महाराष्ट्रियोंके प्रति अपनापन, सबके प्रति प्रेम है ? अैसी भावना हो या न हो, अगर वह पैदा करनेकी धुन हो तभी भारतीय साहित्यके संगठन की कल्पना और आस्था हममें उत्पन्न होनेवाली है। आजका हमारा साहित्य ज्यादातर सफ़ेदपोश श्रेणीका साहित्य है। कुछ लोग उसे ब्राह्मणी-साहित्य कहते हैं। 'ब्राह्मण आणि त्यांची विद्या' के लेखक प्रिन्सिपल गोळे की व्याख्या के अनुसार अिसमें शक नहीं कि आजका साहित्य ब्राह्मणी साहित्य है। अेक तरहसे मध्यम श्रेणीका साहित्य पराभूत या हारेहुअेका (Defeatist) साहित्य है। पराभूत साहित्यका अेक लक्षण यह है कि हमारे पतित देशके लिये बीच बीच में हाय हाय करना, कभी दूसरों के दोष निकालना, कभी देशकी पतित दशा को भुला ने के लिये पूर्वजों के गुणगान करना; समय-असमयपर दूसरों के साथ तुलना करने बैठना, और अपने को दूसरोंके जितना यश क्यों न मिला अिसकी कारणमीमांसामें बहुत बारीकीसे अुतरना, किसीको यश मिले तो अुसका अभिनंदन करके अुसका अनुकरण करनेके बदले किन बाह्य कारणोंसे अुसे यश मिला अिसकी चिकित्सा करके यह ध्वनित करनेका प्रयत्न करना कि अैसा मौक़ा अगर हमको मिल जाता तो हमने भी अैसा ही पराक्रम कर दिखाया होता, और यशप्राप्तिके

लिये जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिये जो संयम रखना पड़ता है, उसका प्रयत्न करने के बजाय ध्येयवाद, साधक जीवन, संयम और त्याग का उपहास करके धूर्तताको, बकवादको ही महत्त्व देकर सभी तरहके विलासको ही जीवनसर्वस्व मानकर क्षुद्र परिस्थितिमें भी जो कुछ विलास सेवन तथा विलासचिन्तन संभव हो उसीमें मशगूल रहना और वही स्वाभाविक है ऐसा लोगोंके दिलोंमें अतारनेका प्रयत्न करना ।

ध्येयवादका भी एक ऐसा ही defeatist संस्करण हुआ करता है । उसे भी हम न भूँ । जिन्हें पराक्रम या पुरुषार्थ नहीं करने होते उन्हें मनोराज्य या हवायी किले बनानेकी आदत पडती है । जैसे मनोराज्य कभी कभी ध्येयवादका रूप धारण करते हैं और असलिये प्रत्यक्ष कार्यका प्रारंभ करना वह टालते हैं । हमें यह समझ लेना चाहिये कि जिस तरहका साहित्य भी पराभवी साहित्य ही है । आदर्श चित्रण कोभी आदर्श सेवन नहीं कहा जा सकता; समर्थ भक्ति कहीं सामर्थ्यकी अुपासना नहीं है । हमें होशियार या सचेत साहित्यका स्वरूप पहचानना चाहिये; जिन्दा या जीवित विचार चिन्तनकी आदत डालनी चाहिये और वैसा करने के लिये जीवनकी ही अुपासना करनी चाहिये ।

साहित्यका दावानल प्रकट करनेसे खाना जंगी या गृहयुद्ध फैलानेसे समाज समर्थ या समृद्ध होनेवाला नहीं है । सच्ची सेवा करनी हो तो जीवनसे परिच्छुत साहित्यकी वर्षा करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये ।

नवंबर १९३६

रस-समीक्षा : कुछ विचार

सहज विचार करनेसे मालूम होगा कि साहित्य, संगीत और कला तीनों भावनाके ही क्षेत्र होनेसे तीनोंके अन्दर समानेवाली वस्तु (contents) अेक ही हो सकती है, अुसे हम रस कहते हैं। साहित्याचार्योंने रसचर्चा तो अनेक प्रकारसे की है। संगीतमें यह देखा जाता है कि राग और तालके अनुसार रसमें परिवर्तन होता जाता है। चित्रकलामें नवरसके भिन्न भिन्न प्रसंग चित्रित किये जाते हैं। रेखाओंकी सञ्जलता द्वारा तथा वर्णोंके साहचर्यसे रस व्यक्त किये जाते हैं। मूर्तिविधान, स्थापत्य, नृत्य आदि विविध कलाओं द्वारा भी अन्तमें रसोंकी ही अभिव्यक्ति करनी होती है। लेकिन अब तक साहित्य, संगीत और कलाओंकी दृष्टिसे—अर्थात् जीवनकलाकी समस्त यानी सार्वभौम दृष्टिसे—रसका विवेचन किसीने नहीं किया है। साहित्याचार्योंने जो विवेचन किया है अुसे स्वीकार करके और अुसका संस्करण करके अुसे व्यापक बनानेकी ज़रूरत है।

यह ज़रूरी नहीं है कि पूर्वाचार्योंने जिन नवरसोंका वर्णन किया है अुनके वही नाम और अुतनी ही संख्या हम मान लें। अब अिस बातकी स्वतंत्रतापूर्वक मीमांसा होनी चाहिये कि संस्कारी जीवनमें कलात्मक रस कौन—कौन—से हैं।

हमारे यहाँ शृंगारको रसराज कहा गया है। अुसे अग्रपूजाका मान है। लेकिन वास्तवमें वह सर्वोच्च रस नहीं कहा जा सकता। प्राणीमात्रमें नर—मादाका अेक दूसरेके प्रति आकर्षण होता है। प्रकृतिने अिस आकर्षणको अितना अधिक अुन्मादकारी बना दिया है कि अुसके आगे मनुष्यकी सारी होशियारी, सारा संयम और सब विवेक नष्ट हो

जाता है। हम यह सवाल यहाँ न छोड़ें कि इस आकर्षण को उत्तेजन देना आवश्यक है या नहीं। पर इस आकर्षण और प्रेमके बीच जो सम्बन्ध है उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। पहले हमें इसका निश्चय कर लेना चाहिये कि नर-मादाके आपसी आकर्षणमें अकेदूसरेके प्रति यथार्थमें प्रेम होता है या अहंप्रेम (self-love) की तृप्तिके साधनरूप ही वह अकेदूसरे की तरफ़ देखते हैं। प्रकृतिकी रचना कुछ ऐसी है कि काम-वासना का प्रारंभ अहंप्रेमसे होता है। लेकिन अगर यह काम धर्ममार्गसे चले तो वह विशुद्ध प्रेम में परिणत हो जाता है। विशुद्ध प्रेममें आत्मविलोपन, सेवा और आत्मबलिदानकी ही प्रधानता रहती है। कामको विकार कहा गया है; प्रेमको कोअी विकार नहीं कहता, क्योंकि अुसके पीछे हृदयधर्मकी शुदात्तता होती है। यहाँ धर्मके मानी रूढ़िधर्म या शास्त्रधर्म नहीं किन्तु आत्माके स्वभावके अनुसार प्रकट होनेवाला हृदय-धर्म है।

शृंगार मूर्तः भोगप्रधान होता है। लेकिन हृदय-धर्मकी रासायनिक क्रियासे वह भावना-प्रधान बन जाता है। यह रसायन और परिणति ही काव्यका, कलाका विषय हो सकती है। प्राचीन नाट्यकारोंने जिस तरह नाटकोंमें रंगमंचपर भोजनका दृश्य दिखलानेका निषेध किया है उसी तरह भोगप्रधान शृंगार चेष्टाओंको भी खुलमखुल्ला बतलानेकी मुमानियत कर दी है। यह तो कोअी नहीं कह सकता कि नाट्यशास्त्रकारोंको खाने-पीनेसे या रतिसुखसे घृणा थी। देह-धर्मके अनुसार अिन वस्तुओंके प्रति स्वाभाविक आकर्षण तो रहेगा ही, पर वैसी घटनाओं और वैसे आकर्षण कलाका विषय नहीं हो सकते। यह कहनेके लिये कि कलाकृतिमें अुस वस्तुको स्थान नहीं होना चाहिये किसी प्रकारकी वैराग्यवृत्तिकी आवश्यकता नहीं है। अुसके लिये सिर्फ़ संस्कारिता हो तो काफी है। मध्य-यूरपके अेक

मित्रने 'पहले महासमर'के बादकी यूरपकी गिरी हुआ हालतका वर्णन करते हुआ लिखा था कि 'हमारे यहाँ अब भोजनके आनन्दपर भी कविताओं लिखी जाने लगी हैं।' यूरपके अच्छे अच्छे कलारसिक, जो बिस दोषसे अत्र गये हैं, हमारे नाट्यशास्त्रमें शृंगार-चेष्टाओंके प्रति संयम रखनेका जो सुझाव रखा गया है, उसका अब वे स्वागत करने लगे हैं।

प्रेमरसका शुद्ध वर्णन हमें भवभूतिके 'उत्तररामचरित्र' में मिलता है। 'शाकुन्तल' में प्रेमका प्राथमिक शृंगारिक स्वरूप भी है और अन्त का परिणत विशुद्ध रूप भी। वास्तवमें देखा जाय तो प्रेमको ही रसरसकी अपाधि मिलनी चाहिये। शृंगारको तो केवल उसका आलम्बन-विभाव कहा जा सकता है। शृंगारके वर्णनसे मनुष्य की चित्त-वृत्तिको आसानीसे अुद्दीपित किया जा सकता है। इसीलिये सब देशों और सब ज़मानेमें कलामात्रमें शृंगारको प्रधानता प्राप्त हुआ दिखायी देती है। जैसे अृतुओंमें वसन्त, वैसे रसोंमें शृंगार अनुमादकारी होता ही है। जिस तरह लोगोंकी या व्यक्तिकी खुशामद करके बातचीतका रस बड़ी आसानीसे निभाया जा सकता है उसी तरह शृंगार-रसको जागृत करके बहुत थोड़ीसी पूँजीपर कलाकृतियोंको आकर्षक बनाया जा सकता है।

सच्चे प्रेमरसमें अपने व्यक्तित्वको भुलाकर दूसरेके साथ तादात्म्य का अनुभव करना होता है। इसीलिये प्रेमरसमें आत्म-विलोपन और सेवाकी प्रधानता होती है, प्रेम आत्माका गुण है, इसीलिये वह देहपर विजय प्राप्त करता है। प्रेम ही आत्मा है। सभी प्रेमियों, मक्तों और वेदान्ती दर्शनकारोंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अमर प्रेमसे आत्मा भिन्न है ही नहीं। वीररस भी अपने शुद्ध रूपमें आत्म-विकासका ही सूचन करता है। सामान्य स्वस्थ स्थितिमें मनुष्य अपने आत्मतत्त्वकी अुत्कटताका अनुभव नहीं करता। क्योंकि वह देहके

साथ अेकरूप होता है । लेकिन जब असाधारण अवसरके कारण खरी कसौटीका वक्त आ जाता है तब मनुष्य अपने शरीरके बन्धनों से अूँचा चढ़ता है । अिसीमें वीररसकी उत्पत्ति है ।

प्रतिपक्षीका द्वेष, अुसके प्रति क्रूरता, अुसके विरुद्ध अहंकारका प्रदर्शन आदिमें वीररस समाया हुआ नहीं है । लोक-व्यवहारमें कभी बार यह सब हीन भावनाअें वीरकर्ममें मिली हुआ होती हैं । वैसा होना कभी कभी अपरिहार्य भी हो जाता है । लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि साहित्यमें अुन्हें स्थान हो ही । साहित्य वास्तविक जीवनका कोअी संपूर्ण फोटोग्राफ नहीं हुआ करता । साहित्यमें वहाँ चीजें लानी होती हैं जिनकी तरफ ध्यान खींचना आवश्यक हो । अिष्ट वस्तुको आगे लाना और अनिष्ट वस्तुओंको दबा देना साहित्य और कलाका आत्मा है । अिस पुरस्कार और तिरस्कारके बिना कलाकी संभावना ही नहीं होती । वीररसके लिये जो कुछ हानिकर हो अुसे साहित्यमेंसे निकाल देना चाहिये । तभी वह साहित्य कलापूर्ण होगा ।

लोक-व्यवहार में वीररस अमुक आर्यता चाहता ही है । पशुअोंमें शौर्य होता है पर वीर्य नहीं होता । जानवर जब जोश में आकर आपसे बाहर हो जाते हैं तब वे आपसमें अंधाधुंध लड़ पडते हैं । लेकिन अुनमें डरका तनिक भी प्रवेश हो जाय तो अपनी दुम दबाकर भागने में अुन्हें देर नहीं लगती । भयकी लज्जा तो वह जानते ही नहीं । भयकी लज्जा आत्मा का गुण है । जानवरों में वह नहीं हुआ करती । आवेश हो या न हो; तीव्र कर्तव्य-बुद्धिके कारण अथवा आर्यत्वके विकसित होनेसे मनुष्य भयपर विजय प्राप्त करता है । आलस्य, सुखो-पभोग, भय, स्वार्थ-अिन सबको त्यागकर, चमडी बचानेकी वृत्तिसे मुक्त हो, आत्म-बलिदान के लिये जब मनुष्य तैयार हो जाता है तब वह जड़ पर-अपनी देहपर विजय प्राप्त करके आत्मगुणका अुत्कर्ष

बताता है। औसा वीर-कर्म , औसी वीर-वृत्ति देखने या सुननेवाले के हृदय में भी समान भाव-समभाव को जागृत करती है यही वीर-रसका आकर्षण और वास्तविक सफलता है ।

वीरोंका वीरकर्म देखनेके बाद-हमारी बाजू में वीर या वीर-समूह खड़ा है इसलिये हम सही-सन्तामन हैं , अब भयका कोअी कारण नहीं-अिस तरहका सन्तोष भो दुर्बलों तथा अबलाओंको मिलता है । अिसे वीर-रसका कोअी सर्वोच्च परिणाम या फल नहीं कहा जा सकता ।

जिस ज़मानेमें मनुष्य अपनी देह का मोह करनेवाला, फूँक फूँककर कदम रखनेवाला और घर घुसा बन जाता है अुस ज़माने में वह वीरोंका बखान करके, अुन्हें अुभाडकर या अुनकी बहादुरी की तारीफ़के पुल बाँधकर अुनके हाथों अपने लिये सुरक्षा प्राप्त करता है । अैसोंके समाजमें वीररसकी, वीरकाव्यकी, जो चाह होती है, प्रतिष्ठा होती है अुस परसे यह न समझ लिया जाय कि अुस समाजमें आर्यत्वका अुत्कर्ष होने लगा है । जब बंबअीमें लोकमान्य तिलकजी पर मुकुदमा चल रहा था तब वहाँके मिलमज़दूरोंने बड़ा दंगा किया था । अुनका वह तूफ़ान देखकर मध्यम वर्ग तथा व्यापारी वर्गके कअी लोग घरोंके अन्दर छिप बैठे । जब अुस आन्दोलनका दमन करनेके लिये सरकारी फ़ौज आयी तब अुसे देख वही लोग मारे खुशीके हुर्रहुर्र की जयध्वनि करने लगे और अपने हाथोंते खूबाल अुछालने लगे । फ़ौजके अुन वीरोंका स्वागत-सम्मान करते समय अुनके मुँहसे जो वीर-गान निकला अुससे यह नहीं कहा जा सकता कि अुस समाजके वीरत्वकी वृद्धि हुअी । यह आँखों देखी घटना है, अिसलिये अुसका असर दिलपर कायम रह गया है ।

वीर-रसकी कद्र अगर वीर करें तो वह अेक बात है, और रक्षण या आश्रय चाहनेवाले करें तो वह दूसरी बात है । वीर हमेशा वीररसको शुद्ध

रखनेकी फिक्र रखता है, जब कि आश्रयपरायण लोग प्राण-त्राण-पेलव होनेसे आर्य-अनार्य-वृत्तिका विवेक रखे बिना रक्षणकर्ताके प्रति नाथ-निष्ठा रखकर उसके सभी गुणदोषोंको अुज्ज्वल रूपमें ही देखते हैं ।

वीरवृत्तिसे ही वैरवृत्ति जागृत होती है । इसका कोअी अिळाज न देखकर आर्य-धर्म-कारोंने इसकी मर्यादा बाँध दी है कि 'मरणा-न्तानि वैराणि' । शत्रुके मर जानेके बाद उसकी देहको लात मारना, उसके शरीरके टुकड़े टुकड़े करना, उसके आश्रितोंको सताना, उनकी खियोंका अपना करना, यह सब अेक आर्यवीरके लिये शोभा देनेवाला नहीं है । वीर पुरुषोंने यह देख लिया था कि अस तरहके बर्तावसे मरे हुअे शत्रुका अपमान नहीं होता बल्कि अपने वीरत्व को ही बढ़ा लगता है । आर्य साहित्यचार्यों, कवियों और कलाकारोंने यह कह रखा है कि अगर दुश्मनी करनी हो तो अैसे आदमीके साथ करो जो अपने लायक हो, और असे हारनेके बाद उसकी कद्र करके उसकी प्रतिष्ठा को बनाये रखो और अस तरह अपना गौरव बढ़ाओ ।

वीरवृत्तिका परिचय मनुष्यके ही विरोधमें नहीं दिया जाता बल्कि सृष्टिके कुपित होनेपर भी मनुष्य अपनी अुस वृत्तिको विकसित कर सकता है । जब मेरा शत्रु तलवार निकालकर मेरे सामने खड़ा हो तब केवल आत्मरक्षाकी दृष्टिसे भी मुझे अपनी सारी शक्तिको अेकत्रित करके उसका मुकाबला करना पडता है । अुस वक्त अगर मैं लड़ाकू वृत्ति न रखूँ तो जाअूँ कहाँ ? सिंहगढ़की दीवारपर चढ़कर अुदयमानुके साथ संग्राम करनेवाली तानाजीकी फौज जब हिम्मत हारने लगी तब ताना-जीके मामा सूर्याजीने दीवारपरसे नीचे अुतरनेकी रस्सियाँ काट डालीं । अमरीका पहुँचनेके बाद स्पेनिश वीर हर्नेन्डो कौर्टेज़ ने अपने जहाज़ जला दिये । अस तरह पीठ फेरना ही जब असंभव हो जाता है तब आत्मरक्षाकी वृत्ति वीरवृत्तिकी मदद करने आती है, और जिसे अपनी

जान ज्यादा प्यारी होती है वही जैसे मौकेपर अधिक शूर बन जाता है ।

लेकिन जब कोअी आदमी पानीमें डूब रहा हो या जलते हुअे घरके अन्दरसे किसी असहाय बच्चेकी चीख सुनाओ दे रही हो तब अपनी सलामतीका, जानके खतरेका तनिक भी खयाल किये बगैर कोअी तेजस्वी पुरुष हृदयधर्मसे वफ़ादार रहकर पानी या आगमें कूद पड़ता है तब वह वीरवृत्तिका परम अत्कर्ष प्रकट करता है । जो व्यक्ति माफ़ी माँगकर जीनेकी अपेक्षा फ़ाँसीपर लटकना ज्यादा पसन्द करता है, या करोड़ों रुपयोंकी लालचके वशमें न होकर केवल न्यायबुद्धि को ही पहचानता है वह भी अलौकिक वीरत्वका ही परिचय देता है । सारी दुनियाका चोहे जो हो जाय, पर अन्तरात्माके नादसे तो मैं हरगिज़ बेवफ़ा न हूँगा—अिस तरहकी धीरवृत्ति जिसके लिये स्वाभाविक होती है वह वीरेश्वर ही है ।

किसीकी बहू-बेटी या स्त्रीका अपहरण करते समय भी कअी गुंडे-बदमाश विकारके वश होकर असाधारण बहादुरी दिखाते हैं । बड़े बड़े डाकू भी जान हथेलीपर रखकर घरोंमें सेंध लगाते हैं या छूटमार मचाते हैं, और पकड़े जानेपर पुलिसके आदमी अुनपर प्राणान्तिक यमयातना ढा दें तो भी अपने षडयंत्रका भेद नहीं बताते । अुनकी यह शक्ति लोगोंमें आश्चर्य और तारीफ़के भाव जरूर पैदा कर सकती है, लेकिन प्रामाणिक लोगोंका धनहरण या परस्त्रीका अपहरण करने की नीचातिनीच वृत्तिसे प्रेरित बहादुरीकी कोअी आर्यपुरुष कद नहीं कर सकता । कुछ डाकू बड़े बड़े डाके डालकर प्राप्त होनेवाले धनका अेक भाग आसपासके प्रदेशके गरीब लोगोंमें बाँट देते हैं और अिस तरह लोकप्रिय बनकर अपने को पकड़ने की कोशिश करनेवालों के छक्के छुड़ा देते हैं । कभी कभी जैसे डाकू

और लुटेरे प्रख्यात समाज कंटक लोगों का नाश करके, उनका सर्वस्व छूटकर गरीबों को भयमुक्त करते हैं। असलिये भी कृपण जनता जैसे लोगों की सामान्य दुष्टताको भूलकर उसके गुणोंका बखान करने लगती है। यह सब चाहे जिनता स्वाभाविक क्यों न हो, फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे समाज की अन्नति होती है। श्रीरामचन्द्रजीकी यह अुक्ति कि 'पाल्या हि कृपणा जनाः' प्रजाके गौरव को नहीं बढ़ाती। जिससे लोक हृदय अन्नत नहीं होता ऐसी कृतिमें से शुद्ध वीररस निकलता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिर्फ हिम्मत और सरफ़रोशी वीररस नहीं है और शत्रुको बेरहमीसे अंगभंग करने में, उसके आश्रितों की बेअिज्जती करने में वैरवृत्तिकी तृप्ति भले ही हो, लेकिन उसमें न शूरता है, न वीरता; फिर आर्यता कहाँसे होगी ?

जो आदमी युद्ध करने जाये उसमें खून, मांस और शरीरके छिन्न-भिन्न अवयवों को देखने की आदत तो होनी ही चाहिये। दुःख और वेदना—अपनी हो या परायी—सहन करने की शक्ति उसमें होनी ही चाहिये। शस्त्रक्रिया करनेवाले डाक्टरों में भी इस शक्ति का होना आवश्यक है। समझमें नहीं आता कि खून की धारको देखकर कुछ लोगोंको चक्कर क्यों आ जाता है। खुद मुझे मांस कटता देख या शस्त्रक्रिया देखते समय किसी किस्मकी बेचैनी महसूस नहीं होती। फिर भी जब मैं वीररस के वर्णन के सिलसिले में रणनदी के वर्णन पढ़ता हूँ तब उसमेंसे बगैर जुगुप्साके दूसरा भाव पैदा नहीं होता। यह तो मैं समझ ही नहीं सकता कि खूनके कीचड़ और उसमें अुतराते हुअे नररुण्डोंके वर्णनसे वीररसको किस तरह पोषण मिलता है। युद्धमें जो प्रसंग अनिवार्य हैं उनमेंसे मनुष्य भले ही गुज़रे, लेकिन जुगुप्सा पैदा करनेवाले प्रसंगोंका रसपूर्ण वर्णन करके उसीमें आनन्द माननेवाले लोगोंकी वृत्तिको विकृत ही कहना चाहिये। मनुष्यको खंभेसे बाँधकर, उसपर कोलतारका अभिषेक कराके उसे

जला देनेवाले और उसकी प्राणान्तिक चीखें सुनकर सन्तुष्ट होनेवाले बादशाह नीरोकी बिरादरीमें हम अपना शुमार क्यों करायें ?

वीर-रस मानवद्वेषी नहीं है। वह परम कल्याणकारी, समाज-हितैषी और धर्मपरायण आर्यवृत्तिका द्योतक है और उसे वैसा ही रखना चाहिये। वीररसका पोषण और संगोपन वीरोंकेही हाथमें रहना चाहिये। वीरवृत्तिको पहचाननेवाले कवि, चारण, और शायर अलग होते हैं और अपनी रक्षाकी तलाशमें रहनेवाले कायर तथा आश्रित अलग।

पुराने ज़मानेकी वीरकथाओं हम ज़रूर पढ़ें, आदरके साथ पढ़ें, लेकिन उनमेंसे हम पुरानी प्रेरणा न लें, हीन सन्तोष हमें त्याज्य ही लगना चाहिये। जीवनके वीर्यका नया आदर्श स्वतंत्र रूपसे विकसित करके उसके लिये आवश्यक पोषक तत्व पुरानी वीर-कथाओंमेंसे जितने मिल सकें उन्हें चुन चुनकर हम ज़रूर अिस्तेमाल करें। लेकिन वीररसके पुराने, क्रूर या जीवनद्रोही आदर्शोंमें हम फिसल न जायँ। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अगर जीवनमेंसे वीरता चली गयी तो वह उसी क्षणसे सड़ने लगेगा और अन्तमें एक भी सद्गुण न बच पायेगा।

वर्तमान युगके कलाकारोंके अग्रणी श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरको एक बार जापानमें एक ऐसा स्थान दिखाया गया जहाँ दो वीर लड़ते लड़ते कट मरे थे। उस स्थान और उस घटनापर अपनी प्रतिभाका प्रयोग करके कोअी कविता लिखनेके लिये उनसे कहा गया। कविवरने वहाँ जो दो चरण लिख दिये वह भारतवर्षके मिशन तथा मानवजातिके भविष्यको शोभा देनेवाले थे। उनका भाव यह है कि, 'दो भाओ गुस्सेमें पागल होकर अपनी मनुष्यताको भूल गये और उन्होंने धरती माताके वक्षःस्थलपर एक दूसरेका खून बहाया।

प्रकृतिने यह देखकर ओसके रूपमें आँसू बहाये और मनुष्यजातिकी अिस रक्तरंजित लज्जाको हरी हरी दूबसे ढाँक दिया ।’

शान्तिप्रिय, अहिंसापरायण, सर्वोदयकारी, समन्वयप्रेमी संस्कृतिका वीररस त्यागके रूपमें ही प्रकट होगा । आत्मविलोपन, आत्मबलिदान ही जीवन की सच्ची वीरता है । उसके असंख्य भव्य प्रसंग कला के वर्ण्य विषय हो सकते हैं । ऐसे प्रसंग कलाको अुन्नत करते हैं और जनता को जीवन-दीक्षा देते हैं । मैंने अभी अिस बातकी जाँच नहीं की है कि आज के कलाकार अिस पहलूको विशेष रूप से विकसित करते हैं या नहीं, लेकिन अितना तो मैं जानता हूँ कि अगर भविष्यकी कला अुस दिशामें गयी तो निकट भविष्यमें वह असाधारण प्रगति कर सकेगी और समाज सेवा भी अुसके हाथों अपने आप होगी ।

जब भवभूतिने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि ‘रस अेक ही है, और वह है करुणरस; वह अनेक रूप धारण करता है,’ तब अुसने करुण शब्दको अुतना ही व्यापक बनाया जितना कि कला शब्द है । हृदय कोमल बने, अुन्नत बने, सूक्ष्मवेदी बने या अुदात्त बने वहाँ कारुण्य की छटा तो आयेगी ही । कारुण्य की समभावना या समवेदना सार्वभौम है, अुसके द्वारा हम विश्वात्मैक्य तक पहुँच सकते हैं । करुणरस सचमुच रससम्राट है । लेकिन यह आवश्यक नहीं कि करुणरस में शोक की भावना होनी ही चाहिये । वात्सल्यरस, शान्तरस और अुदात्तरस करुणाके जुदे जुदे पहलू हैं । जिस तरह नदियाँ सागर में जा मिलती हैं अुस तरह अन्य सब रस अन्तमें जाकर करुण रसमें विलीन हो जाते हैं । अिन सब रसोंके लिये अेक मित्रने नाम सुझाया है, ‘समाहित रस’ अर्थको देखते हुअे यह नाम बिलकुल ठीक मालूम होता है । लेकिन भाषामें यह सिक्का चल सकेगा या नहीं अिसमें शक है । वास्तवमें देखा जाय तो सभी रसों की परिणति योगमें ही है । योग अर्थात् समाधि-समाधान-साम्यावस्था-

सर्वात्मैक्यभाव। कलामें से अन्तमें यही बात निकलेगी। कलाका साध्य और साधन यह योग ही है। दुर्भाग्यकी बात है कि योग का यह व्यापक अर्थ आज की भाषा में स्वीकार नहीं किया जाता। नाक पकड़कर, पलथी मारकर, बड़ी देर तक नींद लेना और भूखों मरना ही लोगोंकी दृष्टि में 'योग' रह गया है!

हमारे साहित्यकारोंने करुणरस का बहुत सुन्दर विकास किया है। कालिदासका 'अजविलाप' या भवभूतिका 'उत्तररामचरित' करुण रसके अनुमें से उत्तम नमूने माने जाते हैं। भवभूति जब करुणरस का राग छेड़ता है तब पत्थर भी रोने लगते हैं और वज्र की छाती भी पिघलकर चूर चूर हो जाती है। करुण रस ही मनुष्य की मनुष्यता है। फिर भी यह जरूरी नहीं कि करुण रसका उपयोग केवल स्त्री-पुरुष के पारस्परिक विरह-वर्णन में ही हो। माँ अपने बच्चे के लिये विलाप करे तो अतने से भी करुणरस का क्षेत्र पूरा नहीं होता। अनन्त कालसे हर ज़माने में और हर मुल्कमें, हर समाज में और हर कारण से महान् सामाजिक अन्याय होते आये हैं। इज़ारों लाखों लोग अिन अन्यायों के शिकार होते आये हैं। अज्ञान, दारिद्र्य, अुच्चनीचभाव, असमानता, मत्सर, द्वेष लोभ आदि अनेक कारणोंसे तथा बिना कारण भी मनुष्य मनुष्यको सताता है, गुलाम बनाता है, चूसता है और अपमानित करता है। यह सब घटनाओं करुणरस के स्वाभाविक क्षेत्र हैं।

नल राजाके हंसको पकड़ने या अेकाध सिंहके नन्दिनी गाय को धर दबोचने का दुःख हमारे कवियोंने गाया है। कोअी निषाद क्रौंचपक्षी के जोड़ेमेंसे अेक को बाणसे विद्ध करता है तो वाल्मीकि की शापवाणी सारी दुनिया के हृदय को भेद कर अिस अन्यायकी तरफ़ अुसका ध्यान खींचती है। फिर भी मनमें अैसा नहीं लगता कि पशुपक्षियों का या गायभैंस का दुख अभी किसीने गाया है। मध्यम वर्गके लोग विधवा-

ओंके दुःखोंका कुछ वर्णन करने लगे हैं। लेकिन उसमें भी भवभूतिका ओजो गुण या वाल्मीकि का पुण्य प्रकोप प्रकट नहीं हुआ है। करुण-रसका असर जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। इसलिये हृदयकी शिक्षा और हृदयधर्मकी पहचान अधूरी ही रही है। और इसीलिये गांधीजी जैसे व्यक्ति अस्पृश्यताके कारण अपने हृदयका दर्द व्यक्त करते हैं तो भी सामाजिक हृदय अधिकांशमें अस्पृष्ट ही रहता है। करुण रससे सिर्फ हृदय पिघड़े तो उतना काफी नहीं है। उससे हृदय सुलग उठना चाहिये और जीवनमें आमूलाग्र क्रांति हो जानी चाहिये। जीवनके प्रत्येक व्यवहारके लिये हृदयधर्ममेंसे मनुष्यको अेक नयी कसौटी तैयार करनी चाहिये।

अगर यह कहा जाय कि प्राचीन लोगोंको हास्य-रसकी यथार्थ कल्पना तक नहीं थी, तो उसमें ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है। नर्म वचन और सुन्दर चाटूकियाँ तो संस्कृत साहित्यमें जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हैं; हमारी संस्कारिता की वह विशेषता है। लेकिन ऊँचे दर्जेका हास्यरस उसमें बहुत ही कम पाया जाता है। अब हमारे साहित्यमें हास्यरसने अनेक सफल प्रयोग किये हैं सही। फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि नाटकोंमें पाया जानेवाला हास्यरस बहुतही सस्ता और साधारण कोटि का है। हमारे व्यंग्यचित्रों (cartoons) और प्रहसनों में पाया जानेवाला हास्य-रस आज भी बहुत निम्नश्रेणीका है। पाठशाला के प्रीति-सम्मेलनोंमें हास्य और वीर दो ही रसोंको ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसका कारण यही है कि बिना ज्यादा मेहनत किये अनुमें सफलता मिलती है; अनायास तैयारी हो जाती है और तालियाँ भी ज्यादासे ज्यादा मिलती हैं। लेकिन इससे कलाकी प्रगति नहीं होती और जनता भी संस्कार-समर्थ नहीं बनती।

मैं नहीं जानता कि हमारे कलाकारोंने अद्भुत-रसका परिपोष किन किन तरीकोंसे किया है। पर मेरे अभिप्रायमें अद्भुत-रसकी अुत्पत्ति

भव्यता (sublimity) मेंसे होनी चाहिये। वरना मनुष्यका अज्ञान जितना अधिक होगा अतनी असे हर चीज अधिक अद्भुत माद्धम होगी। अद्भुतका स्वरूपही ऐसा है कि उसके आगे कलाका सामान्य व्याकरण स्तंभित हो जाता है। विजयनगरके आसपासके पहाड़ोंमें बड़ी बड़ी शिलाओंके जो ढेर पड़े हैं उनमें किसी तरहकी व्यवस्था या समरूपता तो तनिक भी नहीं है। लेकिन वहाँ तो उसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं माद्धम होती। सरोवरका आकार, बादलोंका विस्तार, नदीका प्रवाह—अनमें क्या कोश किसी खास व्यवस्था की अपेक्षा रख सकता है? भव्य वस्तु अपनी भव्यतासे ही सर्वांग परिपूर्ण हो जाती है। नहरका व्याकरण नदीके लिये लागू नहीं होता; अपवनका रचनाशास्त्र महाकान्तारके लिये अपयोगी नहीं होता। जो कुछ भी भव्य, विस्तीर्ण, अुदात्त और गूढ है वह अनन्तका प्रतीक है और इसीलिये वह अपनी सत्तासे परम-रमणीय है। महाकवि तुलसीदासजीने जो कहा है कि 'समरथ को नहीं दोष गुसाहीं' वह नये अर्थमें यहाँ कलाके सूत्रके तौरपर ही अधिक सुसंगत माद्धम होता है।

अद्भुत, रौद्र और भयानक तीनों रसोंका अुद्गम अेक ही है। हृदयकी भिन्न प्रतिभूतियों (Responses) के कारण ही अुनके अलग अलग नाम पड़े हैं। जत्र शक्तिके आविर्भावसे हृदय दब जाता है, लज्जा खो बैठता है तब भयानक रसकी निष्पत्ति होती है। किसी अँची और लटकती हुई कगारके नीचे जब हम खड़े रहते हैं तब हम यक्रीनके साथ जानते हैं कि यह शिलाराशि हमारे सिरपर टूट पडनेवाली नहीं है, अुलटे आंधी—तुफानसे वह हमारी रक्षा ही करेगी। फिर भी अगर वह ऋहीं गिर पड़े तो!—अितना खयाल मनमें आते ही हम दब जाते हैं। यह भी अेक शक्तिका ही आविर्भाव है। पर्वतप्राय सागर-उहरोंपर सवार होकर सफर करनेवाले जहाज़में बैठे बैठे हम इसी भावका दूसरी तरहसे अनुभव करते हैं।

भव्य वस्तुके साथ मनुष्य हमेशा अपनी तुलना करता ही रहता है। यह तुलना करते करते जब वह थक जाता है तब आप ही आप रौद्ररस प्रकट होता है। और जहाँ भव्यताकी नवीनता और उसका चमत्कार मिट नहीं गया है वहाँ अद्भुत रसका परिचय मिलता है। यह तीनों रस मनुष्य की संवेदन-शक्तिपर आधारित हैं। हम नहीं जानते कि आकाशके अनन्त तारोंको देखकर जानवरोंको कैसा लगता होगा। बालकोंको तो वह अेक पालनेके चँदोवेकी तरह मादूम होता है लेकिन वही अेक प्रौढ़ खगोलशास्त्रीको तो नित्य-नूतन और वर्धमान अद्भुत रस के विश्वरूप-दर्शन के समान लगता है। अद्भुत रसकी खूबी यह है कि जिस तरह मेषका गर्जन सुनकर सिंहको गर्जना करने की अिच्छा होती है अुसी तरह आर्य हृदयको भव्यताका दर्शन होते ही अपनी विभूति भी अुतनी ही विराट, अुदात्त और भव्य करनेकी अिच्छा हो अुठती है। अद्भुत रसमें मनुष्यकी आत्मा अपनेको अद्भुततासे भिन्न नहीं मानती, बल्कि अेक तरहसे अुसमें वह अपना ही प्राकट्य देखती है; लेकिन रौद्र या भयानकमें वह अपने को भिन्न ही मानती है। जिसने अिन दोनों वृत्तियोंका अनुभव किया है अैसे कलाकारने अेकाअेक घोषित किया कि शिव और रुद्र अेक ही हैं; शान्ता और दुर्गा अेक ही हैं। जो महाकाली है वही महालक्ष्मी और महासरस्वती भी है। श्री रामचन्द्रजीका दर्शन होते ही हनुमानजी के भक्तहृदयने स्वीकार कर लिया :—

“ देहबुद्ध्या तु दासोऽहम् जीवबुद्ध्या त्वदंशकः ।

आत्मबुद्ध्या त्वमेवाऽहम्; यथेच्छसि तथा करु ॥ ”

अिस अन्तिम चरणमें जो सन्तोष है वही कलाके क्षेत्रमें शान्तरस है। रौद्र, भयानक और अद्भुत यह तीनों रस अगर अन्तमें हमें शान्त रस में न ले जायँ, सन्तोष न दें, तो अिन्हें कोई रस ही न कहेगा।

: : :

प्रेरक साहित्य

साहित्यके आम तौरपर दो विभाग किये जाते हैं। विचार-प्रेरक और आचार-प्रेरक। जो साहित्य पढ़नेसे मनुष्यको अुठकर काम करने की अिच्छा होगी, अपने जीवन तथा समाजमें भारी परिवर्तन कर डालनेकी अिच्छा होगी वह साहित्य आचारप्रधान या पुरुषार्थी साहित्य कहा जा सकता है। साहित्यके दूसरी तरहसे और दो विभाग कर सकते हैं :—अनुभवप्रधान और कल्पनाप्रधान। मनुष्यजातिकी प्रगतिकी मोर्चेपर हमेशा कल्पनाही रहती है। कल्पना मनुष्यके जहाज के पाल हैं। लेकिन अगर जहाजमें अनुभवका भार न हो तो यह कहना मुश्किल है कि पालमें भरा हुआ पवन उसे कहाँ ले जायगा और किस खतरेमें झोंक देगा।

दिसम्बर १९२९

: : :

मधुमक्खियोंसे*

आपका 'वर्षामधु' देखकर आनंद हुआ। स्वाद और परिमाण दोनोंमें सन्तोष होने जैसा यह मधु है। 'वर्षामधु' तो साबरमती की बाढ़ जैसा पुष्ट दिखायी देता है। लेकिन यह कितनी दुःखकी बात है कि अिसमें साबरमतीकी बाढ़ का कहीं जिक्र तक नहीं। साहित्यमेंसे साहित्यका निर्माण करनेकी कला आनी चाहिये अिस सालकी बाढ़ कोभी मामूली घटना नयी, उसपर कवि महाकाव्य लिख सकते हैं। उपन्यासकार उस अनुभवपरसे अेक अद्भुत कहानी गढ़ सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव अमूल्य वस्तु है। अब भी अगर आप चाहें तो अिस

* सत्याग्रहाश्रम के विद्यार्थियोंके अेक हस्तलिखित द्वैमासिक "मधुपूजा"के संपादकों को लिखा हुआ अेक पत्र.

बाढ़ के अनेक दृष्टियोंसे अनेक वर्णन लिख सकते हैं। बाढ़ देखे बिना भी किन किन दृष्टियोंसे वर्णन लिखा जा सकते हैं जिसके अनेक कौन मैं आपको सुझा सकता हूँ। लेकिन यह आपको ही सूझे तो अधिक अच्छा।

पूज्य श्री बापूजीने मधुमक्खियोंसे कुछ सवाल पूछे हैं। उनमेंसे एक सवाल यह है : 'क्या हमारा यह छत्ता आश्रमरूपी छत्तेकी कुछ झलक या नकल होगी? या उसका हमारे जीवनके साथ कुछ सम्बन्ध ही न होगा?'

चर्खा आश्रमप्रवृत्तिका केन्द्र है। चर्खेका अध्ययन जितना हमारे आश्रममें होता है उतना हिन्दुस्तानमें और कहीं शायद ही होता होगा। फिर भी छत्तेमें चर्खेका गुंजारव क्यों नहीं है? चर्खेका काव्य, उसकी रचना, उसका मिजाज आदि सब बातों पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। पुराने विद्यार्थी चर्खेके विकासके बारेमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। चर्खेके प्रान्तभेद पर एक सचित्र लेखमाला बालकोबाजी की मददसे तैयार की जा सकती है। हमने चमरख के कभी प्रकार आजमाये हैं और पैदा किये हैं। हरअेक के गुणदोषोंपर लेख लिखे जा सकते हैं। छोट्टूभाभीको पकड़कर नीलेश्वर—मलबार की धुनकीके विषयमें कीमती जानकारी ज़रूर हासिल की जा सकती है। खादी—प्रतिष्ठान की प्रवृत्ति के बारे में श्री मगनलाल भाभीसे आप ज़रूर अेक लेख प्राप्त कर सकते हैं। अरुणबाबू और प्रफुल्लबाबू हमारे यहाँ रहके गये हैं। उनसे भी जानकारी ली जा सकती है। हमारे रामचन्द्र वडवी कर्नाटकमें खादी और हरिजन का अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे आप खतपत्र मँगा सकते हैं। श्री जीवतराम कृपालानीजीके प्रौढ विद्यार्थियोंके दस—बीस खादीके केन्द्र हैं। उनसे नयी नयी जानकारी ज़रूर मिल सकती है। काँजी चढ़ानेके शास्त्रके बारेमें भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। अपनी परेशानियोंको कलमबद्ध करें तो भी वह कम सेवा नहीं है।

दूसरी प्रवृत्ति बढ़ाई कामकी, मैं नहीं जानता कि इस विषयपर देशी भाषामें कितने हैं या नहीं। बड़ौदे के 'कलाभवन' ने अकाध तैयार की हो तो मुझे पता नहीं। और अगर की हो तो भी उसमें पारिभाषिक शब्द तो अंग्रेजीके ही आने के। अहमदाबादके बूढ़े बढ़ायोंसे उनके पारिभाषिक शब्द प्राप्त करने का काम क्या हम शहरके किसी व्यक्तिपर नहीं सौंप सकते? श्री बचुभाभी रावत शायद इसमें हमारी मदद कर सकते हैं।

हमारी तीसरी और सबसे महत्त्वकी प्रवृत्ति है प्रार्थना। गीता है, तुलसी रामायण है, भजन हैं—अिनकी प्रतिध्वनि 'मधुसंग्रह' में क्यों नहीं सुनायी देती? रामायण के बारेमें लिखने का ठीका मानो श्री चंद्रशंकर को ही दिया गया है। हिन्दी भजनों पर गुजराती में कितना अच्छा अच्छा लिखा जा सकता है। गीता में आये हुअे महत्त्वके शब्दों का विस्तृत अर्थ लिख दें तो वह लिखने और पढ़नेवालों के लिये कितना उपयोगी साबित होगा। हमारे प्रिय भजनों की स्वरलिपि पंडितजी की मदद से मधुसंग्रहमें क्यों न आये? भजनावली में आये हुये रागों के स्वर और आरोह-अवरोह देकर रागोंकी तुलना करनेवाले लेख विद्यार्थी भी तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक 'मधुसंग्रह' में अकाध सुन्दर भजन और उसका अर्थ देनेका रिवाज चालू करें तो थोड़े ही बरसोंमें अेक अच्छा सार्थ भजन-संग्रह तैयार हो जायगा।

'मधुसंग्रह' के अलग अलग विभाग करके अेक अेक विभाग की ज़िम्मेदारी उस उस विषयमें दिलचस्पी रखनेवाला विद्यार्थी ले लें तो 'मधुसंग्रह' विकसित होगा और सहकार-शक्ति बढ़ेगी। लेकिन संपादक या संपादक-मंडल का निर्णय प्रसन्नताके साथ मान लेनेकी आर्यता हरेकमें होगी तभी यह प्रबन्ध फलदायी हो सकेगा।

हमारे यहाँ खयंपाकी बहुत हैं। छोटे छोटे मंडल भी हैं। उनमें कुछ

तो वैज्ञानिक ढंगसे अपना रसोआ-घर चलाते होंगे। वह अगर अपनी पद्धति और समयका बजट 'मधुसंग्रह' में प्रकट करें तो वह प्रवृत्ति भी हम अधिक शास्त्रशुद्ध कर सकते हैं।

प्रवासके वर्णन 'मधुसंग्रह' में काफी आते हैं। इस दिशामें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस सम्बन्धमें मुझे अितने अधिक विचार सूझते हैं कि उनमेंसे एक भी यहाँ लिखनेका दिल नहीं होता।

विद्यार्थी—मंडल, नहानेकी सहूलियत, पानीमें तैरनेका मजा, बीमारोंकी शुश्रूषा, गायों और बकरियोंकी लीला, कोठार के विनोद, समय-पत्रकके तरंग, कसरत, खेलोंके वर्णन, आश्रममें आये हुअे मेहमान, बरसातमें कीड़ोंकी तकलीफ़, और हर कीड़ेकी खासियत—आदि आदि बहुत कुछ 'मधुसंग्रह' में आ सकता है।

और संस्कृत अध्ययनमेंसे तो कई अच्छे अच्छे फ़िक्रे जमा हो सकते हैं। सारांश, बापूजीने आश्रम और मधुसंग्रहके अनुसंधानकी जो दृष्टि दी है उसे अेकवार अच्छी तरह अपनायें तो कई नयी नयी चीजें हमें सूझेंगी।

'मधुसंग्रह' बहुतही अच्छी तरह भरा हुआ है। और उसके विषयमें बड़ी बड़ी आशाओं रखनेका कारण वह पेश कर रहा है। इसलिये यह विस्तृत सूचनाओं की हैं। इसपर विचार कीजिये; मगर उस विचारमें मुझ रुग्णको न खींचिये।

पुनश्चः—मुझे यह बादमें मालूम हुआ कि 'वर्षामधु' के प्रगट होने के बाद साबरमतीमें बाढ़ आयी थी।

: : :

श्रद्धेय ग्रंथ

प्रत्येक भाषा में कुछ श्रद्धेय आद्यग्रंथ होते हैं। उन ग्रंथोंको साहित्य-गंगाकी गंगोत्री कहा जा सकता है। इस गंगोत्रीके जलका स्नान-पान-अत्रगाहन अत्यंत पुण्यप्रद होता है। जिस तरह हमें अपने शरीर के सब आन्तरबाह्य अवयवोंका पूर्ण परिचय होता है तथा अपना शरीर स्वसुरत हो या बदसुरत, उसपर हमारी जैसी प्रेमासक्ति रहती है वैसा ही परिचय और वैसी ही आसक्ति इन आद्य ग्रंथोंके विषयमें होनी चाहिये। 'जो मनुष्य अथसे लेकर अतितक रामायण पढ़ेगा उसपर गीर्वाण वाणी और कवित्वशक्ति दोनो प्रकट होगी' इस अर्थवाद में भी यही रहस्य छिपा हुआ है। आद्यग्रंथोंमें उस उस भाषाके स्वभावोंका बीजारोपण हुआ होता है। शब्दोंकी बनावट, सुगम प्रत्यय, वाक्यरचना, भाषाशैली, उपमादि अलंकार, अतिनाही नहीं बल्कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, निंद्य क्या है और स्तुत्य क्या है-इस अभिजात अभिरुचि का भी इन ग्रंथोंपरसे निर्णय होता है। साहित्यका तथा समाजजीवनका आदर्श इन ग्रंथोंमेंसे ही मिल जाता है। अतः बृहद् व्याकरण, व्युत्पत्ति, अलंकारशास्त्र, आदिका अध्ययन करनेसे पहले इन आद्य ग्रंथोंका अध्ययन करना चाहिये।

इन ग्रंथों द्वारा प्रयुक्त या सूचित पद्धति परसे ही सभी भाषा-शास्त्र बने हुए हैं। रामायण-महाभारत अलंकार-शास्त्रके अनुसार नहीं रचे गये किन्तु अलंकार-शास्त्रके नियम रामायण-महाभारतके अनुकूल बनाये गये हैं। जिस तरह पहले भाषा और बादमें व्याकरण होता है उसी तरह पहले सर्वमान्य आद्यग्रंथ और बादमें साहित्यशास्त्र आता है यह बात नहीं भूलनी चाहिये।

अिसलिये अगर किसी भी भाषाका अध्ययन करना हो तो उसके

आद्यग्रंथोंका रसपूर्वक अध्ययन करना चाहिये, अन्हें समझ लेना चाहिये, अन्हें लगभग कंठ करना चाहिये, अनुपर हमारा असीम प्रेम हो जाना चाहिये ।
—१९२५

: : छठी गूजराती साहित्य-परिषद

कहते हैं कि जो अच्छी तरह सो जाता है वह जागता भी अच्छी तरह है। बड़ी देरतक और आरामसे सोनेके बादकी जागृति आल्हादक और बलप्रद होती है। अिस कथनमें अगर कुछ भी सत्यांश हो तो ऐसा अनुमान लगाना चाहिये कि सूरत-अधिनेशन के बाद पाँच साल तक सोयी हुअी हमारी साहित्य-परिषद जब राजधानी-अहमदाबाद में जागी तब वह सफलताके साथ सम्पन्न हुअी होगी। और यह नहीं कहा जा सकता कि अिस अनुमानमें कोअी भूल है। अिस परिषदमें श्री आनन्द शंकर भाअी जैसे आचार्य, श्री केशवलाल ध्रुव जैसे साहित्य-सागर के मीन, श्री रमणभाअी जैसे रसिक, श्री नरसिंहराव जैसे चिकित्सक, श्री ब. क. ठाकोर जैसे अितिहासनिष्णात पधारे थे और अिसका नेतृत्व प्राचीन साहित्यके कँटीले मार्ग को सीधा करनेवाले साहित्य सेवाधुरीण श्री हरगोविन्ददास काँटावालाने स्वीकारा था, वह परिषद सफल हुअी या नहीं यह प्रश्न ही भ्रष्टतापूर्ण समझा जायगा। अिस पर, अिस परिषदको अपने शुभागमनसे आशीर्वाद देनेवाले तपस्त्री महात्मा गांधी और साहित्य-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुरके नाम सुनते ही सब शंका अेकदम दूर हो जानी चाहिये।

परिषद अत्यन्त अुत्साह और आनन्दके साथ सम्पन्न हुई। कोकिलकंठ रवीन्द्रके श्रवण-रुचिर पंचम स्वरसे अहमदाबादका वसन्त अिनादित हुआ। 'आपको अपने प्रयाससे जनसमाजमें पवित्र और प्राणवान

चैतन्य डालना चाहिये, यह महात्मा गांधीजीकी याचना सुनकर साहित्य-सेवकोंको नयी दृष्टि मिली। और आचार्य आनन्दशंकर ध्रुवके शुभाग्रहसे गुजरातमें अेक गुर्जरी विद्यापीठ या विश्वभारती (युनिवर्सिटी) की स्थापना करनेका निश्चय हो कर गुर्जर गिराके अुपासकों को कार्यक्षेत्र मिलनेकी भी सङ्कल्पित हो गयी। अिस तरह परिषद का पुण्याहवाचन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन परिषद कोअी केवल तीन दिनकी बात नहीं हैं। पाँच सालमें साहित्यसेवाके नाम सिर्फ तीन दिन देनेसे साहित्यसेवा नहीं हुआ करती। यह तीन दिन साहित्य-सेवा करनेके होते भी नहीं। वास्तवमें अिन तीन दिनोंमें अबतक की हुआ सेवाका हिसाब या पक्का चिह्न निकालना होता है। और अिस हिसाबके परिणाम स्वरूप साहित्य-सेवा की नयी दिशा निश्चित करके अुस दिशामें अुत्साह और लगनके साथ कार्य करनेका निश्चय करना होता है। यह निश्चय ब्राह्मणोंके आशीर्वादकी तरह खाली खोखले प्रस्तावोंसे नहीं किया जाता। लेकिन काम दौन कर, किस तरह करे, किसकी देखरेखमें काम हो—आदि बातोंकी आयोजना तैयार करके अुसकी पूर्तिके लिये सब आवश्यक सङ्कल्पिते मुहैया करके वह निश्चय प्रकट होना चाहिये। हमें लगता था कि यह परिषद पुरानी लकीरमेंसे छूटकर कुछ नया मार्ग लेगी, लेकिन हमें यह स्वीकार करना ही चाहिये कि तीन दिनोंका कार्यक्रम देखकर कुछ निराशा हुआ। अिसमें कोअी शक नहीं कि परिषदमें अुपस्थित जनसमाजके मनमें श्री रा. ब. कांटावाला या प्रा. ठाकुर जैसे विद्वद्गुरुओंके बारेमें जो आदर था अुसका बदला दो दो मील लम्बे भाषण या लेख श्रोतृसमुदाय के मत्थेपर मारकर लेनेमें अुन्होंने औचित्य का भंग किया और लोगोंके धीरजकी बड़ी कड़ी कसौटी की। अगर साहित्य-परिषद द्वारा कुछ भी ठोस काम कराना हो और लोगोंके क्रीमती वक्तका अधिकसे अधिक अुपयोग

करना हो तो परिषदका बहुत कुछ काम बैठकसे पहले ही कर लेना चाहिये । लम्बे लम्बे भाषण और लेख पहलेसे ही छावाकर परिषदके सदस्योंमें आठ दिन पहले बाँटे जायँ तो परिषदको दूमरा महत्व का काम करनेके लिये बहुत कुछ समय मिल जायगा । कमसे कम परिषदसे एक दिन पहले यह व्याख्यान जनतामें बाँटकर वह परिषदके सामने पढ़े गये हैं ऐसा माना जाय तो भी लोगोंको कुछ कम राहत न मिलेगी, यूरपमें बहुत बार ऐसा ही किया जाता है । फिर अगर किसी विद्वान को अपने लेखमेंसे कुछ टुकड़े पढ़ सुनानेकी अुत्सुकता हो या लोगोंका सुननेका आग्रह हो तो दस-बीस मिनट देनेमें किसी को कोई आपत्ति न होगी । मसलन् श्री केशवलाल हर्षदराय धुवने परिषदमें 'वनवेली' छंद का जो नया अवतार बताया वह जितना आवश्यक था अतना ही चित्तरंजक भी था । परिषदने इस साल अतिहास विभाग, विज्ञान विभाग, साहित्य विभाग तो किये, लेकिन अलग अलग निबंध अलग अलग समयपर और अलग अलग स्थानपर पढ़नेकी सहूलियत के अलावा कुछ ज्यादा फायदा इस विभागीकरण से हुआ नहीं दिखाओ देता । इसमें भी परिषद नया रास्ता शुरू कर सकती थी । परिषदसे-दो-अक महीने पहले सदस्योंकी नामावली निश्चित करके यदि यह तै किया होता कि प्रत्येक सभासदको किस विभाग में दिलचस्पी लेना है, और विभागके अध्यक्षको भी पहलेसे ही काम करनेकी प्रेरणा दी होती तो प्रत्येक विभागके अध्यक्ष अपने विभाग में कौन कौनसे प्रस्ताव पास करने हैं, क्या क्या काम करना है आदिकी चर्चा सब सभासदों के साथ पत्रद्वारा करके कुछ न कुछ निर्णयपर आ जाते और प्रत्येक सदस्य प्रत्येक विषयपर परिपूर्ण विचार करके, सिर्फ प्रेक्षकोंका काम करने के बजाय, इस भावनाको लेकर आ जाते कि कुछ अधिक उत्तरदायित्व अपने पर है । और तब कुछ न कुछ काम हो जाता ।

हमारी दृष्टिसे साहित्य-परिषदका प्रमुख कार्य है साहित्यको तथा जनसमाजके पुरुषार्थको अिष्ट दिशा की ओर मोड़ना । और अिसलिये साहित्यपरिषद निग्रहानुग्रह-समर्थ होनी चाहिये । आजकल हिन्दुस्तानकी सभी भाषाओंके साहित्यमें, और खासकर हमारे गुजराती साहित्यमें, अेक किस्मका अराजका फैला हुआ है । अनधिकारी लोग चाहे जैसे ग्रंथ लिख डालते हैं और अविवेकी प्रकाशक सस्ते भावसे उनका प्रचार कर के साहित्य को हानि पहुंचाते हैं । फलतः अधिकारी लेखकोंको अेक कोने में पड़ा रहना पड़ता है । अेक ही विषयपर दो किताबें लिखी गयी हों तो अेक बार सस्ते दामोंमें बेकार पुस्तक खरीदने के बाद ज्यादा कीमत देकर दूसरी अच्छी किताब लेनेका अुत्साह ग्राहकोंमें कहाँसे हो ? कमसेकम आज तो वह बिलकुल नहीं है । और अिस वजहसे साहित्यके अुद्यानमें अितने झाडझंखड अुगे हैं कि फलके पेड़ों और काव्यलतिकाओं के लिये जीना भी मुश्किल हो गया है । अिस कठिन स्थितिमें से निकलना हो तो साहित्य-परिषदको अेक विवेचक-विभाग का निर्माण करना चाहिये, जिससे प्रकाशित होनेवाले साहित्यपर परिषदकी रसिक किन्तु चिकित्सक, अुदार किन्तु निष्पक्ष दृष्टि हमेशा रहेगी । बेकार या हानिकर साहित्यका प्रखर आलोचनासे निग्रह होना चाहिये और जीवनदायी तथा रसपूर्ण साहित्यपर गौरवका अनुग्रह होना चाहिये । लोग आर्डर देकर मिलोंसे चाहे जैसा माल तैयार करवाते हैं, अुस तरह पुरस्कारका लालच दिखाकर मौलिक ग्रंथ नहीं लिखाये जा सकते । फिर भी अनुवादोंके बारेमें कुछ व्यवस्थित काम हो सकता है । सर्व-मान्य शिष्ट ग्रंथोंके अनुवाद सरल और प्रमाणभूत होने चाहिये । लेकिन ' माअिल स्टोन्स अिन गुजराती लिटरेचर ' जैसी किताबका भी अनुवाद साहित्य-परिषद कराये और मूल गुजराती लेखकको गुजरातीमें मौलिक अितिहास लिखनेपर मजबूर न करे तो यह नहीं कहा जा

सकता कि साहित्य परिषदने अपना कर्तव्य अच्छी तरह जाना या पूरा किया है। दुनियाकी सभी भाषाओंमें जितने सुन्दर ग्रंथ हैं उनका गुजराती अनुवाद पैसा खर्च करनेसे हो सकता है, लेकिन उससे गुजराती भाषाकी या समाजकी सेवा होगी ही ऐसा माननेका कोई कारण नहीं। जिस तरह सेर दो सेर अनाज चबाकर या बगैर चबाये खानेसे मनुष्य की शक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि अपनी शरीर-रचनाके अनुकूल रूपमें उसे पकाकर शरीर जितना कुछ हज्म कर सके उतना ही खानेसे शक्ति बढ़ती है, उस तरह सामाजिक जीवनमें जितना हज्म हो उतना और उसी तरह समाजको दिया जाय तो भाषाकी अन्नति होगी। इस दृष्टिसे देखते हुअे गुजराती कॉलेजकी स्थापना का विचार अत्यन्त महत्त्वका और अिष्ट है, क्यों कि उस कॉलेजमें गुजराती ग्रंथोंका अध्ययन होगा। और यह सार्वत्रिक अनुभव है कि स्वभाषामें किये हुअे अध्ययनका देखते देखते प्रसार होता है। यह कॉलेज जितना जल्दी खुलेगा उतनी विज्ञान, इतिहास, साहित्य आदि विभागोंकी सार्थकता मालूम होगी। प्राचीन साहित्य पुस्तकस्थ तो हुआ, मगर अभी कंठस्थ नहीं हुआ है। अंग्लैंडका इतिहास गुजराती भाषामें आया मगर गुजरात के राजनैतिक जीवनमें नहीं आया। प्राचीन साहित्य जब अध्ययनके साथ हमारी विचारसृष्टि में अतरेगा और उससे हमारी विचारपद्धतिमें अचित परिवर्तन होगा, तभी उसे हज्म हुआ समझना चाहिये। वैष्णवोंमें द्वारका अथवा डाकोरजीके विषयमें जो प्रेम और अभिमान रहता है, स्वामी नारायण संप्रदायके लोगमें अपने संप्रदायके प्रति जो आदर रहता है और आजकलके राजनैतिक पुरुषोंमें कांग्रेसके बारेमें जो ममत्व होता है, वैसा प्रेम, अभिमान, आदर और ममत्व जब गुर्जर विद्वान साहित्य-परिषदके प्रति बतायेंगे तभी साहित्य-परिषदका कार्य प्राणवान् और चिर-स्थायी होगा। साहित्य-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी अनुकरणीय मिसाल

हमारे सामने है ही। अन्होंने अनेक प्रकारसे बंगाली साहित्यमें वृद्धि की है, नवयुवकोंका दिशादर्शन किया है और तन-मन-धन अर्पित करके साहित्यके अेक विद्यापीठकी स्थापना की है। गुजरातमें भी वैसा ही होवे और गरवी गुजरातका 'झळळळ कुसुंबी ध्वज प्रकाशे' ऐसी हमारी हार्दिक प्रार्थना है।

—मार्च १९२०

: : पडोसियोंका साहित्य-संसार

(गुजराती-साहित्य-सम्मेलन)

पिछले अक्टूबर-नवंबर के संधिकालमें अहमदाबादमें गुजराती साहित्य-सम्मेलनकी अेक बैठक हुअी। अस सालके सम्मेलनमें कुछ विशेष बातें नजर आयीं। अुन्हींपर यहाँ विचार करना है। क्योंकि अुन विशेषताओंके कारण ही अस सालका सम्मेलन महत्त्वका हुआ है और भावी प्रगतिकी आशाओंका बीज भी अुन्हींमें निहित है।

गुजराती साहित्य-सम्मेलनकी स्थापना अहमदाबादमें हुअी थी। अुसके बाद छठा सम्मेलन अहमदाबादमें हुआ और अभी अभी जो सम्मेलन वहाँ सम्पन्न हुआ वह बारहवाँ सम्मेलन था। यह तीन सम्मेलन प्रगतिकी तीन सीढ़ियाँ कही जा सकती हैं। स्थापनाके समय रणजीतराम वावाभाअी सम्मेलनके सूत्रधार थे। अस हेतु, कि और प्रान्तोंकी तरह गुजरात भी साहित्यके क्षेत्र में आगे बढे अुन्होंने सम्मेलनका सूत्रपात किया। छठे सम्मेलनमें कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी दोनों अुपस्थित थे। असलिये वह सम्मेलन खास तौरपर चमक अुठा था। अस सम्मेलनमें साहित्यके साथ ही चित्रकला, नृत्य, देशी अुत्सव आदिको महत्त्वका स्थान मिला था। गुजरात

युनिवर्सिटीकी स्थापना करनेकी कल्पना भी अिसी सम्मेलनमें पहले पहल जोर देकर पेश की गयी थी। विद्वान लोगोंको कल्पनाओं तो झटझट सूझती हैं और अपनी योजनाओंको वह कागजपर अच्छी तरह अंकित भी कर सकते हैं। गुजरात युनिवर्सिटीकी कल्पना लोगोंके सामने पेश करनेवाले डाक्टर आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव स्वयं गांधीजीकी सिफारिशसे बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीके प्रो-वाअिस-चैन्सेलर बन गये; और गांधीजीके अनुयायियोंने गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की। अभी अभी जो बारहवाँ सम्मेलन हुआ उसमें भी फिरसे नये अुसाहके साथ कुछ रचनात्मक प्रस्ताव पास हो गये हैं। उनके अनुसार जितनी मात्रामें प्रत्यक्ष कार्य होगा उतनी ही मात्रामें सम्मेलन की बैठक कामयाब समझी जायेगी।

अेक तरहसे देखा जाय तो यह माना जा सकता है कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तोंमें साहित्य-परिषदों तथा सम्मेलनोंकी प्रवृत्तिमें अेक मंजिल पूरी हुआ है। अब अगर अिस प्रवृत्तिको नयी दिशा न मिली तो ये परिषदें और सम्मेलन अकर्मण्य बनकर लुप्त हो जायेंगे। बिल्कुल शुरू शुरूमें प्रस्ताव पास करनेका अितनाही अर्थ था कि लोगोंको सोचने के आदी बनाना तथा किसी भी प्रश्नपर लोकमतको केन्द्रित करना। अब हमारा राष्ट्र अलग अलग क्षेत्रोंमें आगे बढ़ा है। अब साहित्यके क्षेत्रमें भी परिषदोंको कुछ न कुछ ठोस रचनात्मक और संगठित कार्य करके दिखाना चाहिये।

ज्ञाति-संस्था तथा ज्ञातिकी परिषदें, स्कूलों या कालेजोंमें हरसाल होनेवाले प्रीतिसम्मेलन, दशहरा तथा होली जैसे अुसव, गणेशचतुर्थी या दिवाली जैसे त्यौहार तथा उनके कार्यक्रम आदि सार्वजनिक समारोह अब अितने यांत्रिक और बासी हो गये हैं कि अिनमेंसे किसी भी अवसरपर स्वयं अुपस्थित रहे बिना और अुनकी कार्यवाहीकी कोअी भी जानकारी प्राप्त

किये बिना उनके विवरण लिखे जा सकते हैं और उनकी आलोचना भी की जा सकती है। जब किसी भी प्रवृत्तिमेंसे प्रेरणा और उत्साह कम होने लगते हैं तब उसे सिर्फ़ कवायत और कर्मकांडका स्वरूप प्राप्त होता है।

गुजरातके साहित्य-संगठनके बारेमें श्री कन्हैयालाल मुनशीका नाम विशेषरूपसे सामने आता है। साहित्य-सम्मेलनके विविध कार्य जो नियमित रूपसे सालभर कर सके ऐसी अके साहित्यपरिषदकी स्थापना करके और उसका अके मज़बूत विधान तैयार करके अन्होंने उसे बाकायदा सरकारी दफ्तरमें दर्ज कराया। जबसे वह विधान तैयार हुआ है तब से यह नुक्ताचीनी शुरू हो गयी है कि विधान किसी किलेके समान दुर्भेद्य है और मुनशीजीके मंडलके ही लोग परिषदमें रह सकते हैं। दो सम्मेलनोंमें बुरी तरह हमले होनेपर भी यह विधान अबाधित ही रहा; लेकिन साथ साथ टीकाटिप्पणियोंका ज़हर भी कायम रहा। आखिर दोनों पक्षोंको ऐसा लगा कि अिस साल अगर महात्मा गांधी अध्यक्षपद स्वीकार करें तभी उनके बीचबचावसे सम्मेलन और परिषद दोनों अबाधित रहेंगे और दोनोंमें संधि हो सकेगी। दोनों पक्षोंकी अत्कट अिच्छा होनेसे अिस साल महात्माजीको अध्यक्षपद स्वीकार करना ही पड़ा। स्वयं गांधीजीने तथा उनके नसीबने अिस ज़िम्मेदारीको टालने की हज़ार कोशिशें कीं, फिर भी आखिरकार लोगोंका संकल्प ही अधिक बलवान साबित हुआ।

महाराष्ट्र जैसा गुजरातमें यह झगड़ा नहीं है कि परिषदका सम्मेलनके साथ किस प्रकारका सम्बन्ध होना चाहिये। परिषद ही सम्मेलनका संचालन करे तो उसमें वहाँ असन्तोष नहीं है, लेकिन वहाँ अिस तरहकी माँग है कि परिषदकी फौलादी घटना कुछ लचीली करनी चाहिये, जिससे नये तत्त्व परिषदमें दाखिल हो सकें और परिषद अधिक कार्यकारी हो सके। परिषदके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है और कुछ अुत्साही

कार्यकर्ता भी हैं। इस प्रश्नकी भी वहाँ चर्चा होती है कि परिषदका कार्यालय कहाँ हो। लेकिन काम करनेवाले लोग तैयार हों तो कार्यालय चाहे जहाँ रखने के लिये परिषदके संचालक राजी हैं। महाराष्ट्रकी तुलनामें गुजरात प्रान्त बहुत कुछ मर्यादित है। उत्तर गुजरात और काठियावाड में देशी रियासतें ही ज्यादा हैं, इसलिये वहाँके वायुमंडलमें दम घुट जाता है। अतः बंबई, सूरत, बडौदा, नडियाद और अहमदाबाद अतनेही शहरोंका सवाल रहता है, और यह सभी स्थान रेलसे सिर्फ दो-चार रूपयोंके फासलेपर होनेसे स्थानका प्रश्न अधिक अप्र स्वरूप नहीं ले सकता।

गांधीजीके विश्वतो-मुखी आन्दोलनमेंसे साहित्य-विषयक कार्य विद्या-पीठ और नवजीवन संस्थाके हिस्सेमें आता है। यह दोनों संस्थाओं अबतक सम्मेलन-परिषदके बारेमें बिलकुल अलिप्त अदासीन रहकर नम्रता के साथ अपना काम करती आयी हैं। इस साल जिस तरह गांधीजी को इस प्रवृत्तिमें भाग लेना पड़ा उसी तरह विद्यापीठ और नवजीवनके साहित्य-सेवकोंको भी सम्मेलन-परिषदमें भाग लेना पड़ा। और इसी-लिये श्री कन्हैयालाल मुनशी अब अभिमानके साथ कह सकते हैं कि अखंड-रूपसे साहित्य-सेवा करनेवाला अेक भी महत्त्वका मंडल अब परिषदसे बाहर नहीं रहा है। जो हो, इसके बाद साहित्य-परिषदको रचनात्मक कार्य करके ही अपना अस्तित्व कृतार्थ कर दिखाना पड़ेगा।

गुजरातमें संगीतके सम्मेलन होते हैं; चित्रकलाकी प्रदार्शिनियाँ भी बहुत अच्छी तरह सम्पन्न होती हैं, बंगालकी तरह गुजरातने भी चित्रकलामें अपना खास तर्ज चलाया है। पिछले दस-पन्द्रह बरसोंमें चित्रकला और संगीत कलामें गुजरातने अच्छी प्रगति कर दिखायी है। पत्रकारोंने भी आज तक अेक दो परिषदें कीं। साहित्य-सम्मेलनमें इस वक्त पहली ही बार वृत्तविवेचनका विभाग रखा गया था। इस

विभागके प्रमुख श्री महादेव देसायी को अपना भाषण बहुत जल्दीमें लिखना पड़ा था, फिर भी वह गहरे अध्ययनवाला, सांगोपांग चर्चा करनेवाला तथा दिशा सूचन करनेवाला हुआ। धर्म और दर्शन विभागका भाषण भी कुछ कम महत्त्वका न था। भौतिक विज्ञानका विभाग समाजविज्ञानका विभाग, पुरातत्त्वका विभाग, तथा कलाविभाग—अने सब विभागोंसे सम्मेलन सकलांगपूर्ण बना था। खास दर्ज करने जैसी बात यह है कि साहित्य-सम्मेलनमें भी साहित्यका विभाग अलग किया गया था।

पास हुआ प्रस्तावोंमेंसे एक प्रस्तावके अनुसार परिषदकी घटना या विधान नये सिरेसे विचार करनेके लिये गांधीजीकी अध्यक्षतामें नये पुराने दलोंकी एक संयुक्त समिति नियुक्त की गयी है। गांधीजीने अपने भाषणमें इस बारेमें स्पष्ट रूपसे ज़ाहिर किया था कि, विधानमें किस तरह प्रवेश किया जा सकता है इसका राजमार्ग मैं आपको बता दूँगा; लेकिन साहित्य-परिषदमें अगर आप मौजूदकी चलाने जायेंगे तो संस्था न बचेगी और बची तो कुछ काम भी न कर सकेगी।

दूसरा महत्त्वका प्रस्ताव गुजराती शब्दोंके हिज्जे निश्चित करनेके सम्बन्धमें गुजरात विद्यापीठ द्वारा किये गये सफल प्रयत्न के अभिनन्दन और उसके स्वीकारके बारे में था। अब कहा जा सकता है कि गुजरात विद्यापीठ, बंबयी युनिवर्सिटी, सभी देशों रियासतें तथा साहित्य-परिषद सबने अग्रधारी शुद्धलेखन का स्वीकार करके चालीस सालके अराजकका अन्त किया।

जहाँ जहाँ गुजराती भाषाका अध्ययन होता है वहाँ वहाँ के पाठ्यक्रमपर देखरेख करनेका प्रस्ताव भी अतना ही महत्त्वका समझना चाहिये। गुजरातमें गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना करनेकी पूर्व तैयारी बहुत असाह और दृढ निश्चयके साथ चल रही है। इस प्रस्तावसे उस कार्यको अच्छा सहारा मिलेगा। अब राष्ट्रकी अितनी प्रगति

अवश्य हुआ है कि सरकार, देशी रियासतों तथा युनिवर्सिटीके वायु-मंडलपर जनमतका ठोस असर पड़ सके।

अखिल भारतीय साहित्य-संगठनके बारेमें गुजरातने जो नेतृत्वपूर्ण भाग लिया था उसकी तसदीक़ परिषदने पहलेसे ही की थी। अिस साल अलग अलग प्रान्तीय साहित्यमेंसे अुकृष्ट रचनाअें गुजरातीमें लानेके सम्बन्धमें अेक प्रस्ताव करके परिषदने अेक क़दम आगे बढ़ाया है। गुजरातकी अनेक प्रकाशन-संस्थाअें अिस बारेमें अच्छी तरह जागरूक हैं और परिषदकी ओरसे दिशामूचन होते ही यह प्रवृत्ति बड़े उत्साहके साथ फ़उने फ़उनेवाली है। गुजरातने सभी प्रान्तोंके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना तय किया है, अिस बातका भी यह अेक चिह्न समझा जा सकता है।

स्त्रियोंकी जागृति या नारी-जागरण तो गांधीजीके आन्दोलनके अनेक परिणामोंमेंसे अेक माना जायगा! सार्वजनिक कार्यमें भाग लेनेका दृढ संकल्प गुजरातकी महिलाओंने किया है और अपनी संस्थाअें स्वयं चलानेका बीडा अुठाझा है। अिस क्षेत्रमें अहमदाबादके प्रमुख मिलमालिक श्री अंवालाल साराभाजी की सुपुत्री मृदुलावहन सहज ध्यान खींचती हैं। अुनकी प्रेरणासे चलनेवाले ज्योतिसंघकी प्रवृत्ति कोभी म.मूली प्रवृत्ति नहीं है। हमारे साहित्यकार आजतक़ नारीकी निन्दा करते आये हैं। या अत्र अुन्हें 'देवी' कहकर अुनकी खुशामद करने लगे हैं। यह दोनों चीजें अनिष्ट हैं। स्त्रियोंको मनुष्यत्व के सामान्य अधिकार होने चाहिये और मनुष्यत्वका सर्वसाधारण आदर्श ही अुनके आगे रखा जाना चाहिये—अिस तरहकी माँग ज्योतिसंघने सम्मेलनमें अुपस्थित साहित्यसेवकोंसे की और गांधीजीने बहुत ही संजीदगी के साथ अिस माँगकी तसदीक़ की।

प्रेस अैक्ट और आर्डिनेन्सका निषेध गुजरात साहित्य सम्मेलन ने

नहीं किया। यह बात वहाँकी प्रगतिकी द्योतक है। महाराष्ट्रने अिन दोनों बाबतोंमें सरकारी नीतिका अेक खास ढंगसे विरोध किया, यह बात भी महाराष्ट्र साहित्य-सम्मेलनकी प्रगतिका ही द्योतक है।†

नवंबर १९३६

† यह लेख मराठी पाठकोंको मद्दे नज़र रखकर घूल मराठीमें नागपूर के 'विहंगम' लिये लिखा हुआ था—प्रकाशक

मुद्रक : आर. आर. बखले, बम्बई वैभव प्रेस, गिरगाम नं. ४.

प्रकाशक : अेम. के. वीरा, वीरा अॅन्ड कंपनी, पब्लिशर्स लिमिटेड बम्बई, नं. २.

हमारे राष्ट्रीय और संस्कारी प्रकाशन

[श्री प्यारेलालजीकी प्रस्तावना के साथ]

१. गांधीजीके सम्पर्कमें : सरदार पटेलके आशीर्वचनके साथ सं. श्री चंद्रशंकर शुक्ल । गांधीजीके दैनंदिन जीवनके सत्य, शिव, सुन्दर स्वरूपका दर्शन करानेवाली कृति, जो उनके अनुयायी, प्रतिगामी और निरपेक्ष ऐसे ३२ स्त्री-पुरुषोंकी कलमसे उतरी है औ अबतक अप्रकाशित थी । सजिल्द, सचित्र पृष्ठ संख्या २२४ मू. ३।)
२. गांधीजीकी यूरोप-यात्रा : ले. म्यूरिअल लेस्टर, अनु० श्री ' रंजन ' शर्मा, सचित्र !
लन्दनमें आयोजित द्वितीय गोलमेज-परिषदके समय गांधीजीने उक्त परिषदके अलावा इंग्लैण्ड और यूरोप के जिन विभिन्न प्रसंगोंमें योग दिया उनके रेखचित्रोंकी एक गांधीवादी विदूषी द्वारा भारतको अनुपम देन ! उक्त परिषद. सम्बन्धी आजतक प्रकाशित पुस्तकोंमें केवल यही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्व० सम्राट् पंचम जार्जसे हुआ गांधीजीकी मुलाकात का विस्तृत वर्णन दिया गया है । सचित्र: पृ. १५८: मू. २।)
३. नेताजी सुभाषचंद्र बोस : सं. प्रल्हाद ब्रह्मभट्ट; अनु० सुधाकर त्रिवेदी । एक ऐसा बेजोड़ जीवन-चरित्र जो सदियोंतक किसी भी देशाभिमानीको अपनी आजादी के लिये लड़नेकी प्रेरणा देता रहेगा । सचित्र, सजिल्द मू. ३)
४. वीरांगना अरुणा आसफअली : सं. सुरेश गांधी; अनु० ' दर्शन ' आधुनिक भारतीय क्रांति करनेवाली वीरांगनाकी रोमांचक गौरव-गाथा । सचित्र : सजिल्द मू० २)
५. रूसमेंशिक्षा-प्रणालि— मू० १।)
६. भारत-वर्शन ले. काकासाहब कालेलकर (छप रहा है)
७. सप्त सरिता " " " " " "

मौलिक साहित्य

१. नगिने : (कहानी - संग्रह) मौलिक, ले. पं. सुदर्शन)
' नगिने ' की एक एक कहानी एक नगीना है, और खासकर इस संग्रहकी ' आप वीती ' तो इसका मुकुट-मणीही है ।
सजिल्द : पृष्ठ संख्या २०८, मू. ३)
२. शेषदान : (कहानी-संग्रह) मौलिक ले. वीरेन्द्र कुमार
[भूमिका : श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी]
अभिनव कहानी-संग्रह, सुन्दर शैली, उत्कृष्ट चित्रण, मू. २॥॥
३. अर्दूके अदीब : (अर्दूके साहित्यिकोंका संक्षिप्त परिचय)
ले. श्रीपाद जोशी । आचार्य कालेलकर और महाशय सुदर्शन
द्वारा प्रशंसित । हिन्दुस्तानी के प्रेमियों और प्रचारकोंके
कामकी पुस्तक । पृष्ठ १७९) मू. १॥॥
४. अंगूठीका मुकदमा (लड़कोंके लिये कहानियां) ले. पं. सुदर्शन.
५. बच्चोंका हितोपदेश : (बालकोपयोगी कहानियां) ले. पं.
सुदर्शन बच्चोंके भाव, भाषा और चारित्र्यको संस्कारी दिशा
प्रदान करनेवाली दो पुस्तकें । सचित्र, सुन्दर छपाई, मू. १)
६. झीलके तार : (गीत संग्रह) ले. पंडित सुदर्शन, मू. १॥
७. कृपा-कितन. (भजन संग्रह) ले. रैहाना तैयाबजी, मू. १॥॥
८. आम्रपाली (अपुन्यास) ले. रामचन्द्र ठाकुर; अनु० ' दर्शन '
बौद्धकालीन भारतकी एक कोमलांगी ललनाके संघर्षमय जीवनका
औपन्यासिक चित्रण जो रजतपटपर भी गुण-गौरवका विषय
बना । श्री. कन्हैयालाल मुंशी, इतिहासवेत्ता स्व. ओझा आदि
द्वारा प्रशंसित । सजिल्द, पृष्ठ संख्या २६४, तिरंगी जेकेट, मूल्य ४)

